खण्ड-281, अंक-1
शुक्रवार, 22 फाल्गुन, शक संवत् 1891
(13 मार्च, 1970 ई0)

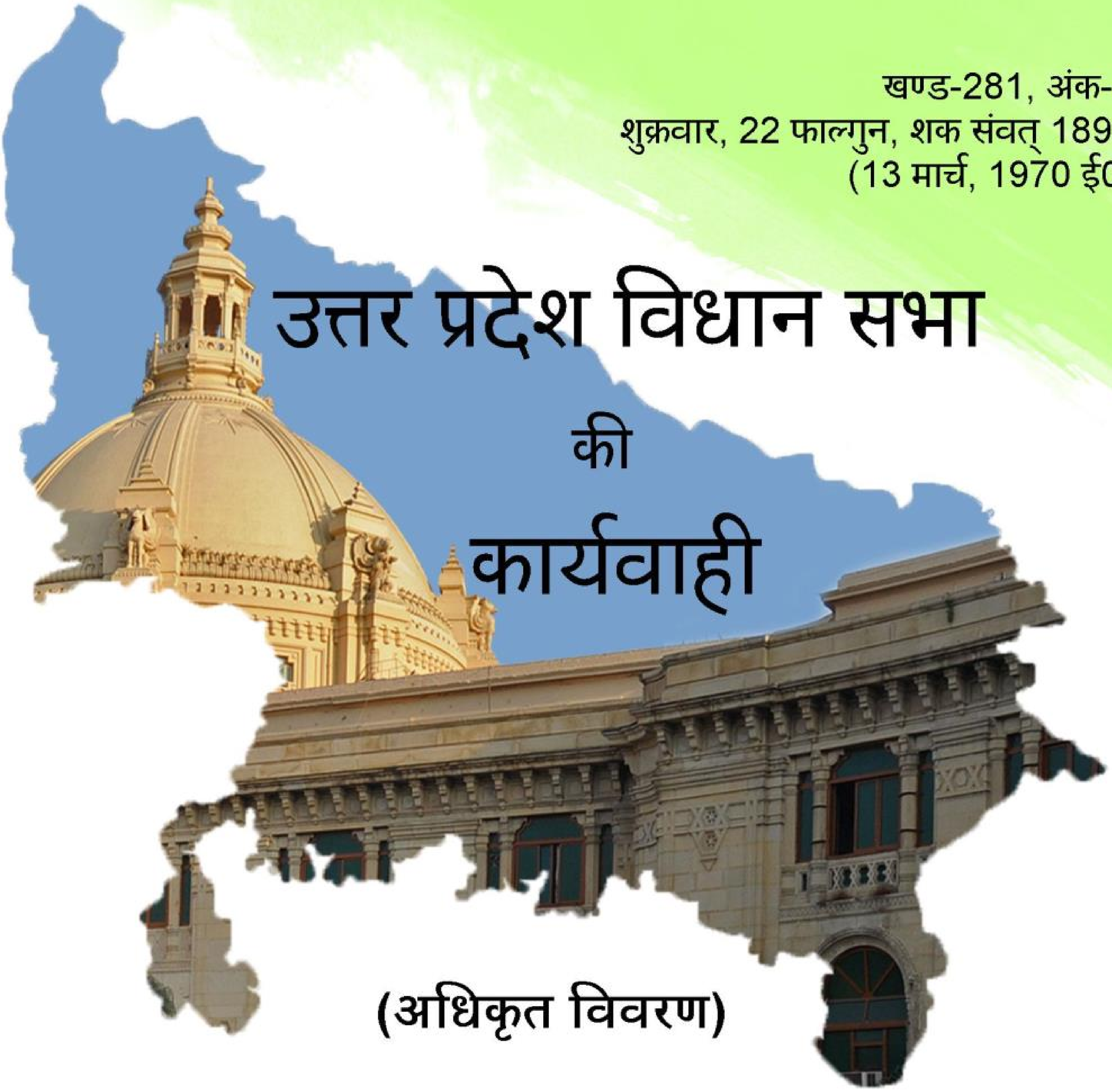

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 281 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१-५
सीलिंग के संबंध में पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का सरकार द्वारा उत्तर देने से इंकार करने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	६-७
प्रश्नोत्तर	८-४०
सीलिंग के संबंध में पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का सरकार द्वारा उत्तर देने से इंकार करने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी) ..	४१-४९
मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना (अनुज्ञा प्रदान की गई-जारी) ..	४९-५०
सीलिंग के संबंध में पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का सरकार द्वारा उत्तर देने से इन्कार करने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	५०
मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना	५१
लोक लेखा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	५१
स्वास्थ्य निदेशक, श्री डी० एन० शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय स्थगित)	५२
२ मार्च, १९७० को श्री नित्यानन्द स्वामी द्वारा पूछे गए एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	५२-५३
उत्तर प्रदेश उपहार वस्तु विधेयक, १९७० (सदन के पटल पर रखा गया) ..	५३
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७० (विचारोपरान्त पारित) ..	५३-६६
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६९ (विचारोपरान्त पारित) ..	६७-७५
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय--जारी) ..	७५-१०७
देवरिया जिला अन्तर्गत सशस्त्र डकैती आदि अपराधों के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	१०७-११४
आगामी कार्यक्रम के संबंध में सूचना	११४-११५
नत्थियां	११६-१२०

विधान सभा

133933

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १३ मार्च, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की, अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--४०९

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्म शाह, राजा
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उपाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम; श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केंदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)

कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभानशर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्रमोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री

नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्त, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
वंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी

रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारीशास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
राम सागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर रफी खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

शकुंतला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव संपत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखवीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह बिष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मोलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री
हुक्मसिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—खाद्य तथा रसद मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र भी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सीलिंग के सम्बन्ध में पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का सरकार द्वारा उत्तर देने से इन्कार करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आप से एक व्यवस्था चाहता हूं। यह समय अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों का है। मेरा प्रश्न भी उसी से संबंधित है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं प्रश्न रखूं।

श्री अध्यक्ष--

क्या बात आप कहते हैं ?

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे--

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न किया था। इसको करीब १० दिन हो गये हैं। उस प्रश्न में मैंने सरकार से यह पूछा था कि उनकी सीलिंग के बारे में क्या नीति है ?

श्री अध्यक्ष--

उसमें क्या हुआ ? क्या आपको जवाब नहीं मिला ?

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे--

मुझे कोई जवाब नहीं मिला और मेरी सूचना यह है कि सरकार ने उस प्रश्न का उत्तर देने से इंकार कर दिया। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। सरकार को अपनी सीलिंग की नीति स्पष्ट करनी चाहिये। यदि उस प्रश्न का ये उत्तर नहीं देते हैं तो इसका यह मतलब है कि भुलावे में डाल रहे हैं लैंड होल्डर्स को भी और लैंडलेस किसानों को भी। ऐसा लगता है कि इनकी उत्तर देने की इच्छा नहीं है। आप श्रीमन्, व्यवस्था दें और सरकार से उस प्रश्न का उत्तर दिलवाएं।

श्री अध्यक्ष--

अल्पसूचित प्रश्न के संबंध में नियम इस प्रकार हैं:--

"यदि मंत्री अल्प सूचना पर उत्तर देने के लिये सहमत हों तो वह तत्काल या तदुपरान्त इतने शीघ्र कार्यसूची में रख दिया जायगा जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें।

यदि संबद्ध मंत्री अल्प सूचना पर उसका उत्तर देने की स्थिति में न हों और अध्यक्ष की यह राय हो कि वह पर्याप्त लोक महत्व का है तो वे निदेश दे सकेंगे कि उसको उस दिन की प्रश्न सूची में प्रथम प्रश्न के रूप में रखा जाय जिस दिन नियम के अनुसार तारांकित प्रश्न के रूप में उत्तर के लिये उसकी बारी है।"

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन और कर दूं कि यह प्रश्न ऐसा है जिस पर सरकार को यह अवसर ही नहीं है कि वह यह कह दे कि यह पब्लिक हित में नहीं है। इसको कहने में वे असमर्थ हैं। यह लोक महत्व का प्रश्न है। इनकी घोषित नीति सीलिंग के विषय में क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके अपना प्रश्न मेरे पास भेज दें।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे--

श्रीमन्, आपके यहां प्रश्न जा चुका है और स्वीकृत हो चुका है। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि रूल्स के अनुसार आप सरकार को बाध्य कर सकते हैं और उत्तर दिला सकते हैं। इसका उत्तर तो बड़ा ही सिम्पिल है।

श्री गोविंद सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)--

श्रीमन्, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर देने से इन्कार कर दिया है। मैं तो केवल इसके बारे में ही पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने व्यवस्था दे दी है।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे--

श्रीमन्, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि क्या यह सूचना सही है कि इन्होंने जवाब देने से इंकार कर दिया है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, समय की दृष्टि से हाइड ऐण्ड सीक का खेल क्यों खेला जा रहा है। सरकार की क्या नीति है और उससे कौन प्रभावित होते हैं, वह स्पष्ट होनी चाहिये। चाहे किसी को मुनाफा हो या नुकसान, नीति स्पष्ट होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास प्रश्न तो भेज दें।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बस्ती)--

यह छपने का प्रश्न नहीं है। उनका कहना यह है कि उन्होंने प्रश्न दिया और सरकार ने उस पर उत्तर देने से इंकार कर दिया। तो आपने उस पर क्या निर्णय लिया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

राजा साहब आपने मुझे फोन किया था और मैंने कहा था कि मैं उनसे कहूं कि प्रश्नों के बाद उत्तर दें।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे----

आपकी आज्ञा है तो मैं प्रश्नों के बाद ही उस प्रश्न को उठाऊंगा।

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १३ मार्च, १९७०

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

लघु कृषक योजना

**१—श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केंद्रीय सरकार की लघु कृषक योजना के अन्तर्गत कुछ जिलों का नाम मांगा गया था ? यदि हां, तो कौन-कौन जिलों का नाम राज्य सरकार द्वारा भेजा गया है और उसका आधार क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)--

यह सही है कि केंद्रीय सरकार ने लघु कृषक योजना के लिये कुछ जिलों के नाम मांगे थे । राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत गोंडा, फतेहपुर, प्रतापगढ़ तथा बस्ती जिलों के नाम भेजे गए थे । जिलों का चयन करते समय निम्नलिखित आधारभूत बातों को ध्यान में रखा गया है:—

(अ) उन्नति करने की क्षमता रखने वाले लगभग ३० हजार से ५० हजार तक छोटे किसानों का एक संहत क्षेत्र में उपलब्ध होना,
(ब) कृषि संबंधी मौलिक सुविधाओं की उपलब्धि,
(स) सहकारी बैंकों से ऋण की उपलब्धि की सुविधा,
(द) वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य वित्तीय स्रोतों से संसाधनों की उपलब्धि ।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि बलिया और गाजीपुर को क्यों छोड़ा गया जहां कि किसान के पास बहुत कम प्रतिशत जमीन है और क्या वे इस मापदण्ड में नहीं आते थे ?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, तत्कालीन सरकार की जो कैबिनेट की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमेटी थी उसमें यह फैसला हुआ । केंद्रीय सरकार ने एक जिले का नाम मांगा था लेकिन यहां से चार नाम भेजे गये थे ।

श्री मैनेजर सिंह--

बलिया के संसद सदस्य, श्री चन्द्रिका प्रसाद जी ने केंद्रीय सरकार के कृषि मंत्री जी से एक पत्र द्वारा सिफारिश की थी और उन्होंने वह खत यहां प्रदेशीय सरकार के पास भेज दिया था तो प्रदेशीय सरकार ने किस आधार पर बलिया जिले को इससे वंचित कर दिया ?

श्री शिवराज सिंह—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है । मेरे पास रिकार्ड में ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

क्या कृषि मंत्री जी को मालूम है कि पिछले दिनों सेंट्रल गवर्नमेंट के पटेल आयोग ने पूर्वी जिलों में गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया और गोरखपुर का नाम दिया था कि ये सिंचाई और गरीबी के लिहाज से पिछड़े हुए हैं और जो नाम भेजे गये वे किस आधार पर भेज गये ?

श्री शिवराज सिंह—

सेन्टर की प्लान सीलिंग से संबंधित एक नई योजना है जिसमें एक नाम मांगा गया था। इस योजना का उस कमीशन से कोई संबंध नहीं है। यह बिल्कुल नई योजना है।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके केंद्रीय सरकार के उस पत्र को रखेंगे जिससे इन आधार भूत बातों का संबंध है ?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, पत्र कोई नहीं है। ४ दिसम्बर, १९५९ को योजना आयोग के कृषि सदस्य, श्री वैंकटैय्या ने छोटे किसानों के लिये एक विशेष परियोजना बनाने के विषय पर वार्तालाप के लिये दिल्ली में कुछ आफिसर्स को बुलाया था और वहां पर कुछ निर्देश दिये थे कि इस आधार पर जिला चुन कर केंद्रीय सरकार को भेजें।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

जिले के चयन के संबंध में जो मापदण्ड रखा गया था उसके आधार पर पर्वत के ८ जिलों में कोई जिला आता है ? यदि हां, तो भविष्य में कोई ऐसी योजना बनेगी तो इस संबंध में मंत्री जी कोई आश्वासन देंगे ?

श्री शिवराज सिंह—

मुझे यह बात स्वीकार है कि इन आधारभूत सिद्धान्तों पर प्रदेश के अन्य जिले आ सकते हैं परन्तु केवल एक जिला भेजना था। एक के स्थान पर प्रदेश सरकार ने ४ जिले भेजे हैं।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

सबसे पिछड़ा हुआ जिला इलाहाबाद है जहां लोग भूखों मरते हैं और प्रधान मंत्री का जिला है। पटेल आयोग के हिसाब से भी वह बहुत पिछड़ा हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद जिला क्यों नहीं रखा गया ?

श्री शिवराज सिंह—

श्रीमन्, मैं उत्तर दे चुका हूं। यह कभी प्लानिंग कमीशन ने नहीं कहा कि सबसे पिछड़ा हुआ जिला भेजा जाय। उन्होंने जो आधारभूत सिद्धान्त बताये थे उन्हीं के आधार पर इन चार जिलों के नाम भेजे गये हैं। इन चार जिलों में वह तमाम आधारभूत बातें हैं इसलिये वह नाम ठीक हैं। हो सकता है कि उनका जिला इनसे ज्यादा पिछड़ा हुआ हो।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

मंत्री जी ने जो सदन को बस्ती जिले को स्वीकार करके सदन को अवगत कराया है कि वहां पर कृषि योजना चालू की जायेगी तो वह योजना किस स्तर पर है और कितना समय लगेगा इस योजना को चालू करने में ?

श्री शिवराज सिंह—

इन चारों जिलों के नाम केंद्रीय सरकार को भेज दिये गये हैं, वहां विचाराधीन हैं अनुमान है कि ७०–७१ में इस योजना पर कार्य प्रारंभ होगा।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

माननीय मंत्री जी को यह पता है कि प्रदेश के २१ जिले पूरे भारतवर्ष में पिछड़े माने गये हैं। तो उनके संबंध में केंद्रीय सरकार को ऐसी सूचना देंगें जिसमें उनका भी नाम आ जाय ?

श्री शिवराज सिंह--

यह एक नया सवाल है। माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो उस पर जरूर विचार करेंगे इस समय तो केन्द्रीय सरकार ने केवल एक नाम इस योजना के अन्तर्गत प्लानिंग कमीशन के आदेशानुसार मांगा था।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

इस योजना का उद्देश्य क्या है और जो खर्च उस पर आयेगा क्या उसमें राज्य सरकार का भी कुछ प्रतिशत है ?

श्री शिवराज सिंह--

यह योजना पूर्णतया केन्द्रीय सरकार से ही पोषित होगी, उन्हीं का रुपया खर्च होगा और इस योजना पर डेढ़, दो करोड़ रुपया खर्च होगा प्रति जिले पर। इसका उद्देश्य यह है कि छोटे किसानों को जहांतक उनकी खेती की पैदावार बढ़ाने का सम्बन्ध है उसको रियलाइज कराना और योजना के माध्यम से, जहां लाभ से वह वंचित रहते हैं वहां लाभ उठा सकें।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

जब केन्द्र ने एक जिला मांगा और उसके साथ तीन जिले और भेज दिये तो क्या यह भविष्य का खयाल रख कर तीन जिले भेजे गये हैं ?

श्री शिवराज सिंह--

हम प्रदेश की ओर से मांग कर रहे हैं कि इस प्रदेश को एक से ज्यादा जिले दिये जायं।

उप कंट्रोलर, लौह एवं इस्पात, श्री यतीश प्रसाद के खिलाफ आरोप

**२--श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप-कन्ट्रोलर, इस्पात रिश्वत के आरोप में निलंबन की आज्ञा के बावजूद भी कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--

उप प्रान्तीय लौह एवं इस्पात कंट्रोलर को निलम्बित किये जाने के कोई आदेश नहीं जारी किये गये हैं।

श्री बसन्त लाल शर्मा--

क्या मंत्री जी उक्त अधिकारी का नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

श्री यतीश प्रसाद।

श्री बसन्त लाल शर्मा--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन श्री यतीश प्रसाद के खिलाफ दिसम्बर, ६८ में राष्ट्रपति शासन के जमाने में अग्रवाल इंडस्ट्रीज, कानपुर की तरफ से एक शिकायत और एक स्मृति-पत्र दिया गया था जिसकी जांच भी हुई थी और उनके निलम्बन के आदेश भी २ मार्च, ६९ को दिये गये थे और क्या वह उन आदेशों के बावजूद अब भी काम कर रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

एक व्यक्ति श्री वेद प्रकाश गुप्त ने उनके खिलाफ १५ अप्रैल, ६९ को शिकायत अवश्य की थी लेकिन उसके फलस्वरूप उनको निलम्बित नहीं किया गया। दुर्भाग्यवश भूतपूर्व उद्योग सचिव २० फरवरी को रिटायर हो गये और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई वह इस समय उपलब्ध नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित है कि जो अधिकारी अवकाश प्राप्त कर गये तो क्या उन के साथ वह फाइल भी चली गई ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मान्यवर, २ दिन से उस फाइल की तलाश हो रही है और उसको तलाश कराने का और अधिक प्रयास किया जायगा ।

श्री मैनेजर सिंह---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि उद्योग सचिव के अवकाश ग्रहण करने के कारण फाइल व इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं मिल रही है तो क्या मंत्री जी इन अवकाश प्राप्त सज्जन को तलब करेंगे और उनके पेंशन के कागजात को रोकेंगे ताकि जो फाइल गायब है, उसका पता लग सकें ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मैं तो बता चुका कि उस फाइल की २ दिन से तलाश हो रही है, यदि वह नहीं मिली तो जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री बसन्त लाल शर्मा---

क्या सरकार को विदित है कि इस अधिकारी के पास एक प्रार्थना-पत्र २२ टन इस्पात के परमिट का दिया गया और जिलाधीश के जाली हस्ताक्षर से २२ टन के बजाय ४० टन का परमिट दिया गया जिस पर शाहजहांपुर में उन के खिलाफ अब भी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

शाहजहांपुर में कोई मुकदमा चल रहा है यह इस प्रश्न से तो पैदा नहीं होता, ऐसी शिकायत है तो माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो देख लेंगे ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस अधिकारी या क्लर्क से वह फाइल गुम हुई है उसके खिलाफ वह कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मैं अभी बता चुका हूं कि इस फाइल की २ दिन से तलाश हो रही है, एक वर्ष पुरानी बात है वह किसी अलमारी में गलती से रख दी गई है, पहले उद्योग सचिव पेंशन पर चले गये हैं अब जांच करके जिसकी जिम्मेदारी होगी उसके खिलाफ ऐक्शन होगा ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

क्या मंत्री जी यह सारी इंक्वायरी जिसका उन्होंने जिक्र किया है और आश्वासन दिया है, वह इन कंट्रोलर साहब को सस्पेंड करने के बाद करायेंगे क्योंकि सदन की निगाह में उनका चरित्र संदिग्ध है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

सम्बन्धित अधिकारी का आचरण संदिग्ध नहीं है। आचरण संबंधी जो उन की रिपोर्ट हैं वे आज तक की सभी अच्छी हैं और उन की किसी प्रकार की कोई शिकायत हमारे पास नहीं है ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप उन्हीं आदमियों को चाहते हैं. . . .

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें ।

श्री सुखपाल पांडेय---

आप उन्हीं को समय देते हैं जिन को आप चाहते हैं। मैं आप से कहना चाहता हूं कि कुछ आदमियों को ही चुन लिया जाय जिन को प्रश्न करने का अवसर देना है, हमारे साथ आप पक्षपात और सौतेला व्यवहार करते हैं और बार बार खड़े होने पर आप की दृष्टि हम तक . . .

एक सदस्य---

यह शब्द अध्यक्ष के खिलाफ है, वह वापस लें ।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपा कर के अपने शब्द वापस लें ।

श्री सुखपाल पांडेय---

वह मैं वापस लेता हूं लेकिन मेरा कहना है कि आप स्वयं ऐसा अवसर न दें। अपरिचित लोगों पर भी आप की कृपा होनी चाहिये। अभी तक मैं कम से कम पचासों बार उठा बैठा कि आप की दृष्टि पड़ जाय लेकिन वह नहीं पड़ती ।

राज्य कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग

**३---चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री चन्द्रभानु गुप्त की पिछली सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिये जिस वेतन आयोग का गठन किया है, उसका कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा और उसकी रिपोर्ट सरकार को कब तक प्राप्त हो जाने की आशा है ?

वित्त मंत्री (श्री बलवीर सिंह)---

यह आयोग पर ही निर्भर है कि वह अपना कार्य कब से प्रारम्भ करेगा। आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कोई समय निर्धारित नहीं है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य कर्मचारियों में व्यापक असन्तोष है, क्या माननीय मंत्री जी वेतन आयोग से अनुरोध करेंगे कि वह अपनी रिपोर्ट एक माह के अन्दर दे दे ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---

वेतन आयोग से इस तरह की दरख्वास्त करना मुमकिन नहीं होगा। अभी तो वेतन आयोग के जो मेम्बर्स हैं, उनमें से बहुतों की स्वीकृति भी नहीं आयी है और जब गवर्नमेन्ट ने चार्ज लिया उसके पहले जो अध्यक्ष मनोनीत किये गये थे, उन्होंने चार्ज ले लिया था। वैसे अभी तक यह सरकार विचार नहीं कर पायी कि यह वेतन आयोग कायम रहे या न रहे ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस वेतन आयोग के विचारणीय विषय क्या हैं ?

श्री बलवीर सिंह---

अध्यक्ष महोदय, आयोग के विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगें :---

(१) राज्य सरकार के कर्मचारियों की उपलब्धियों के वर्तमान ढांचे पर विचार करना और अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यों के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुये अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये एक न्यूनतम निर्वाह वेतन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसके पुनरीक्षण की सिफारिश करना ।

(२) इसी प्रकार की सिफारिश स्थानीय निकायों (जिला परिषदों, टाउन एरिया और नोटफाइड एरिया समितियों, नगरपालिकाओं और महापालिकाओं) के कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी करना ।

(३) साधनों की उपलब्धता तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने के निमित्त की गयी बचनबद्धताओं को दृष्टिगत रखते हुये उपर्युक्त (१) और (२) के संबंध में की गयी सिफारिशों के फलस्वरूप होने वाले अतिरिक्त व्यय को वहन करने के लिये राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों को क्या कदम उठाने चाहिये, इनके सम्बन्ध में अपने सुझाव देना ।

(४) ऐसे विशिष्ट मामलों पर, जो शासन के वित्त विभाग द्वारा आयोग को भेजे जायं, विचार करना और सलाह देना ।

(५) आयोग अन्तरिम रूप से सहायता दिये जाने की मांगों पर विचार कर सकता है और उन पर अपनी आख्या शासन को भेज सकता है । यदि आयोग किसी अन्तरिम सहायता दिये जाने की सिफारिश करता है तो उसको यह भी बतलाना चाहिये कि यह सहायता किस दिनांक से दी जाय और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय इस अतिरिक्त व्यय को किस प्रकार वहन करेगी ।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जब पहले प्रश्न किया गया था तो माननीय वित्त मंत्री ने आयोग के सदस्यों के नाम भी पढ़ दिये थे, अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया कि कुछ सदस्यों ने अपनी स्वीकृति नहीं दी है, तो अभी कौन सी चीज पर विचार हो रहा है ?

श्री चरण सिंह—

पहले तो नाम पूछे गये थे वे बतला दिये गये थे, उस वक्त स्वीकृति का क्या सवाल था? जिस दिन कैबिनेट में यह मामला आया था उस वक्त तक सब की स्वीकृति नहीं आयी थी । विचार इस बात पर हो रहा है कि यह वेतन आयोग काम करे या न करे, इसकी जरूरत है या नहीं । इस पर विचार हो रहा है ।

श्री गोविन्दसिंह—

पुनर्विचार किस बात पर माननीय मुख्य मंत्री कर रहे हैं जो टर्म्स आफ रेफरेन्स हैं उसमें कुछ परिवर्तन पर या आयोग के गठन पर ही ?

श्री चरणसिंह—

सारे प्रश्न पर ही विचार हो रहा है । वेतन आयोग की जरूरत है भी या नहीं । टर्म्स आफ रेफरेन्स कम भी हो सकते हैं, माडीफाई भी हो सकते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

इस आयोग के गठन अथवा उसकी आवश्यकता के प्रश्न पर पुनर्विचार करते समय, इस बात को ध्यान में रखते हुये कि कर्मचारियों का वेतन आज उनके जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, क्या किसी दूसरे प्रकार के आयोग की स्थापना के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, किसी दूसरे आयोग की आवश्यकता पर सरकार विचार नहीं कर रही है । जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिये, हर एक की यह एक बड़ी भारी प्राब्लम है, बड़ी भारी समस्या है । अतः वेतन आयोग ही इसका हल नहीं हो सकता । समस्या तो यह है कि पैसा आयेगा कहां से ?

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

यह कब तक तय हो जायेगा कि आयोग को बिठाने की जरूरत है या नहीं ?

श्री चरणसिंह---

जल्दी तय हो जायेगा ?

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों को उनकी जीवन की आवश्यकतानुसार उनको वेतन नहीं मिलता, इस सवाल को लेकर आयोग गठित किया गया था । तो माननीय मुख्य मंत्री इस प्रश्न पर क्या तब विचार करेंगे जब कर्मचारी आन्दोलन शुरू कर देंगे और उनमें बेचैनी बढ़ जायेगी, या उसके पहले करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

आप यह तो पहले बतलाइये कि आन्दोलन कब शुरू होने वाला है । (हंसी)

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

पिछली कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार कि जब जब केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ायेगी, यह सरकार भी बढ़ायेगी, क्या सरकार कम से कम २० रुपये समस्त कर्मचारियों को न्यूनतम राहत देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह---

अभी तो सारा प्रश्न यही विचाराधीन है कि आयोग गठित हो या न हो । अभी उसे देने का क्या सवाल है ।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)---

क्या इस प्रश्न पर विचार सरकार करेगी कि इस आयोग की आवश्यकता ही नहीं है, इसे समाप्त कर दिया जाय ?

श्री चरणसिंह---

मैं तो जवाब दे चुका । मैं अभी किसी राय पर नहीं पहुंचा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार के निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या वित्त मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री चरणसिंह---

जरूरत यह हुई कि सरकार दूसरी बन गई ।

दारुलशफा डिस्पेन्सरी, लखनऊ

**४---श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतावेंगे कि दारुलशफा, लखनऊ में स्थित डिस्पेन्सरी के लिये शासन द्वारा सन् १९६७-६८, १९६८-६९ व १९६९-७० में दवाइयों की खरीद के लिये कितना-कितना रुपया, प्रतिवर्ष दिया गया ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अनवार अहमद)--

दारूलशफा डिस्पेंसरी के लिये वर्ष १९६७-६८, १९६८-६९ व १९६९-७० में दवाइयों के लिये प्रतिवर्ष क्रमश: ८६,००८ रु०, १०,००० रु० व २५,००० रु० दिया गया। इसके अतिरिक्त इन्हीं वर्षों में इस डिस्पेंसरी के लिये प्रतिवर्ष क्रमश: १५,७१२ रु० ९६ पै०, ३६,४२८ रु० ९२ पै० व ६८,२०४ रु० ३ पैसे के मूल्य की दवाइयां केन्द्रीय औषधि भंडार से सप्लाई की गयी।

श्री इन्द्रलाल--

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे जब सन् ६९-७० में २५ हजार रुपये के अतिरिक्त ६८ हजार २ सौ रुपये की दवाएं केन्द्रीय औषधि भंडार से दी गई हैं, इस प्रकार कुल ९३ हजार रुपये के करीब की दवाएं दी गइं और जब कि सन् ६८-६९ में १० हजार और ३६ हजार ४२८ रुपये की दवाएं दी गई थीं, किन्तु उस समय विधायकों को अच्छी तरह दवाएं मिलतीं थीं जबकि उस समय कम अनुदान और दवाएं थीं, तो क्या इसको बतलाने की कृपा करेंगे कि जो दवाएं और सुविधाएं विधायकों को ६८-६९ में दी जाती थीं, वे आज कतई विधायकों को नहीं दी जा रही हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री अनवार अहमद--

सन् १९६७-६८ में जो ज्यादा अनुदान दिया गया, उसका कारण यह था कि उसे कई पहले के बिलों का पेमेन्ट करना था। यदि ऐसी कोई परेशानी देखी जाएगी कि उनको कोई परेशानी हो रही है तो उस पर तुरन्त कार्यवाही की जायगी, और ठीक से अमल किया जाएगा।

श्री इन्द्रलाल--

अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से प्रश्न यह जानना चाहा कि सन् ६८-६९ में ४६ हजार का अनुदान था और अच्छे प्रकार से सुविधाएं विधायकों को मिलती थीं, किन्तु ६९-७० में जब कि २५ हज़ार के अतिरिक्त ६८ हजार २०४ रुपये की दवाएं केन्द्रीय औषधि भंडार से लेकर दी गईं, तो विधायकों को अच्छी दवा और सुविधा नहीं मिल पाती है, तो मैं यहां पर आप से मालूम करना चाहूंगा कि यह दवाएं विधायकों को न मिलकर आखिर जा कहां रही हैं?

श्री अनवार अहमद--

जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि वह दवाएं विधायकों को नहीं मिलकर और कहीं जा रही हैं, यदि कोई ऐसी शिकायत मेरे सामने लाई जाएगी तो उसकी पूरी जांच की जाएगी। किन्तु सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(श्री रामलखन सिंह का नाम न पुकारे जाने पर)

श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, आप इधर देख ही नहीं रहे हैं, मैं खड़ा हो रहा हूं बार-बार। आप उस तरफ के आदमियों को ही बार-बार बुला रहे हैं। इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब पहले डिस्पेंसरी को कम अनुदान और कम रुपये की दवाएं मिलती थीं तो उस समय विधायकों को अधिक दवाएं और सुविधाएं प्राप्त थीं और उसके विपरीत सन् ६९-७० में जब कि अधिक रुपये की दवाएं और अधिक अनुदान प्राप्त हुआ है सुविधाएं नहीं मिलती हैं, दवा नहीं मिलती है, इसका क्या कारण है? यदि हां, तो क्या इस बात की व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे कि विधायकों को पूर्ववत् दवाएं मिल सकें?

श्री अनवार अहमद—

जिस चीज की जानकारी होगी, उसकी अवश्य जांच की जायगी। जो सुविधाएं मिलनी चाहिएं नहीं मिल पा रही हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि पूरी सुविधा सदस्य लोगों को मिले।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि ऐसी दवा जो उस डिस्पेंसरी में उपलब्ध न हो और उसे बाजार से लेना पड़े, उसकी स्वीकृति मिलने में ८–८, १०–१० और १५–१५ दिन लग जाते हैं ?

श्री अनवार अहमद—

इसकी सूचना प्राप्त करनी पड़ेगी। यदि ऐसा होगा तो प्रबन्ध किया जाएगा जिससे आगे ऐसा न हो।

श्री रामधारी शास्त्री—

मैं आपके द्वारा सूचना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दे दीजिये।

श्री रामकुमार शास्त्री—

क्या माननीय मंत्री जी को अच्छी तरह से मालूम है कि विधायकों के कई निवास हैं और जिस डिस्पेंसरी का जिक्र है, उसके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं और नाना प्रकार की असुविधायें विधायकों को होती हैं और यह भी शिकायत है कि पहले ज्यादा शिकायत नहीं थी, मुझको शिकायत नहीं है लेकिन जो नये डाक्टर साहब आये हैं उससे और भी असुविधा बढ़ गयी है ?

श्री अनवार अहमद—

मैंने सारे सम्मानित सदस्यगण को विश्वास दिलाया है कि इस बात का पूरा प्रयास किया जा रहा है और बहुत कुछ इस दिशा में कोशिश की जा रही है कि जो कठिनाइयां थीं भी वे भविष्य में न रहने पाएं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या इस प्रश्न के उपस्थित होने से मंत्री जी नहीं समझते हैं कि स्वयं विधायकों को ऐसी शिकायत है कि दवा नहीं मिलती, तो क्या इस शिकायत को काफी समझ कर वह जांच करवायेंगे ?

श्री अनवार अहमद—

जरूर जांच होगी, और बहुत जल्द कार्यवाही की जायगी।

श्री इन्द्रलाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री मेरे इस प्रश्न को सूचना मान कर कि १९६९–७० में ६८ हजार रुपये की जो दवाएं केन्द्रीय औषधि भंडार से सप्लाई की गयी हैं इनमें जो अधिक कीमत की दवाएं थीं वह किस प्रकार की थीं और किन को सप्लाई हुई, क्या इस बात की जांच करने का कष्ट करेंगे ?

श्री अनवार अहमद—

माननीय सदस्य अगर लिख कर शिकायत देंगे तो जरूर जांच करवायी जायगी।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जब यह लखनऊ दारुलशफा के अस्पताल की हालत है, प्रदेश के अन्य अस्पतालों में भी ऐसी शिकायतें हैं, तो क्या मंत्री जी उन दवाओं पर सरकार की मुहर लगा देंगे जिससे दूकानों पर न बिक सकें ?

श्री अध्यक्ष—

दूसरे हिस्से का जवाब दीजिये ।

श्री अनवार अहमद—

जहां तक इस सरकार को पता है दवाओं पर मुहर लगती है लेकिन यह बात भी सही है कि जैसा प्रबन्ध होना चाहिये नहीं है । सरकार के इल्म में आया है कि दवाएं चोरी हो जाती हैं । सरकार पूरी तरह से ध्यान दे रही है । सरकार के विचार में तमाम बातों पर काबू पा लिया जायगा ।

लखनऊ मेडिकल कालेज को शासन के अधीन लेने का सुझाव

**५—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि लखनऊ मेडिकल कालेज को सरकार के अधीन लेने की कोई योजना उसके विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और किन-किन कारणों से ?

श्री अनवार अहमद—

लखनऊ मेडिकल कालेज को शासन के अधीन लेने की कोई योजना अभी शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अभी नहीं है तो भविष्य में कब है ?

श्री अनवार अहमद—

इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या विचार होगा ।

श्री हबीबुर्रहमान—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मेडिकल कालेज के ऊपर सरकार का कितना रुपया खर्च होता है ?

श्री अनवार अहमद—

इसकी सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री यह बताएंगे कि संविद सरकार के समय में यह निश्चय किया गया था कि लखनऊ मेडिकल कालेज को अलग कर दिया जाय, सरकार अपने हाथ में ले ले, लेकिन इसका बड़ा विरोध हुआ था इसलिए सरकार ने उस निश्चय को रद्द कर दिया था ।

श्री अनवार अहमद—

इन तमाम बातों के लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

जिला परिषदों का कार्यकाल

**६—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषदों का कार्यकाल आगामी ३१ मार्च, को समाप्त होने वाला है ? यदि हां, क्या सरकार कार्यकाल बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री शिवराज सिंह—

जी हां।

प्रदेश में जिला परिषदों को भंग किये जाने के लिये "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७०", सदन में पुर:स्थापित किया जा चुका है। अत: कार्यकाल बढ़ाये जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही नया चुनाव कराने में वह क्या कठिनाई अनुभव कर रहे हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

जैसा मैंने निवेदन किया, यह विधेयक क्षेत्रीय समिति और जिला परिषदों का सदन में प्रस्तुत है और आज कार्य सूची पर विचारार्थ और पारित होने के लिये आपके सामने है। अब जो सदन का निर्णय होगा उसके अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या माननीय मन्त्री जी क्षेत्रीय समितियों को भी समाप्त करने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री शिवराज सिंह—

इस समय यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है। यदि माननीय सदस्य सुझाव देंगे तो सरकार अपना कर्त्तव्य समझती है कि जो सुझाव आयें उन पर विचार किया जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

जिस विधेयक का जिक्र माननीय मन्त्री जी ने किया है उसमें सिर्फ जिला परिषदों का जिक्र है तो क्षेत्रीय समितियों का कार्यकाल कितने दिन और वह बढ़ाने का विचार कर रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं ?

श्री शिवराज सिंह—

यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

मन्त्री जी बतायेंगे कि ग्राम सभा और क्षेत्रीय समितियों का अधिक से अधिक कितने समय में निर्वाचन कराकर जिला परिषदों का गठन हो जायगा ?

श्री शिवराजसिंह—

प्रस्तुत विधेयक में यह कहा गया है कि शीघ्र कराने की चेष्टा की जायगी। इस विधेयक में दो वर्ष का कार्यकाल मांगा गया है। हम आशा करते हैं कि इससे पूर्व ही सब व्यवस्था हो जाय।

श्री कल्यान सिंह—

वह शीघ्र से शीघ्र कब तक करा देंगे, यह हम निश्चित रूप से जानना चाहते हैं।

श्री शिवराज सिंह---

निश्चित समय देना सदन में सम्भव नहीं है। मैं केवल आश्वासन दे सकता हूं। हम शीघ्र से शीघ्र प्रयास कर रहे हैं कि जल्द ही यह काम हो।

श्री रामकुमार शास्त्री---

क्या मन्त्री जी इसलिये उनका शासन काल नहीं बढ़ा रहे हैं और यह विधेयक लाने का मौका आया है कि आजकल जिला परिषदों का जो कार्यकाल चल रहा है वह असन्तोषजनक है ?

श्री शिवराज सिंह---

मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

क्या विकास मन्त्री जी बतायेंगे कि क्षेत्रीय समिति और जिला परिषदों का गठन एक ही समय में हुआ था, तो जो जिला परिषदों के अध्यक्ष थे उनको हटाया जा रहा है और जो प्रमुख थे उनको रखा जा रहा है ? यह दोनों में भेदभाव किस लिये किया जा रहा है ?

श्री शिवराज सिंह---

मान्यवर, मैं इससे पूर्व भी इस आदरणीय सदन में कह चुका हूं कि प्रदेश की ५१ जिला परिषदों में से ३७ जिला परिषदों के सम्बन्ध में गंभीर आरोप सरकार को प्राप्त हो चुके हैं और उनका कार्य-संचालन संतोषजनक नहीं है जिसकी वजह से इस विधेयक को लाने की जरूरत पड़ी है।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)---

जो जिला परिषदें खत्म होंगी क्या उसके लिये कोई एडवायजरी कमेटी बनेगी जिसके द्वारा जिला परिषद् का प्रशासन दो वर्ष तक चले ?

श्री शिवराज सिंह---

माननीय सदस्य इस विधि का अवलोकन कर लें उससे उनको सारी स्थिति अवगत हो जायगी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंचेज स्थापित करने के सम्बन्ध में ला कमीशन की रिपोर्ट

**७---श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री एम० सी० सीतलवाड़ की अध्यक्षता में ला कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि प्रान्त में हाईकोर्ट की बेंच नहीं होनी चाहिये और न हाईकोर्ट की नई बेंच खुलना चाहिये ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त रिपोर्ट के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को समाप्त करने का प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री बलवीर सिंह---

हाईकोर्ट बेंचों की स्थापना के सम्बन्ध में ला कमीशन आफ इन्डिया की चौदहवीं रिपोर्ट इस प्रकार है:---

"We had earlier occasion to make a Report on the desirability of the High Court of a Sate sitting in benches at different places in the State. We

श्री बलबीर सिंह—

then reached the conclusion that the efficiency of the administration of justice should be the paramount consideration governing this matter and that this consideration weighed overwhelmingly against the creation of benches of the High Courts. The structure and composition of the courts should not be permitted to be influenced by political considerations. That this has happened in the past in certain cases can be no valid ground for the extension of that policy. We are of the view that we should firmly set our face against the constitution or creation of benches. Such a course would lead to an impairment of the efficiency of the High Court with the inevitable consequence of the lowering of the standards of administration of justice. Since the Report was made, we have visited all the principal centres where the High Courts sit and the evidence given before us has confirmed us in the veiw taken by us in that Report. We reaffirm the reasons given and the conclusions stated in that Report in regard to this question."

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को समाप्त करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(....मंत्री द्वारा अंग्रेजी में उत्तर का कुछ अंश पढ़ने पर)

श्री रामगोपाल संड—

सदन की भाषा हिन्दी है। माननीय मंत्री हिन्दी में उत्तर पढ़ें।

श्री बलबीर सिंह—

ला कमीशन की बात पूछी गयी है। वह अंग्रेजी में है। उसका तर्जुमा हिन्दी में है। इसलिये मैं अंग्रेजी में उत्तर पढ़ रहा हूं।

श्री रामगोपाल संड—

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अन्दर हिन्दी अनुवाद है, हो सकता है कि यहां के पुस्तकालय में न हो।

श्री बलबीर सिंह—

मेरे पास नहीं है। जैसा उत्तर आया है उसे अगर आप सुनना नहीं चाहते तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष—

हिन्दी का अनुवाद उसके साथ दिया हुआ है आप हिन्दी का अनुवाद पढ़ दीजिये।

श्री बलबीर सिंह—

मैं हिन्दी का अनुवाद पढ़े देता हूं, लेकिन बाद में किसी को एतराज न हो कि मैंने अनुवाद क्यों पढ़ा?

हाईकोर्ट की बेन्चों की स्थापना के सम्बन्ध में ला कमीशन आफ इन्डिया की चौदहवीं रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है—

"हमें राज्य के विभिन्न स्थानों में किसी राज्य के हाईकोर्ट (उच्च न्यायालय) की बेंचों की स्थापना की वांछनीयता के संबंध में इससे पहिले भी रिपोर्ट देने का मौका मिला है। उस

समय हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि इस विषय की निर्णायक आधारशिला न्याय प्रशासन की कुशलता ही होनी चाहिये। और यह विचार हाईकोर्ट की बेंचों के सृजन के अत्याधिक प्रतिकूल पड़ता है। न्यायालयों की संरचना तथा संघटन को राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित न होने देना चाहिये। यह बात कि पहले कुछ मामलों में ऐसा हो चुका है उस नीति के विस्तार के लिये मान्य आधार पर नहीं हो सकती। हमारा यह मत है कि हमें बेंचों के गठन और सृजन के विरुद्ध सुदृढ़ रुख अपनाना चाहिए। इस प्रकार की कार्यविधि से हाईकोर्ट की कार्य-कुशलता को क्षति पहुंचेगी और इसका अनिवार्य परिणाम न्याया प्रशासन के स्तर को नीचे गिराना होगा। रिपोर्ट देने के बाद से हम उन सभी प्रमुख केन्द्रों का निरीक्षण कर चुके हैं जहां हाईकोर्ट कार्य करते हैं और हमारे सामने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उससे उस रिपोर्ट में जो मत व्यक्त किया गया था उसके सम्बन्ध में हमारी धारणा और भी पुष्ट हुई है। हम इस प्रश्न के संबंध में उस रिपोर्ट में दिये गये कारणों तथा व्यक्त किये गये निष्कर्षों की पुनः पुष्टि करते हैं।"

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या मन्त्री जी इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के खोलने पर विचार करते समय ला कमीशन की रिपोर्ट की बात मानते हुये यह निर्णय लेने की कोशिश करेंगे कि दूसरी बेंच न खोलें ?

श्री बलवीर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, एक दिन पहले भी मैं माननीय सदस्य के इसी प्रकार के प्रश्न का जवाब दे चुका हूं, इसके संबंध में और आज भी देता हूं कि जब हम निर्णय लेंगे तो संबधित जो राय और बातें होंगी उन पर अवश्य विचार करेंगे। यह नहीं है कि हम ऐसा मान लें कि आवश्यक मानें।

श्री राजितराम पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, जब एक आयोग की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि लखनऊ बेंच तोड़ दी जाय और कोई न खोली जाय तो इसको मान लेने में मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और कह देना चाहिये कि नहीं खोली जायगी। टाल-मटोल का सवाल ठीक नहीं है। मैं उनसे कहूंगा कि राजनीति को इसमें न जोड़ें।

श्री अध्यक्ष—

आप का उपदेश अच्छा साबित हो गया।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

यह जो यूनाइटेड प्राविंसेज अमलगेमेशन आर्डर, १९४८ जिसमें इलाहाबाद बेंच की स्थापना के लिये सिफारिश की गई थी कि लखनऊ में कायम रहे लेकिन यह भी था कि सुल्तानपुर, फैजाबाद आदि जिलों को हाई कोर्ट में मिला दिया गया था और यह आदेश था कि धीरे-धीरे लखनऊ बेंच को समाप्त कर दिया जायगा। तो क्या इस समय प्रदेश में गोरखपुर, मेरठ आदि में बेंच खोलने की बात चल रही है, इस भावना को समाप्त करने के लिये क्या सरकार समझती है कि लखनऊ बेंच को समाप्त करक केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट को ही रहने दें इस पर विचार करेगी ?

श्री बलवीर सिंह—

यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि ऐसा कोई विचार नहीं हो रहा है।

जोत बही

**८—श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर) तथा श्री चेतराम गंगवार—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह काश्तकारों को दी जाने वाली जोतबही में शामिल खातों की दशा में सम्बन्धित भागीदारों का हिस्सा में अंकित करने की व्यवस्था कर रहे हैं?

खाद्य उप मन्त्री (श्री रामकिंकर)—

जी नहीं।

श्री जंगबहादुर यादव—

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि जिलों में जोतबही बांटी गई हैं तो किसी काश्तकार के अलग-अलग मौजों में अलग-अलग खेत हैं तो हर मौजे के लिये अलग-अलग जोतबही दी गई है उसमें काश्तकार का काफी खर्चा होता है? क्या इसको रोकने के लिये एक जोतबही दिलाने का आदेश देंगे?

श्री रामकिंकर—

मान्यवर, इस प्रकार की कोई सूचना अभी नहीं है।

श्री चेतराम गंगवार—

मैं यह जानना चाहता हूं कि मैंने, मंत्री जी ने और वर्मा जी न एक जमीन खरीदी और उस पर हिस्सा तस्दीक नहीं कराया गया तो कैसे समझा जायेगा कि कौन आधे का मालिक है कौन चौथाई का मालिक है?

श्री अध्यक्ष—

इसमे क्या है?

श्री चेतराम गंगवार—

इसमें हिस्से रहना चाहिये क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि सारे हिस्से बराबर हों।

श्री रामकिंकर—

जोतबही खतौनी का उद्धरण है। हिस्से उसमें नहीं होंगे।

श्री चेतराम गंगवार—

क्या जोतबही में खसरा और खतौनी दोनों के उद्धरण नहीं रहेंगे?

श्री रामकिंकर—

जी नहीं।

श्री कल्यान सिंह—

क्या राजस्व मंत्रीजी बतलायेंगे कि किसानों की कठिनाइयां दूर करने के लिये यह प्रत्येक खातेदार को अलग-अलग जोतबही देंगे और उसमें एक खाने में ऋण आदि दर्ज होने की व्यवस्था होगी?

श्री रामकिंकर—

मान्यवर, जहांतक खातेदार का सम्बन्ध है केवल सहखातेदार को देना कम्पलसरी है। दूसरे खातेदार फीस जमा करके ले सकते हैं।

श्री दीपनारायण मणि—

जितने हिस्सेदार हैं क्या उनके हिस्से इसमें लिखे जायेंगे ?

श्री रामकिंकर—

जी नहीं।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

बहुत से भूमिहीन ऐसे हैं जो कि आबाद हैं लेकिन सरकारी कागजात में उनका नाम दर्ज नहीं है। तो क्या उनके नाम जोतबही में दर्ज कराने की व्यवस्था की जावेगी ?

श्री रामकिंकर—

मान्यवर, यह तो भूमिधर और सीरदारों के लिये है। इसमें भूमिहीन का सवाल ही नहीं है।

श्री चेतराम गंगवार—

मैं मंत्रीजी को अपना प्रश्न समझा नहीं पाया। मेरा सीधा-सादा प्रश्न था। अगर मंत्रीजी हिस्से अलग-अलग दिखाने की व्यवस्था नहीं करेंगे तो बेचते समय किसान को पटवारी के पास दौड़ना पड़ेगा जो कि ठीक नहीं है। तो किसानों के हिस्से लिखे होने चाहिये।

श्री चरण सिंह—

अगर हिस्से पहले खेवटों में मिलते थे लेकिन खतौनी में नहीं थे। अब खेवट और खतौनी के बजाय केवल जोतबही रहेगी। इसमें हिस्से नहीं रहेंगे लेकिन जहां-जहां चकबन्दी हो गई है वहां हर हिस्सेदार ने अपने हिस्से अगल करा लिये हैं। लेकिन अगर किसी ने नहीं कराया है तो सरकार के लिये यह बड़ा मुश्किल होगा कि अपने आप मुकदमें दायर कराये और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स करायें। इन्टरेस्टेड आदमी अदालत से ऐसा करा सकता है।

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

मैंने निवेदन किया है कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जोतबही में हिस्साकशी होने में क्या परेशानी है। हिस्साकशी उसमें अवश्य होनी चाहिये। चकबन्दी में यह है और साथ ही मुश्तरका खाते में भी यह लिखी गई है। इसमें रखने में उनको क्या परेशानी है ?

श्री राम किंकर—

मान्यवर यह तो खतौनी का उद्धरण है और अगर खतौनी में लिखा गया होगा तो इसमें भी आयेगा, लेकिन जहां तक कि हिस्साकशी का सवाल है वह अधिनियम में है।

स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के बच्चों को पढ़ाने के लिए सहायता

**९—श्री राम लखन सिंह तथा श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों के बच्चों को निम्नलिखित कक्षाओं में पढ़ने के लिये कितनी-कितनी सहायता प्रतिमास दी जाती है और कब दी जाती है ?

नोट:—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कक्षा नौ और दस,
कक्षा ग्यारह और बारह,
बी० ए०,
एम० ए०,
बी० एड० (बी० एड०)
एम० एड० (एम० एड०) ।

खाद्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

शासन द्वारा अपनायी गई स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों तथा उनके बच्चों आश्रितों को आर्थिक सहायता संबंधी योजना के अन्तर्गत ऐसे छात्रों को मासिक छात्र वेतन देने का प्राविधान निम्न प्रकार है :—

कक्षायें	मासिक छात्र-वेतन की दरें	स्वीकृत किये जाने वाले कुल छात्र-वेतन की संख्या
	रु०	संख्या
९–१०	१२–००	१००
११–१२	२०–००	२४८
डिग्री (जिसमें बी० ए०, तथा बी० एड० भी शालिम है)	३०–००	१५२
पोस्ट डिग्री (जिसमें एम० ए० तथा एम० एड० भी शामिल है) ।	३५–००	१२०

उपर्युक्त योजना के नियमों के अन्तर्गत उपर्युक्त छात्रवेतनों की स्वीकृति ३० नवम्बर, तक प्रदान कर देनी चाहिये ।

एडवोकेटों की इनरोलमेंट फीस समाप्त करने पर विचार

**१०—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या न्याय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या सरकार नये एडवोकेटों के इनरोलमेंट के सम्बन्ध में पांच सौ रुपये फीस को समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलवीर सिंह—

यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

गन्ना क्रशरों पर कर लगाने की योजना

**११—श्री तेज नरायन (जिला खीरी), श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी), श्री माखनलाल (जिला खीरी) तथा श्री सेवाराम (जिला खीरी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश गन्ने के असुरक्षित क्षेत्र में लगे हुये क्रशरों पर गन्ना क्रय-कर लगाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो सरकार इससे कितनी अनुमानित आय सोच रही है ?

श्री बीरेन्द्र वर्मा—

जी हां। अनुमानित आय लगभग रु० ३५ लाख वार्षिक है।

**१२—श्री तेज नरायन, श्री छेदालाल चौधरी, श्री माखनलाल तथा श्री सेवाराम—

क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेंगी कि उत्तर प्रदेश गन्ने के सुरक्षित क्षेत्र में लगे हुये क्रशरों पर गन्ना-क्रय कर से कितनी आय सरकार को होती है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

पेराई सीजन १९६८–६९ में रु० ५९.१६ लाख आय हुई।

महाराजगंज इण्टर कालेज के शिक्षकों को वेतन न मिलना

**१३—श्री श्यामलाल कनौजिया, (जिला आजमगढ़), श्री दलसिंगार (जिला आजमगढ़) तथा श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला आजमगढ़ के उत्तरांचल में स्थित महराजगंज इन्टर कालेज के शिक्षकों व कर्मचारियों का ११ माह से २० माह तक का वेतन बकाया है और इसके लिये शिक्षक जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ के कार्यालय के समक्ष १६ फरवरी, १९७० से क्रमिक अनशन भी कर रहे हैं तथा शिक्षक श्री लक्ष्मीकान्त मिश्र व पुस्तकाध्यक्ष श्री चन्द्रिका लाल दिनांक २६ फरवरी, १९७० से आमरण अनशन कर रहे हैं? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री श्रीपति मिश्र—

अनशन २७ फरवरी, १९७० को समाप्त हो गया है और संस्था का कार्य सामान्य रूप से चल रहा है। हाकिम परगना सगड़ी विद्यालय के रिसीवर हैं और वेतन भुगतान की व्यवस्था की ओर ध्यान दे रहे हैं।

बिक्री-कर को सरल करने का सुझाव

**१४—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार व्यापारियों की मांग पर प्रदेश में बिक्री-कर को एक सूत्री तथा सरल करने का विचार कर रही है?

श्री बलबीर सिंह—

प्रदेश की बिक्री-कर प्रणाली को पूर्णतया एकसूत्रीय करने का शासन का कोई विचार नहीं है। प्रणाली को सरल करने के अन्य सुझावों पर समय-समय पर विचार किया जाता है।

**१५—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार जनरल मर्चेन्डाइज की सभी वस्तुओं पर एक सूत्री बिक्री-कर लगाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री बलबीर सिंह—

खाद्यान्नों पर १/२ प्रतिशत नहीं वरन् १ १/२ प्रतिशत की दर से एक सूत्रीय क्रय कर लगता है। आटे पर २ प्रतिशत की दर से एक-सूत्रीय केवल बिक्री-कर ही लगता है। शासन का इस कर को समाप्त करने का कोई विचार नहीं है।

**१६—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार ने खाद्यान्नों पर एक १/२ प्रतिशत सूत्रीय क्रय-कर लगाने के बाद भी आटे पर २ प्रतिशत बिक्री-कर लगाये हुये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस कर को समाप्त करने पर विचार कर रही है?

श्री बलवीर सिंह—

जी नहीं।

स्वायत्त शासन विभाग के सचिव

**१७---श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्वायत्त शासन विभाग, उत्तर प्रदेश के वर्तमान सचिव की क्वालीफिकेशन क्या है ? वह इस नियुक्ति के पहले किस विभाग में किस हैसियत से काम कर रहे थे ?

श्री चरण सिंह---

स्वायत्त शासन विभाग, उत्तर प्रदेश के वर्तमान सचिव, एम० ए० हैं और पी० सी० एस० (एक्जीक्यूटिव) के एक सदस्य हैं। इस पद पर नियुक्त होने के पूर्व वे उप सचिव स्वायत्त शासन विभाग थे।

**१८---श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि स्वायत्त शासन विभाग, उत्तर प्रदेश के सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति कब हुई थी ?

श्री चरण सिंह---

उनकी नियुक्ति स्वायत्त शासन के उप सचिव के पद पर २ मार्च, १९७० को हुई थी, न कि सचिव के पद पर।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

टेहरी-गढ़वाल व उत्तर काशी जिलों में सोयम जंगलों की आय

*१---श्री गोविन्द सिंह---

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टेहरी-गढ़वाल व उत्तरकाशी में फारेस्ट सेटिलमेंट करवाने का सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री शिवराज सिंह---

जी नहीं। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*२---श्री गोविन्द सिंह---

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टेहरी-गढ़वाल व उत्तरकाशी में सोयम जंगलों की आय कब से और कितनी राशि का भुगतान ग्राम सभाओं को अदा नहीं किया गया है और क्यों ?

श्री शिवराज सिंह---

जिला टिहरी गढ़वाल व उत्तरकाशी में सोयम जंगलों की आय वर्ष १९५१-५२ से जमा हो रही है। इन दोनों जिलों के सोयम जंगलों की कुल आय रु० ८,११,००८ ७४ जिला गांव फंड में जमा हो चुकी है। उक्त आय का वितरण इसलिये नहीं किया जा सका क्योंकि कुमायूं वन तथ्य निरूपण समिति नें सिफारिश की थी कि सोयम वनों का प्रबन्ध वन पंचायतों के अधीन कर दिया जाय और कुमायूं के अन्य जिलों की भांति टेहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी में भी वन पंचायतें स्थापित की जावें। अतः सोयम वनों की व्यवस्था तथा उसकी आय के वितरण के लिए पंचायती वन नियम बनाये जा रहे हैं जो शीघ्र ही लागू कर दिये जायेंगे और जिनके अनुसार आय का वितरण हो जायगा।

के० वी० इण्टर कालेज व डिग्री कालेज, माछरा में भ्रष्टाचार

*३—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि के० वी० इन्टर कालेज माछरा व डिग्री कालेज माछरा (मेरठ) में गबन तथा भ्रष्टाचार आदि के विषय में श्री महावीर सिंह, सदस्य, कालेज कमेटी, माछरा तथा अन्य के शिकायती पत्र सं० १०१०/६, दिनांक ५ अक्तूबर, १९६७ उन्हें प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, श्री महावीर सिंह का दिनांक ५ अक्तूबर, १९६७ का पत्र राज्य सरकार को प्राप्त हुआ। इस पर तथा इसके सम्बन्ध में अन्य सूत्रों से प्राप्त शिकायतों पर विभागीय जांच कराई गई। जांच के फलस्वरूप डिग्री कालेज का अनुदान १७ मई, १९६८ से निलम्बित कर दिया गया और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान मंडलीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा किया जा रहा है। इस कालेज के संबंध में पुलिस द्वारा भी जांच की जा रही है।

कानपुर नगरमहापालिका अध्यापकों को महंगाई भत्ता

*४—श्री उपेन्द्रनाथ (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगरमहापालिका के अध्यापकों को अगस्त, १९६७ से लेकर मार्च, १९६९ तक बढ़े हुये महंगाई भत्ता देने हेतु, सरकार द्वारा कानपुर नगर महापालिका को कितनी अनुदान की धनराशि दी गयी है और नगर महापालिका द्वारा उसमें से कितनी धनराशि अध्यापकों को वितरित कर दी गई तथा कितनी धनराशि वितरण के लिये शेष है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

१,८४,८९२ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी। जिसमें से १,८१,१०२ रुपये की धनराशि अध्यापकों को वितरित कर दी गयी है और ३,७९० रुपये की धनराशि वितरण के लिये शेष है।

आजमगढ़ जिले के हाई स्कूलों तथा इण्टर कालेजों को अनुदान

*५—श्री दलसिंगार—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९६६–६७, १९६७–६८ तथा १९६९–७० में आजमगढ़ जिले के विभिन्न हाई स्कूल तथा इन्टर कालेजों को अलग कितनी-कितनी रकम अनुदान के रूप में दी गई है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

†सूचना परिशिष्ट 'क' और 'ख' में प्रस्तुत है।

[१३ मार्च, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

राजकीय कन्या जूनियर पाठशाला, किठौर का भवन

*१—श्री मंजूर अहमद—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम किठौर, जिला मेरठ की राजकीय कन्या जूनियर पाठशाला के लिये भवन निर्माण करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

---

† छापी नहीं गयी।

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना की उपयोजना ६११२७ के अन्तर्गत राजकीय कन्या सीनियर बेसिक स्कूल किठौर, मेरठ में भवन निर्माण का प्रस्ताव वर्ष १९६१–६२ में था परन्तु उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी। किठोर मेरठ में इस समय कोई भवन निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कबीर मेमोरियल सोसाइटी, गोरखपुर द्वारा आयोजित प्रदर्शनी से आय

*२—श्री रामपति (जिला गोरखपुर) तथा श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा विभाग ने गवर्नमेंट जुबिली इन्टर कालेज, गोरखपुर के प्रांगण की जमीन कबीर औद्योगिक प्रदर्शनी एवं मेला लगाने के लिये निःशुल्क दी थी? यदि हां, तो यह प्रदर्शनी लगाने वाली कौन सी संस्था थी और उस प्रदर्शनी से प्राप्त रकम के हिसाब-किताब की क्या व्यवस्था है?

श्री श्रीपति मिश्र—

कालेज की जमीन को उपयोग करने की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि कालेज की सम्पत्ति को कोई हानि नहीं पहुंचेगी और बिजली, पानी सफाई आदि के सिलसिले में हुये व्यय की पूर्ति प्रदर्शनी के आयोजक करेंगे।

प्रदर्शनी का आयोजन कबीर मेमोरियल सोसाइटी गोरखपुर ने किया।

प्रदर्शनी से प्राप्त रकम के हिसाब किताब की व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

*३—श्री रामपति तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदर्शनी के प्रबन्धकों ने उपरोक्त जमीन पर लगे हुये सरकार के फर्टीलाइजर कारपोरेशन के स्टाल तथा गन्ना विभाग अल्प बचत योजना एवं सूचना निदेशालय स्टालों से प्रति एक हजार रुपया प्राप्त किया? यदि हां, तो इसकी इजाजत क्यों और कैसे दी गई?

श्री श्रीपति मिश्र—

अब तक जो जानकारी हो सकी है उसके अनुसार कुछ विभागों से प्रदर्शनी के प्रबंधकों ने एक रु० की वर्ग फुट के हिसाब से किराया लिया।

इसकी इजाजत शिक्षा विभाग से नहीं ली गई।

प्रतापगढ़ जिले के इण्टर कालेजों में प्रशासन योजना

*४—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री जानकारी रखते हैं कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत इन्टरमीडिएट कालेज पट्टी, रानीगंज एवं तिलक में प्रशासन योजना नहीं लागू है और इन्टरमीडिएट ऐक्ट की धारा १६–अ, १६–ब एवं १६–स का पालन नहीं किया जाता है?

श्री श्रीपति मिश्र—

उक्त दोनों विद्यालयों में प्रशासन योजना लागू है तथा इण्टरमीडिएट ऐक्ट की धारा १६अ, १६ब, और १६स का पालन किया जा रहा है।

*५—श्री रामस्वरूप वर्मा—

[प्रश्नकर्ता का निर्वाचन अवैध घोषित होने के कारण अपास्त]

रामपुर जिले के राजकीय आश्रम रीति स्कूल के शीशम के पेड़ कटना

*६—श्री मंजूर अहमद—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि रामपुर जिले के राजकीय आश्रम रीति स्कूल के बाग में से १० शीशम के पेड़, जून १९६९ में किस अधिकारी ने कटवाये और किसके आदेश से कटवाये तथा उन पेड़ों का क्या किया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार स्थानीय जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के आदेश से ८ पेड़ कटवाये गए थे तथा लकड़ी बेंच दी गई थी। इस सम्बन्ध में और जानकारी की जा रही है।

प्रधानाचार्या, राजकीय उच्चतर विद्यालय, हल्द्वानी के विरुद्ध शिकायतें

*७—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष १९६७ में प्रधानाचार्या राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल के विरुद्ध राजकीय धन के दुरुपयोग व अशिष्टता की कतिपय शिकायतें शासन को प्राप्त होने पर उपर्युक्त प्रधानाचार्या का जुलाई, १९६७ में तार द्वारा स्थानान्तरण किया गया तथा सम्बन्धित मंडल बालिका विद्यालय निरीक्षिका से शिकायतों की जांच कराई गई थी और हिसाब-किताब का आडिट भी हुआ था ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

*८—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या उपर्युक्त मंडल बालिका विद्यालय निरीक्षिका व आडिट रिपोर्ट के आधार पर उपर्युक्त प्रधानाचार्या के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की गई थी ? यदि हां, तो जांच के परिणाम स्वरूप प्रधानाचार्या के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और क्या सरकार जांच की रिपोर्ट पटल पर रक्खेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। उन्हें कड़ी चेतावनी देने और गोपनीय आख्या में प्रतिकूल प्रविष्टि करने के आदेश दे दिये गये हैं।

जांच की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना जनहित में उचित न होगा। माननीय सदस्य उसे मेरे कमरे में देख सकते हैं।

उर्दू का विकास

*९—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९६९–७० के वार्षिक बजट में जो उर्दू भाषा के विकास के लिये १० लाख रु० की धनराशि स्वीकृत हुई है उसको व्यय करने के लिये और उर्दू के विकास के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई या की जाने वाली है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उर्दू भाषा पढ़ने वाले छात्रों से सम्बन्धित विद्यालयों की जानकारी करके सम्बन्धित स्थानीय निकायों को उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक अनुदान स्वीकृत किया गया तथा सूचना मिलने पर शेष निकायों को भी अनुदान स्वीकृत किया जायगा।

*१०—श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मंत्री को यह मालूम है कि उर्दू के विकास के सम्बन्ध में जो भी आदेश सरकार ने जारी किये हैं उनका पालन जिला परिषदों द्वारा नहीं हो रहा है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

इण्टरमीडिएट कालेज, पट्टी का स्मृति-पत्र

*११—श्री रामदेव—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद की माध्यमिक शिक्षक संघ की इकाई शाखा इन्टरमीडिएट कालेज, पट्टी द्वारा एक स्मृति-पत्र कतिपय माध्यमिक विद्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध माननीय शिक्षा मंत्री को दिनांक २३ मई, १९६७, मुख्य मंत्री को दिनांक २२ जुलाई, १९६७ एवं वर्तमान शिक्षा मंत्री जी एवं मुख्य मंत्री जी को दिनांक १८ मार्च, १९६९ को दिया गया था ? यदि हां, तो स्मृति-पत्र का सारांश क्या है और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वाराणसी जिला परिषद् अध्यापकों का स्थानान्तरण

*१२—श्री गोविन्द सिंह—

क्या सरकार ने ऐसा कोई नियम बनाया है कि प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को उनके घर के ब्लाक से ५ मील की दूरी पर ही रक्खा जाय और वर्ष में जरूरी हो तो एक बार ही शुरू जुलाई में ही ट्रांसफर किया जाय ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

ऐसा कोई नियम नहीं है ।

वर्ष में एक बार ही स्कूल खुलने के पूर्व सामान्यत: स्थानांतरण के नियम है परन्तु विशेष परिस्थितियों में किसी भी समय सत्र के दौरान में स्थानान्तरण किया जा सकता है ।

*१३—श्री गोविन्द सिंह—

यदि हां, तो क्या मंत्री जी वाराणसी जिला परिषद् के सन् १९६८ से अगस्त, १९६९ तक की जांच करायेंगे जिसमें बहुत से अध्यापकों का वर्ष में चार-चार बार ट्रांसफर हुआ है और उनके घरों से ७५—८० मील की दूरी पर किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या इस तरह की कार्यवाही के रोकने के लिये सरकार कोई निर्देश देगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जांच कराई गई पर किसी अध्यापक का चार-चार बार न तो स्थानान्तरण हुआ और न ७५ ८० मील दूरी पर स्थानान्तरण ही हुआ है ।

अंतिम भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्द स्वीपर्स सेवक समाज, कानपुर शाखा का पत्र

*१४—श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हिन्द स्वीपर्स सेवक समाज, लखनऊ-कानपुर शाखा द्वारा केन्द्र तथा प्रदेशीय सरकार से प्राप्त अनुदान तथा आर्थिक सहायता के दुरुपयोग के सम्बन्ध मे भूतपूर्व विधायक श्री भगवानदीन द्वारा भेजा गया शिकायती-पत्र २० फरवरी, १९६७ को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*१५—श्री नगीना सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त समाज को वित्तीय वर्षों में १९६७-६८, १९६८-६९ तथा १९६९-७० में १५ सितम्बर, १९६९ तक सरकार द्वारा कितना-कितना अनुदान किन-किन प्रयोजनों के लिय दिया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

इस संस्था को प्रश्नगत वर्षों में कोई अनुदान नहीं दिया गया ।

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद

*१६—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद प्रकाशन विभाग बन्द कर रही है और वहां के कर्मचारियों को जो १० वर्ष से कार्य कर रहे थे उनकी सेवायें समाप्त कर दी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

हिन्दुस्तानी एकेडेमी अपना प्रकाशन कार्य बंद नहीं कर रही है । अर्थाभाव के कारण एकेडेमी ने दो कर्मचारी (जो प्रूफरीडरी का कार्य करते थे) सेवा मुक्त कर दिया ।

*१७—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सरकार बतायेगी कि इस हिन्दुस्तानी एकेडेमी में पिछले ३ साल के अन्दर कितनी किताबें छपीं और उससे घाटा हुआ है या लाभ ? यदि घाटा हुआ है तो क्या सरकार उसमें सुधार करन की कोई व्यवस्था करगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने पिछले तीन वर्षों में ९ नयी पुस्तकें प्रकाशित की हैं तथा ४ पुरानी पुस्तकों का पुनर्मुद्रण किया है । एकेडेमी के अधिकारियों ने बताया है कि एकेडेमी व्यावसायिक उद्देश्य से पुस्तकें प्रकाशित नहीं करती, अतः प्रकाशनों से लाभ का प्रश्न नहीं उठता । इस विषय में उनसे विस्तृत विवरण मांगा जा रहा है ।

हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर में कर्मचारियों का बकाया वेतन

*१८—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कानपुर स्थित हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इन्स्टीट्यट के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को १९६५-६६ के वेतन का बकाया धन का भगतान कब तक किया जायगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

संस्था के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का सामूहिक रूप से वर्ष १९६५–६६ क वेतन का कोई भी धन भुगतान के लिये बाकी नहीं है ।

*१९—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[४थे मंगलवार के प्र० सं० २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, आजमगढ़ द्वारा सिलाई मशीनों एवं छात्रवृत्ति का वितरण

*२०—श्री श्यामलाल—

क्या हरिजन व समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९६८–६९ में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, आजमगढ़ के कार्यालय में कितनी हरिजन महिलाओं एवं पुरुषों के कितने आवेदन-पत्र सिलाई मशीन हेतु प्राप्त हुए और किन-किन व्यक्तियों को सिलाई मशीन दी गई और मशीन देने का आधार क्या था ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सन् १९६८–६९ में कपड़ा सिलाई मशीन हेतु अनुसूचित जाति महिलाओं से १२ और पुरुषों से १८३ आवेदन-पत्र प्राप्त हुये । इनमें से ३ महिलाओं और ७४ पुरुषों को सिलाई मशीनें दी गईं जिनकी सूचना उन नियमों की †प्रतिलिपि सहित जिन के आधार पर मशीनें स्वीकृत की जाती हैं सदन के पटल पर रख दी गई हैं ।

*२१—श्री श्यामलाल—

क्या समाज एवं हरिजन कल्याण मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि सन् १९६८–६९ में आजमगढ़ जिले के किन-किन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई और उसका आधार क्या था ?

श्री श्रीपति मिश्र—

वांछित† सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, उन्नाव में अनुसूचित जातीय छात्राओं से शुल्क लेने की शिकायत

*२२—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय बालिका इन्टर कालेज, उन्नाव में अनुसूचित जातीय छात्राओं से शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की शुल्कें वसूल की जा रही हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

अन्य शुल्कें भी नहीं लिये जा रहे हैं ।

*२३—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि हरिजन तथा समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश ने अपने परिपत्र संख्या सी–१५१/९–६८, शिक्षा दिनांक १० जनवरी, १९६९ के द्वारा समस्त

---

†छापीं नहीं गयी ।

133933

शिक्षा संस्थाओं को यह आदेश दिया है कि शासन द्वारा अनुमोदित १३ प्रकार की शुल्कें अनुसूचित जातीय छात्राओं से वसूल न की जायें ? यदि हां, तो उक्त राजकीय इन्टर कालेज, उन्नाव में इस परिपत्र की अवहेलना क्यों की जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां--यह आदेश अराजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को भेजे गए थे ।

यह शुल्कें राजकीय बालिका इन्टर कालेज उन्नाव में भी नहीं ली जा रही हैं ।

औद्योगिक तथा प्राविधिक संस्थाओं को अनुदान देने के लिए सेलेक्शन कमेटी

*२४--श्री कृष्णस्वरूप तथा श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या औद्योगिक तथा प्राविधिक संस्थाओं को ग्रान्ट-इन एड रूल्स, १९४८ के अन्तर्गत अनावर्तक अनुदान संस्तुत करने के लिये राज्य स्तर पर कोई सेलेक्शन कमेटी १२ सितम्बर, १९६९ को गठित थी ? यदि हां, तो कमेटी के सदस्य कौन-कौन हैं ? उक्त कमेटी की बैठकें कब-कब हुईं तथा उक्त बैठकों में क्या-क्या सिफारिशें की गईं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं ।

उल्लिखित नियमावली के नियम संख्या १३-ए में यह प्राविधित है कि अनावर्तक अनुदान के प्रार्थना-पत्रों पर सरकार द्वारा नियुक्त सेलेक्शन कमेटी द्वारा विचार किया जायेगा। उक्त कमेटी के गठन का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*२५-२६--श्री नगीना सिंह--

[४थे मंगलवार के प्र० सं० २३-२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पौड़ी गढ़वाल जिले के विद्यालयों का प्रान्तीयकरण करने की जानकारी

*२७--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६९-७० में जिला पौढ़ी-गढ़वाल के किन-किन विद्यालयों का प्रान्तीकरण किये जाने का प्रस्ताव है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

१९६९-७० में जिला पौड़ी गढ़वाल के किसी विद्यालय के प्रान्तीयकरण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

*२८--श्री मोहम्मद असरार अहमद--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*२९-३०--श्री राम गोपाल सेंड तथा श्री कल्यान सिंह--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के महंगाई भत्ते में विभिन्नता

*३१—श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सम्मिलित प्राइमरी कक्षाओं के पढ़ाने वाले अध्यापकों तथा जिला परिषद् के प्राइमरी स्कूलों के बी० टी० सी० ट्रेन्ड अध्यापकों की महंगाई और वेतन भत्ते दी दर क्या है ?

*३२—क्या यह सत्य है कि प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अधिकांश प्रबन्धकों द्वारा अपने विद्यालय के प्राइमरी कक्षाओं के अध्यापकों के लिये निर्धारित महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों तथा नियमानुकूल निर्धारित पूरा महंगाई भत्ता दिलाने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*३३-३४--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

[४थे सोमवार के प्र० सं० ६४-६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शिक्षा उपनिदेशक, लखनऊ क्षेत्र के कार्यालय में पुराने कर्मचारी

*३५—श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ रीजन के शिक्षा उप-निदेशक के कार्यालय में कितने कर्मचारी पांच वर्ष से अधिक समय से कार्य करते आ रहे हैं और इन कर्मचारियों का स्थानान्तरण न होने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

नौ कर्मचारी।

इस प्रकार के अराजपत्रित कर्मचारियों का पांच वर्ष में स्थानान्तरण होने का कोई नियम नहीं है।

*३६—श्री मुस्तफा कामिल किदवाई--

[३रे मंगलवार के प्रश्न संख्या ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आर० बी० एम० इन्टर कालेज, तिलहर के वाइस प्रिंसिपल, श्री एस० बी० सिंह का निलम्बन

*३७--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री को यह पता है कि आर० बी० एम० इन्टर कालेज, तिलहर, शाहजहांपुर के वाइस प्रिंसिपल श्री एस० बी० सिंह ७ महीने से निलम्बित हैं ? यदि हां तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्र की जा रही है।

मुरादाबाद जिले के दीक्षा विद्यालयों के लिए विद्यार्थियों का नामांकन

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कष्ट करेंगे कि मुरादाबाद जिले के राजकीय दीक्षा विद्यालयों में शिक्षा वर्ष १९६९-७० के लिये बी० टी० सी० ट्रेनिंग हेतु सरकार द्वारा नामांकित किये जाने वाले विद्यार्थियों के कितने स्थान दिनांक ३० सितम्बर, १९६९ तक रिक्त रहे और उनके उस समय तक रिक्त रहने का क्या कारण था ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर मण्डल में जिला विद्यालय निरीक्षक का स्थानान्तरण न होना

*३९--श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के गोरखपुर मंडल में कार्यरत ऐसे कितने जिला विद्यालय निरीक्षक हैं जो कि अपन इसी पद तथा स्थान पर ३ वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

एक।

*४०-४१--श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा--

[३रे मंगलवार के प्रश्न संख्या ५६-५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गणेश शंकर विद्यार्थी इण्टर कालेज, महाराजगंज के अध्यापकों का बकाया वेतन

*४२--श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गणेश शंकर विद्यार्थी इन्टर कालेज, महाराजगंज, गोरखपुर के अध्यापकों का कितने मास का वेतन कालेज पर बकाया है तथा उक्त वेतन को दिलाने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

इस कालेज के अध्यापकों का ५ से १० माह तक का वेतन बाकी है। स्थिति सुधारने के लिये कालेज का अनुपालन अनुदान निलम्बित कर दिया गया है और अध्यापकों का वेतन वितरण जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर द्वारा कराया जा रहा है।

*४३--श्री उमानाथ--

[३रे मंगलवार के प्रश्न संख्या ५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अलीगढ़ जिले में खुलने वाली शिक्षा संस्थायें

*४४--श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला अलीगढ़ में कितने राजकीय स्कूल बनने थे और उनमें से कितने बनें ?

श्री श्रीपति मिश्र--

राजकीय स्कूल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं था।

*४५--श्री जगदीश गांधी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ की तहसील सिकन्दराराऊ में भिन्न-भिन्न स्थानों पर कितने राजकीय कन्या पाठशालायें चल रही हैं ? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कितनी और किन स्थानों पर कन्या पाठशाला खोलने की योजना है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

कोई नहीं ।

कन्या पाठशाला खोलने का स्थान निश्चित् नहीं है ।

जिला परिषद् वाराणसी के अध्यापकों का बकाया वेतन

*४६--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद्, वाराणसी के अध्यापकों को गत कितने माह से वेतन नहीं दिया गया है तथा वह वेतन कब तक दे दिया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र--

अक्तूबर, १९६९ से भुगतान नहीं किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक भुगतान कर दिया जायगा ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, गोंडा के विरुद्ध शिकायतें

*४७--श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, गोंडा द्वारा अनेक अनियमित कार्य किये जाने तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई शिकायती पत्र शिक्षा सचिव को प्रश्नकर्ता सदस्य, विधान सभा द्वारा अक्तूबर, १९६९ के अन्तिम सप्ताह में अथवा नवम्बर, १९६९ में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी हां। शिकायतों पर मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद द्वारा जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और शासन के विचाराधीन है ।

प्रयाग में सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं का स्थानान्तरण न होना

*४८--श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर) तथा श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रयाग नगर में ५ वर्ष की अवधि से अधिक नियुक्त कितनी सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें हैं तथा उनका स्थानान्तरण क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

ऐसी ६ निरीक्षिकायें हैं। ये अराजपत्रित कर्मचारी हैं। इनका वेतनक्रम कम है इसलिये इनका स्थानान्तरण जल्दी नहीं किया जाता है ।

कन्या शिक्षा सदन स्कूल, मेरठ का अनुदान रोकने की शिकायत

*४९--श्री हिम्मतसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका प्रथम मंडल, मेरठ के कन्या शिक्षा सदन स्कूल की अनुरक्षण अनुदान, महंगाई भत्ता, एडहाक अनुदान, क्षति पूर्ति अनुदान कक्षा ७ से १० तक अगस्त, १९६९ से रोक रखा है ? यदि हां, तो क्यों और इसे कब तक दे दिया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं ।

मेसर्स नन्दन, रामनगर तथा कुमायं पेंसिल फर्म, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को दिये गये साफ्ट उड वृक्ष

*५०—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेसर्स नन्दन रामनगर तथा कुमायूं पेंसिल फर्म, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को इन्डस्ट्री के नाम से दिनांक १ जनवरी, १९६८ से ३१ अगस्त, १९६९ तक कितने वृक्ष देवदार व साफ्ट उड के दिये गये और कितना रुपया बन विभाग को इसका प्राप्त हुआ ?

श्री शिवराज सिंह—

मेसर्स नन्दन, रामनगर, जिला नैनीताल को इन्डस्ट्री के नाम से १ जनवरी, १९६८ से ३१ अगस्त १९६९ तक १,४६१ वृक्ष साफ्ट उड के दिये गये जिसका मूल्य ३०,७५६.१५ रुपया वन विभाग को प्राप्त हुआ। इस फर्म को देवदार का कोई वृक्ष नहीं दिया गया।

कुमायूं पेंसिल फर्म, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को उक्त अवधि में कोई वृक्ष नहीं दिये गये।

जहानाबाद ग्राम की वनभूमि पर अनधिकृत कब्जा

*५१—कुंवर शिवमहेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जहानाबाद, परगना दारानगर, जिला बिजनौर में वन विभाग की कितनी भूमि है? क्या उस पर कुछ लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

श्री शिवराज सिंह—

ग्राम जहानाबाद, परगना दारानगर, जिला बिजनौर में वन विभाग की ३६६.७० एकड़ भूमि है जिसमें से ७३० बीघा (लगभग १४६) एकड़ भूमि में लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा किया है। अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों के विरुद्ध अदालती कार्यवाही की गई है।

पशु चिकित्सा स्नातक

*५२—श्री मैनेजर सिंह तथा श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६७-६८ से १९६८-६९ तक राज्य के विभिन्न विद्यालयों से कितने पशु चिकित्सा स्नातक निकले हैं उनमें से कितने स्नातकों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेवा का अवसर प्रदान किया गया है ?

श्री शिवराज सिंह—

१९६७-६८ से १९६८-६९ तक राज्य के विभिन्न विद्यालयों से कुल २७४ पशु चिकित्सा स्नातक निकले हैं। इनमें से १८१ स्नातकों को सरकार द्वारा सेवा का अवसर प्रदान किया गया है।

*५३—श्री मैनेजर सिंह तथा श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस समय कितने पशु-चिकित्सा स्नातक बेरोजगार हैं ? उन्हें पूल आफिसर रखने या बेरोजगारी का भत्ता देने में या रोजगार का अवसर प्रदान करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री शिवराज सिंह—

प्रदेश के बेरोजगार पशु चिकित्सा स्नातकों के प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु यह संख्या ४४ के लगभग हो सकती है। उन्हें पूल आफिसर रखने या बेरोजगारी का भत्ता देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। स्वीकृत पदों की कमी के कारण ही सभी स्नातकों को नौकरी में रखना संभव नहीं है।

बदायूं जिले में सैदपुर मत्स्य केन्द्र स्थापित करने की योजना

*५४—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या कृषि एवं पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सैदपुर, ब्लाक वजीरगंज, तहसील बिसौली, जिला बदायूं में मत्स्य केन्द्र बनाने की कोई योजना है? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई?

श्री शिवराज सिंह—

ग्राम सैदपुर, ब्लाक वजीरगंज, तहसील बिसौली, जिला बदायूं में एक उत्प्रेरित प्रजनन प्रक्षेत्र बनाने की योजना है। उक्त प्रक्षेत्र मत्स्य विभाग के उत्प्रेरित प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत बनवाया जा रहा है। मत्स्य प्रक्षेत्र के स्थल का सर्वेक्षण, इसके नक्शे एवं अनुमान का प्रशासनिक अनुमोदन, निर्माण हेतु टेन्डर की स्वीकृति तथा ठेकेदार को स्थल का लेआउट देने का कार्य पूर्ण हो चुका है।

शारदा सागर जलाशय, जिला पीलीभीत के मछली के ठेकेदार पर बकाया

*५५—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि अदायगी सम्बन्धी समझौते का उल्लंघन कर शारदा सागर जलाशय, जिला पीलीभीत के १९६७-६८ के मछली खरीदने के ठेकेदार को मछली उठाने दी गई? यदि हां, तो ऐसा करने से उपर्युक्त ठेकेदार के जिम्मे कितना सरकारी रुपया बाकी रह गया और उस ठेकेदार को ऐसी रियायत देने की जिम्मेदारी किन-किन अधिकारियों की है?

श्री शिवराज सिंह—

जी हां।

२२,४६४.५२ रुपये बाकी रह गये हैं। कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार थे इसकी जांच हो रही है।

सहायक विकास अधिकारी पशुपालन का वेतन

*५६—श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कुछ सहायक विकास अधिकारी, पशुपालन ऐसे हैं जो जूनियर होते हुए भी या एक बैच के होते हुये या बिना लाइवस्टाक सुपरवाइजर प्रशिक्षण प्राप्त किये ही उच्च वेतन-क्रम १६०-२८० में कार्यरत हैं? यदि हां, तो प्रत्येक में कितने और क्यों?

श्री शिवराजसिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

बस्ती, गोंडा तथा बहराइच जिलों में वन विभाग से ली गयी भूमि

*५७—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन (गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान एफ० एस० ओ० जिला गोंडा सन् १९६७ में स्थानान्तरण होकर आये हैं जिनका कार्य क्षेत्र बस्ती, बहराइच, गोंडा है? यदि हां, तो तीन वर्षों में एफ० एस० ओ० गोंडा ने तीनों जिले के किन-किन तहसीलों में कितनी-कितनी जमीन जंगल विभाग से बरी करके सीरदारी या भूमिधरी घोषित की है?

श्री शिवराज सिंह---

वर्तमान बन्दोबस्त अधिकारी दिनांक २२ अगस्त, १९६६ से जिला बस्ती, बहराइच और गोंडा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने विगत तीन वर्षों में इन जिलों में जितनी भूमि वन विभाग से मुक्त करके सीरदारी घोषित की है उसका विवरण इस प्रकार हैं :---

जिला	तहसील	भूमि जो वन विभाग से मुक्त करके सीरदारी घोषित की गई है (एकड़ों में)
१---बहराईच ..	नानपारा ..	.. ६३९.१९
२---गोंडा ..	उतरौला ..	.. ६०.५३
	बलरामपुर ..	.. १६.८३
	योग	.. ७१६.५५

जिला बस्ती में उन्होंने वन विभाग की कोई भी भूमि मुक्त करके सीरदारी घोषित नहीं की। उन्होंने उक्त जिलों की कोई भी भूमि वन विभाग से मुक्त करके भूमिधरी घोषित नहीं की।

अतारांकित प्रश्न

वेस्टर्न सर्किल, रामनगर वन खण्ड में वन सम्पदा का अवैध कटाव

१---श्री इन्द्रलाल---

क्या बन मंत्री कृपया बतावेंगे कि वैस्टर्न सर्किल के रामनगर वन खण्ड में रेंज देचौरी व रेंज रामनगर के अन्तर्गत १ जनवरी, १९६९ से ३०जून, १९६९ तक वन सम्पदा के अवैध कटाव के कितने केस पकड़े गये और ऐसे पकड़े गये केसों में कितना रुपया तावान के रूप में रेंज देचौरी व रामनगर रेंज ने वसूल किया ?

श्री शिवराज सिंह---

वैस्टर्न सर्किल के रामनगर वन खण्ड में रेंज देचौरी के अन्तर्गत १ जनवरी, १९६९ से ३० जून, १९६९ तक के वन सम्पदा के अवैध कटान के २८ केस पकड़े गये। इनमें से २५ केसों में रु० २,४६९.०० पैसा मुआवजा (तावान) क रूप में वसूल किया गया और ३ केसों को कोर्ट में भेजा गया। तराई भावर वन खण्ड में रेंज रामनगर के अन्तर्गत उक्त अवधि में वन सम्पदा के अवैध कटान के ३१ केस पकड़े गये। इनमें से १२ केसों में रु० २०, २१५.०० पैसा मुआवजा (तावान) के रूप में वसूल किया गया, ६ केसों को अपराधी का पता न चलने के कारण समाप्त किया गया और १३ केसों में अभी जांच जारी है।

विदुर कुटी, जिला बिजनौर में गर्भाधान कार्य

२---कुंवर शिवमहेन्द्र सिंह---

क्या कृषि व पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दारानगर, जिला बिजनौर कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र पर पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष में कृत्रिम गर्भाधान के कितने केस किये गये तथा कामयाबी का क्या प्रतिशत है ?

श्री शिवराज सिंह—

दारानगर, जिला बिजनौर में कोई भी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र अथवा कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र नहीं है, लेकिन उससे बिल्कुल मिले हुए गांव विदुर कुटी में एक प्रमुख ग्राम इकाई है, जिस पर कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जाता है। वहां गत तीन वर्षों में किये गये कृत्रिम गर्भाधान की संख्या तथा उसकी सफलता के प्रतिशत का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११६ पर)

सीलिंग के सम्बन्ध में पूछे गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न का सरकार द्वारा उत्तर देने से इन्कार करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)—

नियम २७५ के अन्तर्गत...

श्री अध्यक्ष—

संख्या ८ के बाद आप इसको ले लीजियेगा। इसमें प्रायरिटी फिक्स है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय गिरधारीलाल जी ने नियम २७५ का प्रश्न उठाया। मैं आपका ध्यान २७५ की ओर खींचना चाहता हूं। इसमें यह लिखा है २७५ (क) "प्रस्ताव करने की अनुज्ञा प्रश्नों के अनन्तर तथा दिन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मांगी जायगी"।

अब इसके रहते हुये वह इस समय खड़े हुये हैं और वह मान्य होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

एक उनका प्रश्न नामंजूर हो गया।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

प्रश्नों का घंटा खतम हो गया है श्रीमन्, और वह कार्यवाही समाप्त हो गई है। अब जो भी कार्य होगा वह उसके बाद ही माना जायगा। किसी दूसरे कार्य में जाने से पहले यह कार्य होगा।

श्री अध्यक्ष—

आप नियम ३१५ को पढ़ें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, इसमें २५ वां आता है। मैंने तो आपसे २५वें का सवाल ही नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार का सवाल पहले आ जाता है। मैं निर्णय दे दूं तब आप पेश कर सकते हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, मेरा प्रश्न बड़ा सीधा सा प्रश्न है। इसमें यह है कि क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्यपाल के सम्बोधन में यह घोषणा कि भूमि की अधिकतम जोत सीमा ३० एकड़

रहेगी जिसमें बागात और सहकारी फार्म भी शामिल होंगे, उस घोषणा के अन्तर्गत जो सूबे भर में सरकार ने आदेश दिया है कि बंटवारे और बिक्री भूमि और बागात की नहीं हो सकती, वह आदेश अब भी लागू है या नहीं ?

श्रीमन्, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनकी १ मार्च की घोषणा के अनुसार अधिकतम जोत सीमा में परिवर्तन का कोई विचार कर रहे हैं, यदि हां, तो वह क्या है और जोत सीमा निर्धारण के अन्तर्गत बागात निकाल रहे है या नहीं ?

यह एक बड़ा सिम्पिल सवाल है। गवर्नमेंट की ओर से कई घोषणायें हुई हैं। राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में एक घोषणा की, माननीय मुख्य मंत्री जी ने १ मार्च को दूसरी घोषणा की और शिक्षा मंत्री जी जो राजस्व मंत्री भी हैं, उस दिन बोलते-बोलते यह कह गये कि गवर्नमेंट कुछ करने नहीं जा रही है, पहले इन सब पर विचार करेगी। तो आखिर इन सारी घोषणाओं से एक भ्रम का निर्माण हुआ और सन्देह हो गया कि क्या यह सरकार सही माने में गरीबों को जमीन देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। केवल उसके स्पष्टीकरण से मेरा मतलब था लेकिन उसका उत्तर नहीं दिया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि ये सारी घोषणायें निरी स्टंट है और कुछ नहीं है। बागात के बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है इससे मालूम होता है कि ये केवल एलेक्शन स्टंट हैं, दूसरा कुछ नहीं। या तो वे इस बागात को बतलावें या आप अपने स्वविवेक का प्रयोग कर उनको आदेश दें कि वे इस प्रश्न का स्पष्ट स्पष्टीकरण इस सदन में करें।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर सकती है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप नियम २९ देख लें।

यह जो प्रश्न स्वीकार किया जाता है, मैंने यह अधिकार डेलिगेट कर दिया है डिप्टी स्पीकर को, उन्होंने इसके पहले हिस्से को स्वीकार किया जो इस प्रकार है—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्यपाल के सम्बोधन में यह घोषणा कि भूमि की अधिकतम जोत सीमा ३० एकड़ रहेगी जिसमें बागात और सहकारी फार्म भी शामिल होंगे उस घोषणा के अन्तर्गत जो सूबे भर में सरकार ने आदेश दिया है, कि बंटवारे और बिक्री भूमि और बागात की नहीं हो सकती वह आदेश अब भी लागू है या नहीं ? एक यह प्रश्न था जिसको स्वीकार किया लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी ने इसको अस्वीकृत कर दिया और मेरे पास चिट्ठी लिख कर भेज दी। यह अल्प सूचित तारांकित प्रश्न था। तो माननीय राजस्व मंत्री जी कृपया बतलावें कि किस उद्देश्य से आपने इसको अस्वीकार कर दिया ?

श्री गोविन्द सिंह—

श्रीमन्, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

पहले उनको कह लेने दीजिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मैं केवल एक ही प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या किसी मंत्री को प्रश्न को अस्वीकार करने का अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष—

यह अल्प सूचित तारांकित प्रश्न है, इसम दिया हुआ है जिसके अनुसार मुझे पूछना पड़ता है, अल्प सूचित प्रश्न के बारे में सम्बन्धित मंत्री से। यदि सम्बद्ध मंत्री अल्प सूचना पर उत्तर देने की स्थिति में न हों तो वे ऐसा कह सकते हैं कि मैं इस स्थिति में नहीं हूं। और यदि मंत्री अल्प सूचना पर उत्तर देने के लिये सहमत हों तो वह तत्काल हो जायेगा और यदि वह समझते हैं कि उत्तर नहीं दे सकते हैं इस वक्त तो वे कह सकते हैं और उन्होंने यह किया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार है कि आप अपना अंकुश लगावें और आप अपने विवेक का प्रयोग करें। क्या यह ऐसा प्रश्न है कि गवर्नमेंट इसका उत्तर नहीं दे सकती, क्या यह कोई नीति सम्बन्धी प्रश्न है? यह तो किसी राजनीतिक कारण से वे इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। आप अपने स्वविवेक का इस्तेमाल इसके लिये करें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने बतलाया कि यदि सम्बद्ध मंत्री अल्प सूचना पर उसका उत्तर देने की स्थिति में न हों और अध्यक्ष की यह राय हो कि वह पर्याप्त लोक महत्व का है तो वे निदेश दे सकेंगे कि उसको उस दिन की प्रश्न सूची में प्रथम प्रश्न के रुप में रखा जाये जिस दिन नियम के अनुसार तारांकित प्रश्न के रुप में उत्तर के लिये उसकी बारी हैं। यह १४ दिन है।

श्री गोविन्द सिंह—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि यह प्रश्न रखा गया जिसे अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार कर लिया लेकिन मंत्री जी ने उसे अस्वीकार कर दिया। तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो प्रश्न अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकार किया जा चुका हो, बगैर कारण बतलाये क्या माननीय मंत्रीजी उसे अस्वीकार कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—

वे उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं, ऐसा कह सकते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, इसमें आपके अधिकार का हनन हो रहा है। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। नियम की शब्दावली इस बारे में बड़ी स्पष्ट है। आप देखें कि किस प्रकार के संदेह व्यक्त किये जा रहे हैं और किस प्रकार की भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इससे पूरे राज्य में भ्रम है। इसके उत्तर देने में मन्त्री जी को क्या कठिनाई है? श्रीमन्, इसका उत्तर तो वे अपने विवेक से दे सकते हैं। यह आपके अधिकार का सवाल है। श्रीमन्, आप मुख्य मन्त्री जी से कहिये कि वे इसका उत्तर दें। इसके उत्तर के लिये उन्हें कहीं से कोई इनफार्मेशन नहीं लाना है। वे दिल और दिमाग को मजबूत करके इसका उत्तर दे दें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं एक बात और कहूंगा। क्या मुख्य मन्त्री जी ने श्रीमन्, को यह सूचित किया है कि इस प्र न का उत्तर देने की स्थिति में वे नहीं हैं या उन्होंने उत्तर देना स्वीकृत नहीं किया है? इन दोनों चीजों में बहुत अन्तर हो जायेगा। यदि उन्होंने उत्तर देना अस्वीकृत कर दिया है तो मैं प्रिविलेज का मोशन मूव करूंगा।

श्री अध्यक्ष—

राज्य के सम्बोधन में उनका उल्लिखित पत्र आया है :—

"अधिकतम जोत सीमा ३० एकड़ से संबंधित प्रश्न के बारे में जहां यह स्पष्ट है कि बंटवारा अथवा बिक्री रोकने के लिये कोई भी आदेश शासन द्वारा जारी नहीं किये गये हैं, वहां यह भी सत्य

है कि अधिकतम जोत सीमा निर्धारण की जन हित में उपयोगिता की दृष्टि से इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर शासन विचार कर रहा है और जब तक उस का पूर्ण रूप से मूल्यांकन न हो जाये समुचित उत्तर देने में वह शासन सक्षम नहीं हो सकेगा।

अतः उस पर उत्तर स्थगित करने की कृपा करें।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे--

इसका मतलब यह है कि सरकार की कोई नीति नहीं है, कोई पालिसी नहीं है और राज्यपाल के सम्बोधन में जो घोषणाएं की गयीं थीं, वे स्टन्ट मात्र थीं।

(मेंजे थपथपायी गयीं)

मैं यह जानना चाहूंगा कि यही स्पष्टीकरण करने में सरकार को क्या आपत्ति है? उसका उत्तर नीति सम्बन्धी है। कोई इनफार्मेशन का सवाल नहीं है। इसका उत्तर देने से मुख्य मंत्री जी भाग क्यों रहे हैं? यदि इसका स्पष्टीकरण आप नहीं करा सके तो मुझे इसका बड़ा खेद है और आप हमारे हितों और अधिकारों की रक्षा नहीं करा पायेंगे। यह स्पष्टीकरण नीति का है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है। हम सब एक मत हैं। यह कितने महत्व का प्रश्न है? इस सदन की परम्पराएं रही हैं जो आपको स्मरण होंगी। पिछले अनेक वर्षों में अध्यक्ष ने ऐसे विषयों पर उत्तर दिलाये हैं। मुख्य मंत्री जी या संबंधित मन्त्री इसका उत्तर दे दें। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आंकड़े को कहीं से लाना नहीं है और न दूसरों से परामर्श करना है। यह तो नीति का प्रश्न है और नीति को उन्होंने अपने मस्तिष्क में रखा होगा। इससे अधिक महत्व का प्रश्न और क्या हो सकता है? यह तो हाइड एण्ड सीक का गेम खेल रहे हैं कि किसी तरह से अपना काम निकाल लें।

श्री अन्नतराम जायसवाल--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम २९ (१) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं--

"जब कोई सदस्य अल्पसूचित प्रश्न पूछना चाहें तो वह ऐसे प्रश्न की पूरे तीन दिन की सूचना लिखित रूप में सचिव को देंगे। सचिव साधारणतया प्रश्न को अल्प सूचित प्रश्न के रूप में ग्राह्यता पर उसकी प्राप्ति से २४ घंटे के भीतर अध्यक्ष की आज्ञा प्राप्त करेंगे।"

तो मान्यवर, आप देखें यह प्रश्न कितने लोक महत्व का है।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न लोक महत्व का है।

श्री अनन्त राम जायसवाल--

अल्प सूचित प्रश्न का अभिप्राय ऐसे प्रश्नों से है जो अविलम्बनीय लोक महत्व के हों। तो जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है जिसे दुबे जी ने उठाया है तो उसके लोक महत्व के होने में कोई शक नहीं है। इसमें आपकी अनुमति की जरूरत है नियम २९ के तहत में। उसमें लगता है कि आपने स्वीकार कर लिया। फिर आपने २९ के सब सेक्शन ४ को पढ़ा। इस पर जब हम पहुंचते हैं तो आप उसकी दूसरी प्रति मंत्री जी को भेजते हैं कि वे तुरन्त उत्तर देने की स्थिति में हैं या नहीं। जैसा कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि अगर ऐसा प्रश्न होता जिसमें बाहर सूचना मंगाने की आवश्यकता होती तो उस स्थिति में समय लगता और तब प्रश्न इस को बदलते

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

तारांकित प्रश्न में और नियमानुसार उसकी बारी आती। लेकिन इस प्रश्न के विषय में कहीं बाहर से किसी प्रकार की जानकारी नहीं मंगानी है। इस सम्बन्ध में आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसका जिक्र आया, बाहर भी जिक्र आया और इस सदन में भी इसकी चर्चा आई। मुख्य मंत्री जी समय-समय पर इस विषय पर अपना वक्तव्य देते रहे हैं। लेकिन दुख यह है कि किसी अपने एक वक्तव्य पर पूरे तौर से मजबूती से वे टिकते नहीं। संकल्प की कमी के कारण या और किसी अनड्यू प्रेशर के कारण वे इधर-उधर खिसक जाते हैं। यह इतने महत्व का प्रश्न है कि जिस पर यह सरकार गिर सकती है या टिक सकती है तो इसको अगर स्थगित किया जाता है तो मुख्य मंत्री जी को बार बार हटने का अवसर मिल जाता है। मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस नियम का आदर करते हुए, अपने अधिकार को बचाते हुए और कायम रखते हुए और सदन का जो अधिकार है जानकारी हासिल करने का, इन सबकी रक्षा के लिये मुख्य मंत्री जी से आप कहें कि इस प्रश्न पर सफाई कर दें। माधव प्रसाद जी ने कहा हाईड ऐंड सीक का गेम न खेलें तो कम से कम नीति के मामले में तो स्पष्ट होना चाहिये। जब नीति के मामले में ऐसा माइन्ड रहेगा कि हम हिलते-डुलते रहें तो सारा मामला बिगड़ने लगता है।

श्री अध्यक्ष---

आप लम्बा भाषण न दें। दूसरों को भी बोलना है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, बाहर जो इंप्रेशन गया वह यह गया कि मुख्य मंत्री जी इस तरह का संशोधन करेंगे कि अधिकतम सीमा ४० से ३० होगी। साथ ही उसमें एग्जेम्पशंस हैं कि फुलवाड़ी, बाग के नाम पर जो है वह खत्म कर देंगे। हमें भी यही लगा। लेकिन यह जिस तरह से टाला जा रहा है तो लगता है प्रचार की दृष्टि से और अपनी सरकार को कायम रखने के लिये यह किया गया। क्योंकि वे उस पर टिकते नहीं और निश्चित घोषणा के बावजूद हट जाते हैं। किसी भी सरकार के लिए यह बड़े शर्म की चीज होनी चाहिय कि एक बार कोई बात कह दें और फिर उससे हट जायं।

श्री अध्यक्ष---

आप अपने आब्जरवेशंस न करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

वह तो आप कह चुके और मान लिया कि वह महत्व का प्रश्न है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इसमें बाहर से जानकारी की बात नहीं है। अगर उनका मजबूत निश्चय हो तो तुरन्त जवाब मिलना चाहिये, ऐसा आप निर्णय दें और उन्हें छूट नहीं मिलनी चाहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मैं एक बात की ओर श्रीमन् का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो सूचना भेजी वह स्वयं ही एक उत्तर था। और उस उत्तर को देने में क्या कठिनायी हो रही थी? यदि वह उत्तर देते तो हम लोग पूरक प्रश्नों के द्वारा इस प्रकार की नीति के खोखलेपन को सारे देश को बताते कि आज कोई कैबिनेट डिसीजन हो जिसमें यह कहा जाय कि आज से यह कानून लागू हो गया कि ३० एकड़ से अधिक सीमा नहीं होगी और उसके बाद पोलिटिकल प्रेशर

के कारण उस कानून के बारे में फिर वैसिलेटिंग माइंड हो तो श्रीमन् यह आदेश दें कि कृपा करके उत्तर दे दें जो उन्होंने आपको दिया । दूसरे श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियम २९ (४) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि यदि संबंधित मंत्री अल्प सूचना पर उसका उत्तर देने की स्थिति में न हों । तो आगे की प्रक्रियायें यह कौन तय करेगा कि उत्तर देने की स्थति में हैं या नहीं है ? कोई भी मंत्री यह कह सकता है कि मैं तो उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं । क्यों नहीं है ? कहीं से कोई सूचना प्राप्त करनी है या कुछ करना है। आप एक उत्तर देने की स्थिति में हैं । आपने एक उत्तर लिख कर भेजा है । मैं केवल यह कहना चाहता था कि श्रीमन्, तुरन्त उत्तर दिलवायें या हमको आधा घंटा दें कि हम बहस कर सकें या हमको प्रिविलेज मोशन लाने की सूचना देने की आज्ञा दें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय उदित नारायण शर्मा ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

माननीय अध्यक्ष महोदय .....

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपको नहीं बुलाया ।

श्री मैनेजर सिंह--

हमारी बात आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

पहले इनको बोलने दीजिये ।

श्री मैनेजर सिंह--

यह लोक महत्व का है, अविलम्बनीय है जो आपने स्वीकार किया है और उसके बावजूद सरकार ने इसे अस्वीकृत कर दिया । मैं देखता हूं कि मालम पड़ता है कि आपका सचिवालय मंत्रियों का एक विभाग हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा कर के बैठें (श्री मैनेजर सिंह के बोलते रहने पर)
आप नहीं मानते हैं तो मै आपको इंगित करूंगा । आप कृपा कर के बैठिये ।

श्री मैनेजर सिंह--

हमको इंगित कर दीजिये, लेकिन दबाइये नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मैनेजर सिंह बैठते नहीं हैं इसलिये मैं उनको इंगित करता हूं ।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री मैनेजर सिंह को तीन दिन के लिए हाउस की सदस्यता से निलम्बित किया जाय ।

(घोर व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

श्रीमन् ने जब कहा कि आप बैठ जाइये तो वह बैठ गये ।

(व्यवधान)

मैं निवेदन करूंगा कि आप कृपा करके प्रस्ताव न करें, वह बैठ चुके हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जब आप खड़े हुए और आपने इंगित करना चाहा तो वह बैठ गये थे । और आपके इंगित करने के बाद तुरन्त ही मुख्य मंत्री जी ने प्रस्ताव नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने फौरन यह कह दिया कि आप इंगित करिये ।

प्रश्न यह है कि.... (घोर व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि यह प्रस्ताव वापस लिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जैसे ही आप ने उनको इंगित किया मैं फौरन ही खड़ा हो गया और मैंने प्रस्ताव पेश कर दिया अगर वह आप के इंगित करने के बाद बैठते हैं और मैं पहले ही खड़ा हो जाता हूं फोर्थविद या तत्काल तो इससे ज्यादा तत्काल और क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर सदन की यह इच्छा है कि मैं अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लूं तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से यही प्रार्थना करूंगा कि चेयरमैन की जो आज्ञा हो वह सब माने वर्ना यह सदन नहीं चल सकेगा ।

श्री कृष्णानन्द राय--

मेरा निवेदन है कि आप के सचिवालय के बारे में मैनेजर सिंह जी ने कुछ कहा और आपने उनको इंगित कर दिया.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, वह मामला समाप्त हो गया । प्रस्ताव वापस हो गया ।

श्री कृष्णानन्द राय--

हमारा व्यवस्था का प्रश्न तो आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

अब तो आप की मन्शा पूरी हो गई, उम्होंने उदारता से उसको वापस कर लिया, अब आप बैठें ।

श्री मैनेजर सिंह--

मुझे इंगित करके निकालना चाहेंगे तो मैं निकल जाऊंगा, मुझे भय न दिखायें, जरा विवेक से काम लें, भय से मैं मानने वाला नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष--

अब वह बात समाप्त हो गई उस को खत्म कीजिये ।

(व्यवधान)

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)--

अध्यक्ष महोदय, अल्प सूचित तारांकित प्रश्न के संबंध में जो प्रश्न आप के सामने उपस्थित है वह बिलकुल स्पष्ट रूप से एक वैधानिक प्रश्न है इसलिये जो भी····

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

श्री अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप ने श्री मैनेजर सिंह को इंगित किया लेकिन माननीय मुख्य मंत्री ने कोई प्रस्ताव नहीं किया तो आप व्यवस्था दें कि····

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें, उन्होंने कह दिया है कि आप सब की मर्जी के हिसाब से वापस लिये ले रहे हैं।

श्री उदित नारायण--

तो मैं कह रहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अविलम्बनीय लोक-महत्व का प्रश्न है और इसीलिये मंत्री महोदय से पूछा गया कि क्या वह इस पर अपना वक्तव्य दे सकते हैं? उस पर मंत्री जी ने कहा कि वह इस समय इस स्थिति में नहीं हैं। अब दूसरी तरफ से माननीय लक्ष्मीरमण जी ने कहा कि इसमें प्रश्न यह है कि यह कौन तय करेगा कि वह वक्तव्य देने की स्थिति में हैं या नहीं हैं? मेरा निवेदन है कि इस को तय करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे जो नियम बने हैं उन से स्पष्ट है कि नियम बनाने वालों के सामने यह स्थिति आई थी कि कोई ऐसा समय आ सकता है जबकि इस पर वादविवाद हो। तो इस बात पर कि वह उस स्थिति में हैं या नहीं हैं, इस पर वादविवाद न हो इसीलिये इस चीज को इस उपनियम (४) में स्पष्ट कर दिया गया है कि उस पर वादविवाद की आवश्यकता न होगी क्योंकि जब एक बार फैसला हो चुका कि वह अविलम्बनीय और लोकमहत्व का प्रश्न है तो सीधा रास्ता यह है कि दूसरे दिन तारांकित प्रश्न के समय उसको प्रथम स्थान दिया जायगा। इसका मतलब और इस का अर्थ यही है और इस की नींव में यही चीज है कि यह वादविवाद इससे न उठे। इसको कौन तय करेगा कि स्थिति में हैं या नहीं, आप तय करना चाहें तो इसमें २ रायें हो सकती हैं। आप की आज्ञा तो शिरोधार्य ही होगी लेकिन सन्देह फिर भी हो सकता है। लेकिन बाद में जो यह दिया है उसका मतलब ही यह है वर्ना निरर्थक हो जायगा और आप को तो देखने की आवश्यकता ही नहीं रह जायगी कि मंत्री महोदय ने जो लिखकर दिया है वह वास्तव में सही है या नहीं है। इसको मानकर ही आगे की प्रक्रिया दी हुई है कि वादविवाद का प्रश्न न उठे। इसलिये माननीय लक्ष्मी रमण जी इस पहलू पर विचार करें कि यह एक विधान और ला का प्रश्न है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं····।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उदित नारायण जी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे नेता भी रहे हैं। उन्होंने जो यहां पर दलील दी है अगर उसे मान लिया जाय तो इस आदरणीय सदन में एक भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। मैं, श्रीमन्, यह महसूस करता हूं कि माननीय मंत्री जी को माननीय अध्यक्ष के ऊपर कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। जब एक प्रश्न पर माननीय अध्यक्ष कोई निर्णय देते हैं, उसे अवलोकनीय महत्व का और अविलम्बनीय होने का निर्णय देते हैं तो उसे माननीय मंत्री जी को अस्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं है। यदि किसी विशेष सूचना की आवश्यकता हो और जो निर्धारित समय में एकत्रित न हो सके तो वे आपसे निवेदन करेंगे और उस पर पुनः आपका निर्णय होगा कि माननीय

[श्री मैनेजर सिंह]

मंत्री जी ने जो जिक्र किया है वह उचित है कि नहीं । यदि आप मुनासिब समझते हैं तो आप उस सवाल को टाल सकते हैं और यदि आप मुनासिब नहीं समझते हैं तो माननीय मंत्री को विवश करते हैं उत्तर देने के लिए ।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था के प्रश्न पर आपको नियम भी बताना चाहिये ?

श्री मैनेजर सिंह—

जिस नियम के अन्दर सूचना दी है, आपने कोई निर्णय नहीं लिया है । मैंने आपके सचिवालय के बारे में कल भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि वह ठीक ढंग से काम नहीं करता है । आपके सचिवालय का कर्त्तव्य था कि माननीय दूबे जी को इस परिस्थिति से अवगत कराते । यदि उन्हें अवगत करा दिया गया होता तो माननीय दूबे जी आपसे मिल लिये होते और आज सदन का आधा घंटे का समय न जाता । आपका सचिवालय सक्षम रूप से कार्य कर सकें, इसकी भी आप व्यवस्था करें ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, आपके माध्यम से माननीय उदित नारायण शर्मा जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप किनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, मंत्री जी से या माननीय शर्मा जी से ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जब माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर इस कार्यक्रम और कानून की घोषणा की थी.....

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप कह चुके हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

तो उसका मतलब यह था कि सारे पहलुओं पर विचार करके ही निश्चय लिया गया है। तो अब यह कहना कि विभिन्न पहलुओं पर निश्चय करना बाकी है, कहां तक मुनासिब है ? यह तो प्राइमाफेसी रांग मालूम होता है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, आप देखें, आपने जो बताया कि नियमावली के अनुसार तारांकित प्रश्न की शक्ल में यह प्रश्न बदला जायगा । तारांकित प्रश्न के ऊपर फिर माननीय मंत्री जी को अधिकार प्राप्त हो जायगा कि वह कह दें कि सूचना एकत्रित की जा रही है । फिर उनको समय मिल जायगा । इस प्रकार जानबूझकर इस प्रश्न पर टालमटोल की नीति अख्तियार की जा सकती है । यह आप देख लें स्थिति का क्या तात्पर्य है ? स्थिति का मतलब क्या है ? अगर कोई ऐसी विस्तृत सूचना मंगानी हो तो ठीक है लेकिन अगर कोई मंत्री नहीं है, या वह बीमार है या उसके मूड में नहीं तो यह बात नहीं होनी चाहिये । सिर दर्द होने लगे और वे कहें कि वे इस स्थिति में नहीं है तो उसका अर्थ यह नहीं है । स्थिति का स्पष्ट अर्थ यह है कि संबंधित मंत्री के पास सूचना उपलब्ध नहीं हो तभी वह उत्तर देने के लिये ऐसा कह सकते हैं ।

दूसरी बात यह कि अगर सूचना उसके पास उपलब्ध नहीं है तब मेरा कहना है कि माननीय राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण किया श्रीमन्, इस सदन ने उनके अभिभाषण को सुन कर उसे इस सदन की प्रापर्टी बनाया और उसके ऊपर धन्यवाद का एक प्रस्ताव पास किया। अब उस प्रश्न पर मंत्री जी को यह कहने का क्या अधिकार है कि हम विचार कर रहे हैं ? जो चीज सदन की प्रापर्टी बन जाय उस पर फिर विचार करने की बात कह कर प्रश्न को टालना, सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बन जाता है। यह तो आपके भी अधिकारों पर कुठाराघात है। आप सक्षम हैं, आप इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को भेज कर समिति की राय प्राप्त कर सकते हैं, मैं चाहता हूं यह आप करें। उसकी राय आने पर आप माननीय मुख्य मंत्री जी को दंडित करें।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह---

मंत्रि मंडल पर नियंत्रण यह सदन रखता है और वह नियंत्रण प्रश्नों के द्वारा ही हो सकता है। प्रश्न आते हैं, फिर उस पर अनपूरक प्रश्न होते हैं। इसमें ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने उत्तर नहीं दिया है। सरकार ने उत्तर तो दिया है, मगर वह अनपूरक प्रश्नों से बचना चाहती हैं, इसलिये उसने ऐसा उत्तर दिया है। तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि सरकार ने अनपूरक प्रश्नों को टालने के लिए ही इस प्रकार का उत्तर दिया है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्नों के संबंध में इंगलैन्ड में जो प्रथा है वह मैं इस किताब "क्वैश्चन्स इन पार्लियामेंट" से पढ़ कर आपको सुनता हूं। उसमें यह लिखा है :---

".....The rules governing questions do not compel a Minister to reply and if he were to refuse the Speaker could not exercise any control over him....."

तो मैं बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसका कोई रीजनेबिल बेसिस नहीं है तो इसमें आगे लिखा है कि :---

".....the House would not be at all happy about his attitude and would draw his own conclusions....."

तो अब आप जो कुछ भी कंबलूजन इन सब से ड्रा करना चाहें वह कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता जवाब देने के लिये। (व्यवधान)

मंत्रिपरिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं नियम २७५ के अन्तर्गत वर्तमान मंत्रि मंडल में विश्वास का अभाव प्रकट करने हेतु निम्न प्रस्ताव पेश करने की सदन से अनुज्ञा चाहता हूं।

"क्योंकि इस मंत्रि परिषद् ने ६। एकड़ तक की बिना बचत की जोतों से लगान खत्म करने की नीति को अस्वीकार है, वृत्ति-कर (प्रोफेशन टैक्स) को दोबारा प्रदेश पर लादा है, सहायता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन दिये जाने की जिम्मेदारी लेने से इंकार किया है, हरिजनों की सरकारी नौकरियों में उनके संरक्षण कोटे की पूर्ति के समय तक के लिए ४५ प्रतिशत भर्ती की नीति को ठुकरा दिया है, आबपाशी की दरों को नहीं घटाया है, सरकारी कामकाज व अदालतों में अंग्रेजी हटाकर हिन्दी को लागू करने तथा उर्दू के उचित विकास की नीति नहीं अपनाई है तथा दमन पर उतारू है। अतः यह सदन वर्तमान मंत्रि परिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष--

जो सदस्य इस अविश्वास प्रस्ताव की अनुज्ञा दिये जाने के पक्ष में हों, वे खड़े हो जायें ।

(विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये और उनकी गणना की गई)

श्री अध्यक्ष--

(विपक्ष में खड़े सदस्यों की संख्या ८५ से अधिक होने पर) चूंकि इस प्रस्ताव के पक्ष में ८५ से अधिक सदस्य हैं, इसलिये इसकी अनुज्ञा दी गई ।

इस संबंध में नियम यह है कि जब यह अनुज्ञा दी जायें तो उसके १० रोज के अन्दर मैं कोई तिथि निश्चित कर सकता हूं । ठीक है इसमें तो आपको कोई आपत्ति नहीं है ?

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

आपको तो सब कुछ अधिकार है। आप को नियमों को निलम्बित करने का भी अधिकार है। (हंसी)

श्री अध्यक्ष--

मैं इसके बारे में आपको लंच के बाद बता दूंगा ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

इसके बाद आप इस पर समय निर्धारित कर दीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसके बारे में सोंच तो लूं ।

सीलिंग के सम्बन्ध में पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का सरकार द्वारा उत्तर देने से इन्कार करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)--

आपने मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर पार्लियामेंट के किताब से पढ़ा, लेकिन आपने इस प्रश्न पर अंतिम निर्णय क्या लिया ?

श्री अध्यक्ष--

मैं उनको उत्तर देने के लिए कम्पेल नहीं कर सकता हूं । इतना कहने पर भी वह नहीं खड़े हुए, इसका मतलब यह हुआ कि वह नहीं कहना चाहते, अब भी वह उसी राय के हैं । अब आप इसका चाहें तो कन्क्लूजन ड्रा कर लें, इसके लिए आप फ्री हैं, कन्क्लूजन ड्रा कर सकते हैं ।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे--

तो फिर मेरा प्रश्न तारांकित प्रश्न संख्या नम्बर १ पर रख दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष--

यह और बात है।

मंत्रिपरिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

चौधरी गिरधारी लाल--

मान्यवर, इसके लिए सोमवार, मंगलवार, बुद्धवार, और बृहस्पतिवार ४ दिन का समय रख दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष--

यह मुझे तय करना है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

यह ठीक है कि आपको इसके बारे में अपने विवेक से तय करना है । लेकिन आप अपने निर्णय से-उचित बात से हमें समझा दें । हमें पूर्ण संतोष होना चाहिये । यह दिन पूरी तरह ठीक रहेंगा, आप सोमवार से इस पर शुरू करायें ।

श्री अध्यक्ष--

आज से लेकर १० रोज के अन्दर किसी वक्त में भी मैं फिट कर दूंगा ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, यह तो निश्चित है कि आज से १० दिन के अन्दर हमें समय दे दिया जाएगा ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो रूल है, इसमें फर्क कैसे पड़ेगा ।

लोक लेखा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन*

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं कि मैं, नवीन सेवाओं पर अप्राधिकृत व्यय के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित मदों का सम्बन्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग, सामुदायिक विकास विभाग, नियुक्ति विभाग, चिकित्सा विभाग, सिंचाई विभाग तथा राजस्व विभाग से है । राजस्व विभाग की मद को छोड़ कर शेष मदों पर १९६७-६८ की लोक लेखा समिति ने विचार किया ।

१९६८ में विधान सभा भंग हो जाने के कारण १९६७-६८ की समिति की संस्तुतियों पर आधारित प्रतिवेदन विधान सभा के समक्ष नहीं रखा जा सका ।

वर्तमान समिति ने अपनी २१ जनवरी, १९७० की बैठक में प्रतिवेदन को स्वीकार किया ।

समिति के पूर्व सभापति के मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित हो जाने के कारण यह प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है ।

समिति ने उपर्युक्त अप्राधिकृत व्यय की सभी मदों को नियमित कर लेने की संस्तुति की है । किन्तु समिति समझती है कि इस प्रकार अप्राधिकृत व्यय करने की प्रवृत्ति अवांछनीय, दोषपूर्ण और वित्तीय नियमों और संविधान के विपरीत है । समिति का यह भी निश्चित मत है कि शासन को कोई भी व्यय विधान मंडल की स्वीकृति के बिना नहीं करना चाहिये । आपात-कालीन परिस्थिति में भी व्यय आकस्मिकता निधि से नियमानुसार ही किया जाना चाहिये ।

---

*छापा नहीं गया ।

स्वास्थ्य निदेशक, श्री डी० एन० शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय रामकुमार दीक्षित ने दिया है। उसमें यह है "विनम्र निवेदन है कि १२ मार्च को अपराह्न ४ बजे अपने क्षेत्र से संबंधित समस्या के सम्बन्ध में फोन पर श्री डी० एन० शर्मा, स्वास्थ्य निदेशक से बात करना चाहा, हमें अत्यन्त खेद है कि स्वास्थ्य निदेशक जैसे जिम्मेदारी के पद पर होते हुये भी डाक्टर साहब ने फोन पर ही मुझ से यह कहा कि आप (selfish) हैं। यह अपमान हुआ हमारा। इसलिये डी० एन० शर्मा के प्रति हम यह विशेषाधिकार का प्रश्न लाते हैं।

मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यह बिलकुल अस्पष्ट है कि उन्होंने क्या कहा, किस प्रकार सेल्फिश कहा, कोई बात नहीं है, कि क्या क्या बातें हुईं? इसमें टिप्पणी आनी चाहिये तब मैं निर्णय कर सकता हूं। (श्री रामकुमार दीक्षित के खड़े होने पर) गोल बात कही है। आप स्पष्ट कर दीजियेगा। मुझे लिख कर दीजियेगा। इसलिये इस पर आज फैसला स्थगित करता हूं।

श्री राज मंगल पांडेय द्वारा उठाये गये अवमान के प्रश्न को मैं आफटरनून में लूंगा। अभी स्वास्थ्य मंत्री का प्रस्ताव पड़ा है, बिल्स हैं। पहले यह तय हुआ था कि बिल्स पहले लिये जायेंगे। आज शिवदास जी आ गये हैं, उनका बयान होगा, बाद में ढाई बजे तक इन बिल्स पर चर्चा खत्म कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

२ मार्च, १९७० को श्री नित्यानन्द स्वामी द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

वित्त मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक २ मार्च, १९७० को श्री कृष्णानन्द राय द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ५ के सम्बन्ध में श्री नित्यानन्द स्वामी ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "मेरा यह प्रश्न नहीं था श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर दिला दिया जाय। मेरा प्रश्न यह था कि क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कमीशन का जो टर्म्स आफ रेफरेंस है क्या उसके अन्तर्गत उनको अन्तरिम सहायता दिलाने का कोई प्राविधान नहीं है? उनमें ऐसी कोई चीज है या नहीं?"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "अन्तरिम सहायता का प्राविधान नहीं है।" वास्तव में स्थिति इस प्रकार है जिसका बाद में पता चला।

सही उत्तर इस प्रकार है—"वेतन आयोग अन्तरिम रूप से सहायता दिये जाने की मांगों पर विचार कर सकता है और उन पर अपनी आख्या शासन को भेज सकता है।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

श्री कृष्णानन्द राय, सदस्य, विधान सभा, द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
५—क्या मुख्य मन्त्री को विदित है कि राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ का कोई मांग-पत्र हाल में प्राप्त हुआ है और वे १० मार्च, १९७० को मुख्यालयों पर इस बात के लिये प्रदर्शन करने जा रहा है कि उन्हें जीने लायक न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में उनकी मांगों को स्वीकार करने की शीघ्र घोषणा करेगी ?	उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ की ओर से दिनांक १३ जनवरी, १९७० का मांग-पत्र अवश्य प्राप्त हुआ है जिसमें जीने लायक वेतन संबंधी मांग की गयी है। इस मांग-पत्र में दिनांक १० मार्च, १९७० को मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है। शासन उनकी मांगों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके निर्णय लेगा ।

उत्तर प्रदेश उपहार वस्तु विधेयक, १९७०†

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश उपहार वस्तु विधेयक, १९७०, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११७–१२० पर)

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७०†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद))—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर निम्नलिखित संशोधन रखता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसको कि विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो। वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर दे दें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

इस मुस्लिम वक्फ विधेयक के सिलसिले में जो संशोधन माननीय मन्त्री जी ने पेश किया है इसके आबजेक्ट में जो बात लिखी है उसके आधार पर मुझको कुछ कहने का मौका मिला है। मालूम हुआ कि कुछ आपस में वक्फ पर एलेक्शन के बाद उसको बनाने के लिये उसके ऊपर मुकदमेंबाजी हाईकोर्ट में चल रही है। कुछ किस्सा दोनों तरफ से हुआ जिसकी वजह से मन्त्री जी को यह अहसास हुआ कि उनका काम चलने में बाधा पड़ रही है। लिहाजा यह संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया है। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी लिखा है कि इस मौके का फायदा उठाने के लिये कुछ और ऐसे संशोधन रखे हैं ताकि वक्फ का काम सही ढंग से और अच्छे ढंग से चल सके। इसलिये मुझको भी यह मौका मिला कि मैं इस वक्फ के विषय पर, मुस्लिम वक्फ के बारे में कुछ कह सकूं।

---

†२६ फरवरी, १९७० की कार्यवाही में छपा है।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

मैं माननीय मन्त्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब सेन्ट्रल ऐक्ट बना था तो उसमें यह दिया गया था कि यह उस सूबे में लागू किया जायगा जिस सूबे की सरकार इसको अपने यहां लागू करने की इजाजत देगी। इस चीज को लेकर ६५ में प्रोफेसर हुमायूं कबीर मरहूम, जो वक्फों के मिनिस्टर थे, यहां तशरीफ लाये थे और उन्होंने एक मीटिंग सारे मुस्लिम लेजिस्लेचर की और कुछ दूसरे साहबान की बुलाई थी जो तिलक हाल में हुई थी। वहां बैठकर इस पर विचार किया गया था कि सेन्ट्रल ऐक्ट को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाय या नहीं। तो उस वक्त मुस्लिम लेजिस्लेचर और कुछ जिम्मेदार लोगों की यह राय थी, अली जहीर साहब भी मौजूद थे, तो उन सब की यह राय थी कि जो वक्फ काम कर रहें हैं शिया, सुन्नी के वह ठीक ढंग से काम नहीं कर रहें हैं। जिस मकसद के लिये ये वक्फ बनाये गये थे वह उस मकसद को हासिल नहीं कर रहें हैं तो लिहाजा यह तय हुआ था कि एक काम्प्रेहैन्सिव बिल, १९६० के सेन्ट्रल ऐक्ट को सामने रखकर और वक्फ की सारी बातों को सामने रखकर लाया जायगा जिससे सारी परेशानियां दूर हो जायं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक कोई उस तरह का काम नहीं हुआ।

मौजूदा अमेंडमेंट इसलिये लाया गया है कि कानून में खामी रह गयी है। हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है लिहाजा यह संशोधन विधेयक लाया गया, क्योंकि हाईकोर्ट में मुकदमों के फैसल करने में कानूनी रुकावट हो गयी है। लेकिन यह देख कर दुख होता है कि इसके जरिये से उन्होंने इसके कांस्टीट्यूशन को ही बदल दिया है। सन् १९६० का जो मूल अधिनियम है उसमें सेक्शन ११ के अन्तर्गत जो संविधान है सुन्नी सेंट्रल बोर्ड का उसके अनुसार ५ मेम्बर असेम्बली के मुस्लिम मेम्बर चुन कर जाते थे। दो मेम्बर इलाहाबाद हाईकोर्ट के, १ लखनऊ बेंच के, १ मेम्बर वर्किंग कमेटी जमीयते उल उलेमा, लखनऊ, यू० पी० का, एकआदमी फानेन्शियल एक्सपर्ट, तीन उलेमा और दो मुत्वल्लियों में से उसके मेम्बर होते थे। इस तरह से १४ मेम्बरों का बोर्ड था। लेकिन १४ को काट कर ११ कर दिया इस संशोधन का फायदा उठा कर। लेकिन जरा गौर करिये कि १४ में से कौन कम हुये? तीनों उलेमा कभी में आ गये। उलेमाओं के साथ साथ एक मुतवल्ली भी कम हो गया। तादाद कुल घट कर ११ रह गयी।

मेरा कहना यह है कि उलेमाओं की कमी की गयी जब कि उनका ही अकीदा इन औकाफों में है। वह अकीदा उलेमाओं का इसलिये है कि पूरे प्रदेश के अन्दर आम तौर से दो स्कूल आफ थाट हैं। एक बरेलवी स्कूल आफ थाट है और दूसरा देवबन्दी स्कूल आफ थाट है। आम तौर से उसी के मेम्बर जमियत उल उलेमा की वर्किंग कमेटी में मौजूद हैं। जो देवबंदी स्कूल आफ थाट के लोग हैं उनमें तीन नुमाइन्दे होते थे, उनकी गर्दन काट दी गयी। मंत्री जी जानते होंगे कि इन औकाफों का अकीदा मजारों पर होता है और उन मजारों में तीन चार खासकर ये मजारें हैं जैसे शाह बुलाकी साहब, मुरादाबाद, देवा शरीफ, सालार गाजी मसूद, बहराइच और पीरान कलियर शरीफ, सहारनपुर। आप जानते होंगे कि हर मजहब के अन्दर बड़े बड़े तपस्वी हुये हैं। उनके अन्दर कुछ अकीदत होती हैं और ८० फीसदी लोग बरेलवी स्कूल आफ थाट के लोग हैं और जिनका अकीदा इन औकाफो पर होता है, वे इन मजारों के नाम पर अपनी जायदादें वक्फ कर देते हैं। और उत्तर प्रदेश में लगभग १० करोड़ की प्रापर्टी इन औकाफों के जिम्मे है।

यह प्रापर्टी उन लोगों की है। इसलिये बड़े खेद की बात है कि माननीय मंत्री जी ने इसमें कटौती की तो इन्हीं लोगों के नुमाइन्दों की कर दी जिन लोगों की सारी प्रापर्टी है और इस अकीदे को मानने वाले हैं। इसलिये मुझे इस कटौती पर आपत्ति है। यह सोचने की बात है कि प्रदेश में ८० फीसदी लोग जिस अकीदे के मानने वाले हैं उनकी दस करोड़ की प्रापर्टी इकट्ठा हुई है उनकी नुमायन्दगी आपने वक्फबोर्ड से खत्म कर दी और जो लोग इस अकीदे को नहीं मानते हैं उनकी बदस्तूर कायम है। इसलिये मुझे इस पर घोर आपत्ति है और मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी इस पर विचार करने की कृपा करेंगे।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपने इसमें एक लफ्ज नामीनेटेड का रख दिया है। इसमें मूल चीज यह है कि जो कोआप्ट करने का इस बोर्ड के मेम्बरों को अधिकार था वह चीज उन से लेकर के सरकार ने अपनी जगह पर नामीनेट करने का अधिकार ले लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि जब मरहूम हुमायूं कबीर साहब यहां तशरीफ लाये थे तो इसी बात को आधार बनाया गया था कि जो सेंट्रल वक्फ ऐक्ट है उसमें जो कौंसिल थी उसके सारे के सारे मेम्बर्स नामीनेटेड थे। हम लोगों ने यह कहा था कि उनकी नामीनेटेड करने की पावर को मानने का मतलब यह होगा कि हमारे जो डेमोक्रेसी में, प्रजातन्त्र में अधिकर हैं उन पर कुठाराघात करना चाहते हैं। इसलिये हम इस पावर को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐक्ट में लाना चाहती है, मानने के लिये तैयार नहीं हैं। अगर हमारे सूबे के इस ऐक्ट में कोई कमी है, कोई खामी है और हमें कोई परेशानी या दुश्वारी होगी तो हम लोग आपस में एक जगह बैठकर तय कर लेंगे कि हमें क्या करना चाहिये। उनकी इस बात को हम मानने के लिये कतई तैयार नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर नामीनेटेड करने वाली चीज को आप लाना चाहते हैं तो फिर सेंटर वक्फ ऐक्ट को लागू करने में आपको क्या परेशानी है ? फिर क्यों आप मुकदमेंबाजी को मौका देते हैं। आजकल सारे औकाफ परेशान हैं और देख रहें हैं कि मुकदमें में किस की जीत होगी और किसकी हार होगी। जब नामीनेटेड की प्रथा रखनी ही है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेन्ट को दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

भाषण आप संक्षेप में कर दीजिये।

श्री रियासत हुसैन—

जी हां अभी २-३ मिनट में खत्म किये देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि बोर्ड मे यह १४ आदमियों की भर्ती कोई ज्यादा नहीं है। इसके अन्दर सारे उन मुसलमानों का जो इस अकीदे में ऐतबार रखते हैं, इस अकीदे को मानने वाले हैं, उनके जज्बात हैं। इसलिये आपको चाहिये कि जो मरहूम हुमायूं कबीर साहब के जमाने में किया गया था कि प्रदेश के सारे लेजिस्लेचर्स को बुला करके विचार विमर्श करें और सोचें कि इसमें क्या कमी है, क्या परेशानी है और इसको कैसे दूर किया जाय।

मेरा सुझाव यह है कि इस बोर्ड के अन्दर जितने मुस्लिम विधायक हैं, शिया सुन्नी उनकी एक बाडी बना दी जाय। जब हमें मालूम होता है कि बोर्ड में गड़बड़ी हो रही है, औकाफों में गड़बड़ी हो रही है और हम असेम्बली में प्रश्न पूछते हैं तो हमें जवाब मिलता है कि वक्फ बोर्ड इंडिपेंडेंट बोर्ड है इसलिये उसका जवाब हाउस के फ्लोर पर नहीं मिल सकता। आज हमें मौका मिला है जब यह विधेयक हमारे सामने हाउस में आया है। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि मंत्री जी इस पर विचार करें कि सारे लेजिस्लेचर्स, की एक कमेटी बना दें जो साल में कम से कम तीन बार अवश्य मिले और हमारे प्रदेश के जितने औकाफ हैं उनके सिलसिले में बैठ कर विचार करे, और स्कीम बनाये जिससे उनका काम सुचारु रूप से अच्छे ढंग से चल सके।

[इस समय १ बजकर ५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामसिंह, (सहारनपुर) पीठासीन हुये।]

*श्री चन्द्र भान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, इस विषय में मैं भी कुछ निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हालांकि मुस्लिम वक्फ विधेयक का संशोधन ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ से आया है और उसका समर्थन तो करना ही पड़ेगा पर मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि उस ऐक्ट को शामिल कर लें तो रोजाना का सारा झगड़ा खत्म हो जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती और जो औलिया हैं उनको केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के हर हिस्से से लोग आकर सजदा करते थे,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

इबादत करते थे। उसमें सिर्फ मुसलमानों में शिया और सुन्नी ही नहीं हैं बल्कि सभी मजहबों के माननेवाले यहां आकर अपनी मन्नतें करते थे। अजमेर शरीफ के चारों तरफ जितनी बड़ी बड़ी जायदादें हैं, जहां पर हर धर्म के लोग अपनी अपनी मनौतियां चढ़ाने जाते हैं और दूसरे धर्मों के लोगों की भी उसके लिये बडी बड़ी कुर्बानियां हैं, उसको आज सेकटेरियन बनाया जा रहा है। उसके चारों ओर जो काफी पुराने समय से बड़ी बड़ी जायदाद है उसके ऊपर हर तरीके से दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं और नाजायज तरीक से उससे फायदा उठाना चाहते हैं।

मुश्तरका तहजीब का प्रचार करने वाले ऐसे ही लोग हो गये हैं जो इससे नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं और जो इसकी बहबूदी चाहने वाले लोग हैं वे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूं कि इस ऐक्ट के अन्दर तरमीम करने से पहले उनको इस बात का खयाल होना चाहिये कि आपका इन्तजाम कोई भी हो लेकिन मुसलमानों की तहजीब के अन्दर लागू किया जाय जिससे न सिर्फ मुसलमान ही बल्कि हर तबके के लोग उससे मुस्तफीद हो सकें।

इस समय जो अमेन्डमेंट किया जा रहा है वह बहुत ही काबिलेगौर है। यह इस लिये कि हाई कोर्ट में यह मसला चल रहा है। इसके नतायज का बगैर इन्तजार किये हुये जल्दी में इसको किया जा रहा है। लखनऊ हाई कोर्ट के अन्दर मुकदमें चले हैं और पहले हाई कोर्ट का फैसला होने के बाद इसको होना चाहिये। हमारे मंत्री महोदय इस बात को देखें कि असेम्बली के अन्दर तीन शिया मेम्बर हैं और उन तीनों की नुमाइन्दगी होनी चाहिये लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और एक को अलग कर दिया और दो आदमियों को बाहर किया। इसलिये मैं मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि मुस्लिम वक्फ में चाहे वह सुन्नी हो या शिया हो उसमें इनकी नुमाइन्दगी होनी चाहिये। अगर इसके अन्दर रिप्रेजेन्टेशन ज्यादा हो जायगा तो इससे ज्यादा लाभ होगा और इसको अच्छी तरह से देखभाल करने का मौका मिलेगा। मान्यवर, सुन्नी बोर्ड के अन्दर दो रिप्रेजेन्टेटिव शासन की तरफ से होने थे। यहां पर एक खान बहादुर साहब हैं। मान्यवर, यहां पर दो मेम्बर होने थे एक इलाहाबाद से और दूसरा लखनऊ से। लेकिन उन्होंने दोनों ही को लखनऊ से कर दिया। खानबहादुर साहब बहुत अच्छे हैं और इसमें कोई एतराज नहीं कि वह इसके मेम्बर बने रहें। जब इसकी खबर इलाहाबाद कोर्ट पहुंची तो वहां पर चख चख हुई और उनको ताज्जुब हुआ। मिनिस्टर साहब को भी ताज्जुब होगा कि जिस वक्त लखनऊ में एक्शन हो रहा था उस समय किसी को भी मालूम नहीं था, न तो लखनऊ में और न तो इलाहाबाद में ही कि दोनों ही लखनऊ से हो जायेंगे। इस तरह से दोनों ही रिप्रजेन्टेटिव मुन्तखब कर दिये गये।

इस वक्त जो अमेन्डमेंन्ट तरमीम का पेश किया गया है उसमें उनको एलेक्शन और कोआप्शन का राइट होगा जिनकी १० हजार रुपये से ज्यादा आमदनी होगी। इसका मतलब है कि १० हजार की आमदनी जिन लोगों की नहीं है वह सब के सब तबाह हो जायेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे कि तकिया जलील के पास जो जमीन है, मैदान उस वक्त था, आज वह सब खत्म होता जा रहा है और वहां पर मकान बनते जा रहे हैं। वहां पर एक टीला भी था जिस पर भी एक मकान बन गया है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो जायदादें थीं उन पर लोग अपना कब्जा करते चले जा रहे हैं। यह सब बड़े-बड़े लोगों ने किया है जिनक पास पहले से ही काफी था और इस तरह की जायदादों पर कब्जा करके वह अपनी आमदनी को और बढ़ाते जा रहे हैं। वह यह चाहते हैं कि जो छोटे लोग इसके साये में पड़े हैं वे सब खत्म हो जायं। साथ ही उन ही लोगों के हाथों में पूरा रिप्रेजेन्टेशन हो जाय जैसा कि रियासत वालों ने किया।

पहले इसमें १४ होते थे पर अब ११ कर दिये गये हैं। मंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि क्या कोई गारन्टी इस बात की है कि किसी वक्त ऐसा भी हो सकता है कि इस हाउस में एक

भी शिया मेम्बर न आये तब आप क्या करेंगे। यह होना चाहिये कि चाहे शिया हो या सुन्नी हों पूरे हाउस को यह अख्तियार दे दिया जाय तब तो इसका इन्तजाम बहुत अच्छा चल सकता है। इस वक्त औकात के ऊपर है। औकात को लेकर आज कई मुकदमें हाई कोर्ट में चल रहे हैं। मैं मान्यवर, मंत्री जी से कहूंगा और अगर वह मुनासिब समझें तो जिस वक्त मुमकिन हो उसमें तरमीम कर दें जिससे उनका फायदा होगा, इससे मुसलमानों का और गरीबों का फायदा होगा। ख्वाजा मुइनुद्दीन के दरगाह में आज भी लाखों आदमी जाते हैं। जिसमें हिन्दू भी हजारों की संख्या में होते हैं जो मनौतियां मानते हैं और उनको बड़ी श्रद्धा है। इसलिये मैं आप से फिर अर्ज करता हूं कि आप इसको देखें। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, गुप्ता गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे भी काम किये और कुछ बुरे भी काम किये हैं। अगर उन्होंने कोई काम अच्छा किया है तो उसकी हमको सराहना करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इन अच्छे कामों में एक यह काम था जो उन्होंने वक्फ आर्डिनेन्स को निकाल कर किया। वक्फ आर्डिनेन्स किन हालात में आया इसको भी रियासत हुसैन साहब ने बयान कर दिया है। प्रीवियस ऐक्ट में एलेक्शन हुआ और उसके बाद एक प्रोसीड्योर था कोआप्शन का। उसमें जब देर हुआ तो आपस में निफाख हुआ और लिटीगेशन शुरू हुआ। नतीजा हुआ कि जो पहले बोर्ड था वही फंक्शन करता रहा।

सवाल यह हुआ कि आखिर मेम्बरान जिनकी मियाद भी खत्म हो चुकी है वे किस तरह से फंक्शन करें। उस वक्त हमारे मिनिस्टर अतीकुर्रहमान साहब थे। उन्होंने एक खत तमाम मेम्बरान असेम्बली को लिखा और उसमें उन्होंने पूछा कि इसमें किस तरीके से अमेंडमेंट किया जाय। हर मेम्बर ने अपनी-अपनी राय दी और उस राय की बिना पर कुछ अमेंडमेंट्स किये गये। मैं साफ कह दूं माननीय अनवार अहमद साहब से जो इसके इन्चार्ज हैं कि जितने अमेंडमेंट्स हुये हैं, मैं समझता हूं कि वे नाकाफी हैं। यह तो बाद को कहूंगा कि कौन-कौन अमेंडमेंट्स हुये...

श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)---

सदन में कोरम नहीं है, श्रीमन्।

श्री अधिष्ठाता---

इस सदन की यह प्रथा रही है कि १ बजे और २ बजे के बीच में कोई कोरम की बात नहीं रहेगी और न वोटिंग ही होगी।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई---

तो उस वक्त जो मश्विरे दिये गये थे उनकी बिना पर यह आर्डिनेन्स आया। आर्डिनेंस की मियाद खतम होने पर यह इनएफेक्टिव हो जायेगा। इसको ४२ दिन के अन्दर ऐक्ट के रूप में तब्दील हो जाना चाहिये लिहाजा अनवार अहमद साहब ने यह बिल आपके सामने पेश किया है। मैं समझता हूं कि रियासत हुसैन साहब ने जो कहा है इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और वह उसमें तरमीम करे, इसमें तो बहुत वक्त लगेगा और मुमकिन है कि यह ऐक्ट भी खत्म हो जाय इसलिये मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि जो आपका ऐक्ट है, उसको पास करने के लिये उसकी मुआफिकत में वोट देने के लिये मैं तैयार हूं लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि यह ऐक्ट बहुत ही डिफेक्टिव है और जरूरत है कि इसमें काफी अमेंडमेंट्स किये जायं। अगर यही देखा जाय कि ५ सुन्नी मेम्बर एलेक्ट होने हैं बोर्ड के लिये, सुन्नी बोर्ड के ५ मेम्बर एलेक्ट होकर चले जाते हैं और उनको कोई रोकता भी नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो प्रेसीडेंट हैं उनके साहबजादे मुतवल्ली हो गये। पहले वे खुद मुतवल्ली थे लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके साहबजादे मुतवल्ली हो गये। सोचने की बात है कि जो वक्फ बोर्ड का प्रेसीडेंट है वह मुतवल्ली नहीं है

[श्री मुस्तफा कामिल किदवाई]

बल्कि उसका लड़का मुतवल्ली है। यह आप सब लोगों को वाकफियत है कि बाप लड़के पर कंट्रोल करता है या लड़का बाप पर कंट्रोल करता है।

दूसरी बात यह कि ५ मेम्बर जो इलेक्ट हुये, मैंने उस वक्त कहा था चूंकि मेरा पुराना ताल्लुकात वक्फ से रहा है और वक्फ दरगाह अजमेर के लिये सन् ४९ में जो कमेटी गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बनायी थी उसका मैं सेक्रेटरी था, और उस सिलसिले में तमाम हिन्दुस्तान के तमाम वक्फस की स्टडी करने का मुझे मौका मिला था। मैंने चाहा था कि इन वक्फस में शिरकत करके मुमकिन है कुछ खिदमत कर सकूं लेकिन उस वक्त मैंने वह घुड़दौड़ देखी कि जिसको देखो वही वक्फ बोर्ड का मेम्बर बनने के लिये कोशिश कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं अपने को इस घुड़दौड़ में न डाल सकूंगा। उसमें ऐसे लोग भी थे जिनका खुद ताल्लुक वक्फ से है और वक्फ के रिसीवर हैं, तमाम वहां मौजूद हैं और वक्फ कमेटी के मेम्बर भी हैं। मैं समझता हूं कि यह अमेंडमेंट ऐसा है जिसका होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि अगर वक्फ कमेटी के ५ आदमी इलेक्ट हो गये तो ५ वर्ष के लिये वे अपनी मिरास समझते हैं।

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये)

वे समझते हैं कि अब वक्फ कमेटी में पहुंच गये हैं, चाहे वे सफेद करें या स्याह। उनको कोई रोक नहीं सकता है।

हाउस में अगर कोई क्वेश्चन किया जाता है तो हाउस में मिनस्टर्स जवाब देते हैं कि वक्फ कमेटी एक आटोनामस बाडी है, उसके बारे में ऐक्शन नहीं लिया जा सकता है। नतीजा यह है कि ५ वर्ष के वास्ते मुस्तकिल तरीके से मेम्बर मौजूद हो जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितनी खराबियां वक्फ कमेटी में हुयी हैं उनके बारे में ज्यादातर जिम्मेदार एसेम्बली के मेम्बर्स हैं और वह पालिटिशियन्स हैं जो अपनी गर्ज को ले कर उसमें गये हैं। वही अशखास प्रेजीडेन्ट बनना चाहते हैं और वही फायदा उठाते हैं। वही लोग उसकी मेम्बरी के वास्ते बेताब होते हैं।

मैंने एक खत श्री अतीकुर्रहमान साहब को लिखा था। उसमें मैंने लिखा था कि एसेम्बली और काउन्सिल दोनों से ३५ मेम्बरान इलेक्ट करें। उनको कम से कम यह हक होना चाहिये। वक्फ कमेटी में जो मेम्बरान गये हैं वे अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। वे अपनी खुदगर्जी में पड़ गये हैं और उससे वक्फ का इन्तजाम खराब हो रहा है। हमको फरमाइश करने का हक होना चाहिये। अगर हम उनको विदड्रा करना चाहें तो विदड्रा कर सकें, यह हक होना चाहिये। मिनिस्टर्स में तो वह हिम्मत नहीं है। मुझे मालूम नहीं कि अनवार अहमद साहब में कितनी हिम्मत है कि वे इस तरह के मेरे सजेशंस को मानने को तैयार होंगे कि नहीं होंगे। मगर मैं समझता हूं कि इस तरह के अख्तियारात होने चाहिये। यह अख्तियार होना चाहिये कि वे अपने इत्मिनान के आदमियों को रख सकें। अगर कम से कम २/३ मेजारिटी पास करती है उनको विदड्रा कर लिया जाये।

दूसरी चीज जो इस अमेन्डमेन्ट में कही गयी है उसके बारे में फिर मैं अनवार अहमद साहब से कहूंगा, अगर वह मेरी तरफ मुतवज्जेह हो जायं। यह कहा गया है कि नामिनेटेड आफिसर्स होंगे। इसके बारे में मुझे यह अर्ज करना है कि आफिसर्स जिस वक्त तक सर्विस में हैं उस वक्त तक वे वक्फ के लिये और कम से कम कम्युनिटी के वास्ते बिल्कुल बेकार चीज होते हैं। उनमें वह हिम्मत हो ही नहीं सकती है कि वह कोई ऐसा कदम उठायें जो उनके अफसरान या उनके मिनिस्ट्रान या एम०एल०ए० साहबान की मर्जी के खिलाफ हो। उनको हर वक्त यही अन्देशा रहता है कि कहीं ये लोग हमसे नाराज न हो जायें और कहीं हमारी नौकरी ही न चली जाये इस वक्फ के पीछे।

मैं दरख्वास्त करूंगा कि नामिनेटेड मेम्बर्स वे लोग हों जो गवर्नमेंट की नौकरी में न हों, उनका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक न हो और वे रिटायर्ड हो गये हों। बहुत से ऐसे रिटायर्ड

आफिसर्स हैं जिनका औकाफ से ताल्लुक रहा है और जो बहुत ईमानदारी से अपने फरायज का अन्जाम देंगे। वे लोग औकाफ और कम्युनिटी की खिदमत अच्छी तरह से कर सकेंगे और वे खिदमत करने के लिये तैयार हैं। तो मेरी गुजारिश है कि बजाये मौजूदा एग्जिस्टिंग आफिसर्स में से एप्वायंट करने के रिटायर्ड आफिसर्स को उसमें ले जायें।

इसी तरह से और बहुत से अमेन्डमेन्ट्स आये हैं, जो कि मेरे दिमाग में हैं। मैं इस वक्त हाउस का वक्त नहीं लूंगा। इस वक्त जो अमेंडिंग ऐक्ट आया है मैं उसका समर्थन करता हूं, मगर मेरी ख्वाहिश यह है कि अनवार अहमद साहब जल्द से जल्द हाउस की एक कमेटी एप्वाइंट करेंगे जो, इस वक्फ के पूरे ऐक्ट को एग्जामिन करेगी और अपने सजेशन्स पेश करेगी। इसके बाद ही हम इसको पूरे तरीके से अमेन्ड कर सकेंगे। अगर इस तरह की कार्यवाही नहीं की गयी तो मुझे डर है कि इसके नतायज बुरे होंगे। इस वक्त ये वक्फ कमेटी और वक्फ बोर्ड चरागाह बने हुये हैं, जिनमें कभी कोई पालिटिशियन चरता है या कभी कोई मौलवी चरता है।

श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा कोरम नहीं है।

एक सदस्य---

कोरम पूरा है।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई---

पिछले सालों में इस वक्फ को बहुत तरीकों से लूटा गया है। इसमें बहुत सी कमियां हैं। आज कम्युनिटी की जो हालत है वह यह है, बहुत से गरीब लड़के हैं जो बगैर पढ़े-लिखे हैं। उनकी कोई मदद नहीं है। कोई मदद करने वाला नहीं है। यदि वक्फ कमेटी मुसलमानों के फायदे के वास्ते इस्तेमाल होती तो शायद यह हालत न होती।

श्री उपाध्यक्ष---

यह ठीक ही कहा माननीय सदस्य ने कि कोरम है।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई---

बहुत से गरीब लड़के हैं जिन्हें तालीम की जरूरत है, बहुत सी बेवायें हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। इन चेरिटेबिल इंस्टीट्यूशंस को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिये लेकिन वक्फ कमेटी के लोग अपने ही ख्याल में रहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। इसलिये इसमें कुछ तरमीमात करने की जरूरत है। इन अल्फाज के साथ मैं इस अमेन्डमेन्ट ऐक्ट का समर्थन करता हूं।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

उपाध्यक्ष जी, अभी वक्फ पर हमारे किदवाई साहब ने तकरीर की और रियासत हुसैन जी ने भी कहा। जैसा रियासत हुसैन साहब ने कहा कि शिया और सुन्नी का झगड़ा चला। मेरा ख्याल यह है कि जब यह बनाया गया तब सुन्नियों की तादाद ज्यादा थी या फिर मिनिस्टर साहब सुन्नी रहे होंगें। हमारा ऐसा देश हैं जहां कहीं हिन्दुओं का झगड़ा, कहीं मुसलमानों का झगड़ा तो कहीं ब्राह्मणों का झगड़ा है। जैसा कि किदवाई साहब ने कहा और हम भी जानते हैं कि छोटे-छोटे मुसलमानों का हित न होकर बड़े-बड़े लोगों का फायदा होता है। ऐसे समय जब कि सरकार सारे देश में समाजवाद लाना चाहती है शिया सुन्नी का फर्क डाला जाय कि इतने शिया या सुन्नी का होना जरूरी है तो ठीक नहीं है। इसलिये मैं इस बिल का विरोध करता हूं और रियासत हुसैन साहब का जो संशोधन है उसका समर्थन करता हूं।

श्री अनवार अहमद---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के सिलसिले में इस सदन में रखा गया उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य रियासत हुसैन, शर्मा जी और किदवाई साहब ने तकरीर की उनका मैं स्वागत करता हूं। जो राय उन्होंने दी है वह उनके दिल का आइना है

[श्री अनवार अहमद]

और उनके जजबात की तस्वीर है। आज इस बोर्ड की जो हालत है उसमें जरूरी तरमीमात की जाय जिससे कि उसका इन्तजाम ठीक हो। आज उससे लोग जो नाजायज फायदा उठा रहे हैं वह खत्म हो। यह कहने की जरूरत नहीं है कि जो लोग वक्फ करते हैं उनके सामने एक मंशा हुआ करती है, उनके दिल में एक उमंग हुआ करती है और वह यह होती है कि इसका फायदा उन लोगों को मिले, उन चीजों में जाय जिसके लिये वक्फ करते हैं। उस मंशा को पूरा करने के लिये आज जरूरी हो गया है कि इसमें कुछ तरमीम की जाय।

माननीय रियासत हुसैन साहब ने जो सुझाव रखे हैं उनको ध्यान में रखते हुये इस बिल को पेश करने की आवश्यकता आयी। जहां तक माननीय सदस्य का यह कहना है कि इसमें तो उल्माये दीन का हिस्सा कम कर दिया गया है, हम तो चाहे वह बरेलवी हों या देवबन्दी, दोनों को एक समझते हैं क्योंकि दोनों का एक ही मंशा है और वह यह कि जिसके लिये वक्फ किया जाय उसी में उसका इस्तेमाल हो। इसमें कोई फर्क नहीं है और मैं समझता हूं कि इस तरह का फर्क पैदा करने से दिक्कतें बढ़ेंगी। जहां तक और तरमीमें पेश की गयी हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बिल हमारे सामने पेश है इसका मकसद सिर्फ यह है कि जो मुकदमें हाईकोर्ट में दायर किये गये हैं, उनके खिलाफ कुछ करने का मकसद नहीं है, बल्कि मुकदमों को कम करने का इसका मकसद है और जिस तरह से आज बात-बात पर मुकदमें खड़े कर दिये जाते हैं उनको रोकने का मकसद है। जो और खराबियां जाहिरा थीं उनको भी रोकने की कोशिश की गयी है।

जहां तक यह कहा गया कि तादाद कम कर दी गयी है, तो तादाद बेशक कम कर दी गयी है लेकिन उसके पीछे कोई और चीज नहीं है सिवाय इसके कि ज्यादा तादाद मेम्बरों की होने से अखराजात ज्यादा होंगे, दूर-दूर से मेम्बर आयेंगे, उनका एलाउन्स बनेगा, भत्ता बनेगा जो यकीनी तौर पर बोर्ड के जिम्मे जायेगा। तादाद कम करने का सरकार का मन्शा सिर्फ यही है कि बोर्ड की जो आमदनी हो वह उन्हीं चीजों में खर्च हो जिनके लिये वह वजूद में आया है।

जहां तक कोआप्ट करने का ताल्लुक है, तो यह जरूरी है कि बोर्ड में एक फाइनेन्स का माहिर रखा जाय क्योंकि बोर्ड की माली हालत की छानबीन करना जरूरी होता है। अगर बोर्ड के फाइनेन्स पर कंट्रोल नहीं है तो जाहिर है कि कोई भी संस्था नहीं चल सकती है चाहे वह सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड हो। इसलिये इस बात की जरूरत आयी कि काबिल लोगों को उसमें रखा जाय कोआप्ट कर के। मैं माननीय साथियों को जिन्होंने अमेंडमेंट रखा है यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार का मकसद कतई यह नहीं है कि इसमें जल्दबाजी की जाय।

जहां तक यह कहना है कि सरकार इसमें छानबीन कर ले, तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार के सामने यह चीज पेशे नजर है और आगे जब तरमीमात रखी जायंगी तो पूरी छानबीन कर ली जायगी और जितने भी माननीय सदस्य हैं, चाहे वे सुन्नी हों या शिया उनको पूरा मौका दिया जायगा अपनी बेशकीमत राय देने का। मुझे पता है कि किदवाई साहब का तजुर्बा इस सिलसिले में बहुत ज्यादा है। मुझे इस बात का अफसोस है कि वह वक्फ बोर्ड में नहीं पहुंच सके। लेकिन आगे जब वक्त आयेगा तो उनकी जानकारी से पूरा-पूरा फायदा उठाने की कोशिश की जायगी क्योंकि यह बिल मुल्क का है, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान।

मैं शर्मा जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने जजबात को सदन के सामने पेश किया है। वह काबिले गौर हैं और यकीनी तौर पर यहां पर कुछ ऐसी दरगाहें हैं जिन पर हमारे हिन्दू और मुसलमान भाइयों को बराबर अकीदा है और वह अकीदा आज से नहीं है बल्कि पुश्तहापुश्त से चला आ रहा है और चलता रहेगा। ख्वाजा अजमेर की दरगाह के लिये एक अलग कमेटी है और उसका बोर्ड से कोई संबंध नहीं है। बोर्ड का स्कोप सिर्फ इस सूबे में है बाहर नहीं। इसलिये मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने अपनी राय दी और अपने सुझाव यहां रखे, उनके काफी अच्छे सुझाव हैं-

और उनके दिल के जजबात वाकई काबिले कद्र हैं। लेकिन जहां तक उन के प्रवर समिति में भेजने की तरमीम का सवाल है मैं जनाब रियासत हुसैन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह उसको वापस ले लें और इस बात का मौका दें कि यह बिल पास हो जाय। उसके बाद मैं इत्मीनान दिलाता हूं कि उनको मौका होगा वह जितना भी वक्त चाहें, जितना गौर करना चाहें वह उस पर पूरा गौर करें और फिर उसके बाद जिस तरह की भी जरूरत हो बिल में तरमीम की बात पूरे तरीके से लायें लेकिन इस वक्त मेहरबानी करके वह अपनी तरमीम वापस ले लें क्योंकि इस वक्त अगर देर होती है तो इस बिल का जो मकसद है वह पूरा न होगा।

श्री रियासत हुसैन—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वक्त कोई लम्बी तकरीर न करूंगा। सिर्फ २ जरूरी बातें अगर मंत्री जी मान लें तो मैं अपनी तरमीम को वापस ले लूंगा। एक तो यह कि जिस तरह से यूनिवर्सिटीज में एक कोर्ट होता है और उसके बाद एक एग्जिक्यूटिव बाडी होती है उसी तरह से वक्फ बोर्ड के ४ नुमाइन्दे एक एग्जिक्यूटिव बाडी की तरह रहें और दोनों एवान के मुसलमान मेम्बरान उसमें रहें उनकी एक एडहाक बाडी बना दें और यह बाडी साल में ३ बार जिस तरह से असेम्बली बैठेगी वह बैठा करे। वह आपस में मश्विरा करके कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है वह सब वक्फ के मुतल्लिक तय करें। अगर वह इतना आश्वासन दे दें कि यह बाडी बना दिये जायेंगे तो मैं अपने संशोधन को वापस ले लूंगा।

श्री अनवार अहमद—

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय रियासत हुसैन साहब के सुझाव का सम्बन्ध है मैंने तो पहले ही निवेदन किया कि जब आगे ऐसा मौका आयेगा उस वक्त इतना ही नहीं जितने भी विचार और सुझाव उनके होंगे उन सब पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इस समय मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वह अपनी तरमीम को वापस ले लें। इस वक्त प्रवर समिति में जाने से बहुत वक्त लग जायगा और मकसद पूरा न हो सकेगा। बाद में उनकी और तमाम साथियों की राय पर विचार कर लिया जायगा।

श्री रियासत हुसैन—

सिर्फ एक कन्सल्टेटिव कमेटी का एश्योरेन्स दे दें तो मैं वापस ले लूं।

श्री अनवार अहमद—

इस समय तो यह मुमकिन नहीं है लेकिन यह जरूर है कि उन के सुझावों पर आगे ध्यान दिया जा सकता है। इसमें एक दिक्कत यह भी है कि दोनों एवान के मुसलमान मेम्बरान करीब २५ के भी होंगे और वे सब कमेटी में रखे जायं तो उसमें मुश्किल यह होगी कि उन सब को भत्ता और अलाउन्स की बात होगी, वह देना होगा और इन औकाफ पर उसका बहुत बोझ हो जायगा। हम जहां तक इन औकाफ के इखराजात को कम कर सकें वह अच्छा होगा। इसलिये मैं रियासत हुसैन साहब से कहूंगा कि जब वक्त आयेगा तो हम आगे मान लेंगे इस वक्त तो वह अपनी तरमीम वापस ले लें।

श्री रियासत हुसैन—

खर्च का सवाल इसमें कहां आता है? सदन में पास हो चुका है कि साल में ३ बार सेशन चलेगा तो साल में ३ बार उन्हीं दिनों में हम बैठकर सलाह मशविरे से फैसले औकाफ के बारे में ले सकते हैं। अगर मन्त्री जी आश्वासन दे दें तो अभी बात खत्म हो जाय और मैं तरमीम वापस ले लूं।

[श्री रियासत हुसैन]

मैं माननीय मंत्री जी के इस भाषण को ही आश्वासन मानकर कि वह जितने भी मुस्लिम मेम्बरान दोनों एवान के हैं उनको कानफिडेंस में लेकर इन वक्फ बोर्डों के काम को सुधारने का जरूर मौका देंगे, यह समझकर मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

एक सदस्य---

श्रीमन्, यह तो युनानिमस हुआ है। इस पर न तो कोई 'ना' की आवाज आयी है और न कोई अमेंडमेंट है।

खण्ड २

धारा ११ का संशोधन

२---(१) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ११ को उक्त धारा की उपधारा (१) पुनः संख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) में---

(१) शब्द "आगे दी गई रीति से आमेलित किये जायेंगे" के स्थान पर "शब्द आगे दी गई रीति से आमेलित या नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे" रख दिये जायें;

(२) खण्ड (४) तथा (५) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायें, अर्थात्:---

"(४) दो सदस्यों, जिनमें से एक वित्त के सम्बन्ध में तथा दूसरा प्रशासन के सम्बन्ध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखता हो, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(५) एक सदस्य जो उपर्युक्त दस सदस्यों द्वारा ऐसे वक्फों के, जिन पर यह अधिनियम लागू होता हो और जिनमें से प्रत्येक की कम से कम दस हजार रुपये की वार्षिक आय हो, मुतवल्लियों में से आमेलित किया जायगा;"

(३) खण्ड (६) में शब्द 'चौदह" के स्थान पर शब्द "ग्यारह" रख दिया जाय;

(२) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:---

"(२) जब तक कि उपधारा (१) में अभिदिष्ट निर्वाचन की रीति की व्यवस्था करने के लिये धारा ७९ के अधीन उपविधियां न बना दी जायं तब तक निर्वाचन की प्रक्रिया वही होगी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, और विशेष रूप से, राज्य विधान मण्डल के सुन्नी सदस्यों द्वारा सदस्यों का निर्वाचन यूनाइटेड प्राविन्सेज सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड रूल्स, १९४४ के नियम ४६ द्वारा नियन्त्रित होगा।"

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, खण्ड २ पर संशोधन पुट अप तो कर ही दूं। निवेदन है कि खंड २ में मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (१) के प्रस्तावित खंड (४) के अन्त में "प्राथमिकता रिटायर्ड उच्च मुस्लिम सरकारी अधिकारी को ही दी जाय ।"

श्रीमन्, मेरा जो यह संशोधन है इसके बारे में हमारे माननीय किदवाई साहब मेरा समर्थन कर चुके हैं। सरकार ने इसमें कहा है कि दो सदस्यों को जो फाइनेन्शियल का और एक प्रशासन अर्थात् एडमिस्निस्ट्रेटिव एक्सपर्ट हो उनके नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। मेरा सिर्फ कहना यह है कि उन सरकारी अधिकारियों को जो मोस्ट सीनियर अधिकारी हों और रिटायर्ड हों, उनको इसमें रखा जाय। ऐसे लोग अपने तजुर्बे के आधार पर और सर्विस से बाहर निकल कर ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं ।

दूसरा जो मेरा संशोधन है वह यह है कि खंड २ में मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (१) के प्रस्तावित खंड (५) की पंक्ति २ में "दस हजार" के स्थान पर "५ हजार" रुपये कर दिया जाय ।

इसमें मुतवल्लियों से आमेलित करने के लिये सरकार ने यह कहा है कि उन व्यक्तियों में से होगा जिनकी आमदनी १०,००० रुपया सालाना से कम न हो । अगर इस वार्षिक आय को १०,००० के स्थान पर ५,००० रुपया कर दिया जाय तो हम ज्यादा लोगों में से सेलेक्ट कर सकेंगे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि १०,००० वार्षिक आय के स्थान पर इसे ५,००० वार्षिक आय कर दिया जाय।

श्री अनवार अहमद---

माननीय रियासत साहब ने जो २ संशोधन रखे हैं, उनके बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि इसमें हमने एक तो श्री आर० एस० चिश्ती जो बहुत ही सीनियर अधिकारी हैं, उनको मनोनीत किया है और दूसरे इसमें हमने हिदायत साहब को जो डिप्टी सेक्रेटरी थे और रिटायर हो गये हैं, रखा है। तो इससे आप अन्दाजा लगा सकते है कि सरकार की क्या मंशा है। जहां तक १०,००० से ५,००० रुपये करने की बात है मेरा निवेदन है कि जब मुख्य बिल सदन के सामने आयेगा बाद में उस समय इस प्रश्न पर भी विचार कर लिया जायगा और जो मानने वाली बात होगी, वह जरूर मान ली जायगी ।

श्री रियासत हुसैन---

तो ये भी मैं इस एश्योरेंस के साथ वापस लेता हूं कि इन पर बाद में विचार किया जायगा ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिये गये)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३

धारा १२ का संशोधन

३---(१) मूल अधिनियम की धारा १२ को उक्त धारा की उपधारा (१) पुनः संख्यांकित कर दिया जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा में---

(i) खण्ड (२) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:---

"(२) एक सदस्य राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा;" और

(ii) खण्ड (४) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्---

"(४) तीन सदस्य, जिनमें से एक किसी ऐसे वक्फ का, जिस पर यह अधिनियम लागू होता हो और जिसकी कम से कम दस हजार रुपये की वार्षिक आय हो, मुतवल्ली होगा, दूसरा सदस्य ऐसा होगा जिसे वित्त तथा प्रशासन के सम्बन्ध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, और तीसरा सदस्य आलिम होगा, उपर्युक्त सात सदस्यों द्वारा आमेलित किये जायेंगे।"

(२) उक्त उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :---

"(२) जब तक कि उपधारा (१) में अभिदिष्ट निर्वाचन की रीति की व्यवस्था करने के लिये धारा ७९ के अधीन उपविधियां न बना दी जायं, निर्वाचन की प्रक्रिया वही होगी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, और विशेष रूप से, राज्य विधान मण्डल के शिया सदस्यों द्वारा सदस्यों का निर्वाचन उन नियमों द्वारा नियंत्रित होगा जो १६ सितम्बर, १९५८ को विधान मण्डल के शिया सदस्यों की बैठक में निश्चित हुए थे।"

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि खंड ३ के उप खंड (१) में मूल अधिनियम धारा १२ की उपधारा के प्रस्तावित खंड (४) की पंक्ति २ में 'दस हजार' की जगह '५ हजार' कर दिया जाय।

पहला संशोधन सुन्नी बोर्ड के बारे में था, यह शिया बोर्ड के बारे में है। अगर इसमें कोई एतराज वाली बात हो तो माननीय इम्तियाज बता देंगे। वैसे मैं इसको भी उसी माननीय मंत्री जी के एश्योरेंस पर वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

धारा १३ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

४---मूल अधिनियम की धारा १३ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:---

कतिपय दशाओं में नाम-निर्देशन

"१३---यदि धारा ११ की उपधारा (१) के खण्ड (१) से (३) और धारा १२ की उपधारा (१) के खण्ड (१) और (३) में अभिदिष्ट कोई भी निकाय ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, सदस्यों को अपेक्षित संख्या में प्रत्यावर्तित न करे तो इस कमी की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा, यथास्थिति, सुन्नी मुस्लिम अथवा शिया मुस्लिम के नाम-निर्देशन करके की जायगी।"

रियासत हुसैन---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १३ की पंक्ति ५ में शब्द "यथास्थिति" और "सुन्नी मुस्लिम" के बीच में शब्द "प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता" जोड़ दिया जाय। यह श्रीमन्, सीधा सादा संशोधन है। मैंने यह किया है कि सरकार जब नामिनेट करे तो प्रायरिटी सोशल वर्कर को दी जाय। वह अच्छी सेवा कर सकता है बजाय दूसरे किसी व्यक्ति के।

श्री अनवार अहमद—

सरकार की मंशा बिलकुल यही है, इसलिये इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार यही चाहती है कि किसी प्रामिनेंट पब्लिक वर्कर को ही नामिनेट किया जाय।

श्री रियासत हुसैन—

इस आश्वासन पर मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५ से ९, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

धारा १४ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा १४ को उसकी उपधारा (१) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय, और—

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) में—

(१) शब्द "उस दिन के, जब पूर्व बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाय, ठीक बाद के दिन से" के स्थान पर शब्द "उसके संगठन की विज्ञप्ति के दिनांक से" रख दिये जायं;

(२) इसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, और ५ दिसम्बर, १९६९ से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह भी है कि सिवाय उपधारा (२) में उपबंधित दशा के, बोर्ड के बहिर्गामी सदस्य (जिसमें बोर्ड का अध्यक्ष भी सम्मिलित है) इस बात के होते हुए भी कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तब तक क्रमशः सदस्य और अध्यक्ष के रूप में अपना पद धारण किये रहेंगे जब तक कि राज्य सरकार द्वारा नये बोर्ड का यथोचित रूप से संघटित किया जाना सरकारी गजट में विज्ञापित न कर दिया जाय।"

(ख) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(२) यदि किसी न्यायालय के किसी अन्तरिम आदेश के परिणाम-स्वरूप या तो राज्य सरकार नये बोर्ड का यथोचित रूप से संघटित किये जाने की विज्ञप्ति जारी करने में असमर्थ हो या ऐसी विज्ञप्ति के पश्चात् नया बोर्ड कार्य करने में असमर्थ हो तो राज्य सरकार ऐसे आदेश के क्रिया-काल के दौरान बोर्ड के नियंत्रक के रूप में, यथास्थिति, कोई सुन्नी मुस्लिम या शिया मुस्लिम नियुक्त कर सकती है, और ऐसा नियंत्रक, बोर्ड तथा उसके अध्यक्ष और सदस्यों के सभी कृत्यों का निर्वहन, अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा।"

धारा १५ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (२) में शब्द "और वह तब तक पदासीन रहेगा जब तक उपधारा (१) के अपेक्षानुसार बोर्ड द्वारा नया अध्यक्ष निर्वाचित न कर दिया जाय" निकाल दिये जायें।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

७—मूल अधिनियम में या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में निहित किसी बात के होते हुए भी—

(१) दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६९ के पूर्व अंतिम बार मूल अधिनियम की धारा ११ के खंड (१), (२) और (३) के अधीन और धारा १२ के के खंड (१) और (३) के अधीन हुए या तात्पर्यित निर्वाचित वैध समझे जायेंगे और सदैव से वैध होंगे मानों इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे निर्वाचन के समय प्रवृत्त थे;

(२) उक्त दिनांक के पूर्व मूल अधिनियम की धारा ११ के खंड (४) और (५) और धारा १२ के खंड (४) के अधीन अन्तिम बार दिये गये आमेलन अवैध समझे जायेंगे और सदैव से अवैध रहे समझे जायेंगे मानों इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे आमेलन के समय प्रवृत्त थे।

कठिनाइयों का दूर किया जाना

८—राज्य सरकार किसी भी कठिनाई को, विशेष रूप से मूल अधिनियम के उपबन्धों से एतद्द्वारा संशोधित अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण के सम्बन्ध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियम, आदेश में निर्दिष्ट ऐसी अवधि में जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष से अधिक न हो, ऐसे अनुकूलनों के चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, अधीन रहते हुए जो वह आवश्यक या इष्टकर समझे, प्रभावी होंगे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ११, १९६९ का निरसन

९—उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, १९६९ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम, संख्या १८, १९६०

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६० का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १८, १९६०

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७० कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ५ से खंड ९ तक, तथा खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अनवार अहमद—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७० पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७० पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६९*

खाद्य तथा रसद उप मंत्री (श्री राम किंकर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६९ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, ३ तथा ४

२--लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२० की धारा १३ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्--

१९२० के यू० पी० अधिनियम सं० ५, की धारा १३ का संशोधन।

"(१) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और कार्यकारिणी परिषद् द्वारा, निम्नलिखित से मिल कर बनने वाली चयन समिति की सिफारिश पर, नियुक्त किया जायगा, अर्थात्--

(i) उप कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ii) किसी अन्य विश्वविद्यालय का सेवा कर रहा उपकुलपति, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाये, और

(iii) कुलपति द्वारा नाम निर्देशित एक अन्य व्यक्ति।"

३--इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२१ की धारा १४ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाये, अर्थात्--

१९२१ के यू० पी० अधिनियम सं० ३, की धारा १४ का संशोधन।

"(१) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और कार्यकारिणी परिषद् द्वारा, निम्नलिखित से मिल कर बनने वाली चयन समिति की सिफारिश पर, नियुक्त किया जायगा, अर्थात्--

(i) उपकुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ii) किसी अन्य विश्वविद्यालय का सेवा कर रहा उपकुलपति, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाये; और

(iii) कुलपति द्वारा नाम निर्देशित एक अन्य व्यक्ति।"

४--आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा ११ में, उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएं, अर्थात्--

१९२६ के यू० पी० अधिनियम सं० ८, की धारा ११ का संशोधन।

"(२) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निम्नलिखित से मिल कर बनने वाली चयन समिति की सिफारिश पर, नियुक्त किया जायगा, अर्थात्--

---

* १२ मार्च, १९७० की कार्यवाही में छपा है।

(i) उपकुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ii) किसी अन्य विश्वविद्यालय का सेवा कर रहा उपकुलपति, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाय, और

(iii) कुलपति द्वारा नाम निर्देशित एक अन्य व्यक्ति।

(२-क) रजिस्ट्रार की उपलब्धियां अध्यादेशों द्वारा नियत की जायंगी।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३ तथा ४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

११५६ के उ० प्र० अधिनियम सं० २० की धारा ५ का संशोधन

५—गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ (जिसे आगे गोरखपुर अधिनियम कहा गया है) की धारा ५ में से उपधारा (२) का प्रतिबन्धात्मक खण्ड और उपधारा (३) निकाल दी जाएं।

डाक्टर हरिप्रसाद शाही (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ५ की उप खंड (२) के रूप में तथा निम्नलिखित को उप खंड (१) के रूप में रख दिया जाय:

गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा ५ की उप धारा (२) की पंक्ति १ में 'नये कालेजों' के आगे 'डिप्लोमा तथा शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टिताओं' जोड़ दिया जाय।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यों तो साधारणतया गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम ५६ में जो संशोधन पेश किये गये है, उनका मैं समर्थन करता हूं और उसका स्वागत भी करता हूं। क्योंकि उसमें दो विशिष्ट संशोधन हैं, एक तो यह कि गोरखपुर विश्वविद्यालय जब बना उसमें यह रखा गया था कि ५-१० मील के रेडियस में कोई दूसरा कालेज नहीं रह सकेगा, अब वह संशोधित कर दिया गया है और ऐसा हो सकता है, कालेज खुल सकते हैं। यह स्वागत की बात है। वहां पर उत्तरोत्तर लड़कों की संख्या बढ़ रही है, इसलिये यह आवश्यक था कि पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च आदि की सुविधायें विद्यार्थियों को अन्य कालेजों में भी उपलब्ध हों। इस माने में मैं उसका स्वागत करता हूं। दूसरी बात जो कही गई थी कि पोस्ट ग्रेजुएट कालेज गोरखपुर विश्वविद्यालय में नहीं होंगे। यह बड़े दुर्भाग्य की बात थी किन्तु अब इसका संशोधन हो गया है।

उत्तर प्रदेश में जितने विश्वविद्यालय हैं सभी विश्वविद्यालयों में यह स्थान था कि उनके क्षेत्र में, विशेषतया आगरा यूनिवर्सिटी में और मामूली-मामूली जगह पोस्ट ग्रेजुएट कालेज भी खुले थे। सन ५६ में यह अधिनियम बना और किन्हीं कारणों से गोरखपुर विश्वविद्यालय के १४ जिले जो संबंधित हैं, के बारे में यह निश्चित किया गया कि उनके पोस्ट ग्रेजुएट कालेज नहीं खुलेंगे। अब संशोधन करके यह प्राविधान किया गया है कि अब वे खुल सकेंगे। इसलिये यह संशोधन स्वागत करने योग्य है। किन्तु इसके बाद अब गोरखपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत जो जिले हैं उनमें बहुत से कालेज ऐसे होंगे जिनको पोस्ट ग्रेजुएट का मौका मिलेगा। तो इसके साथ साथ यदि उनमें डिप्लोमा कोर्स और अन्य विशिष्टताओं की शिक्षा, जिसे जोड़ा गया है कि कालेजेज में इंस्टीट्यूटस खोल सकते हैं, डिप्लोमा खोल सकते हैं, और कर दिया जाय तो यह सभी दृष्टियों से बड़ा हितकर होगा।

इससे वहां के निवासियों और विद्यार्थियों का लाभ होगा। इस संबंध में एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करता हूं, जैसे मान लीजिये कुशीनगर में बुद्ध कालेज है वहां पर बहुत दिनों से प्रयास हो रहा है कि बर्मीज, चायनीज या तिब्बतियन लैंग्वेजेज वहां पढ़ाई जायं। उसके लिये डिप्लोमा कोर्स खोला जाय, लेकिन कोई प्राविधान इस अधिनियम में न होने के कारण इसके लिये बड़ी परेशानी होती थी। अब जब गोरखपुर विश्वविद्यालय को यह अधिकार प्रदत्त होता है कि उसके समकक्ष कालेज खुलेंगे और उनको पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी का मौका दिया जायगा, तो यह भी होना चाहिये कि इस प्रकार के डिप्लोमा या इंस्टीट्यूशन्स बनाने का प्राविधान उस सेक्शन (२) में किया जाय।

यों तो विश्वविद्यालयों के सामने अनेकानेक समस्यायें हैं कि शिक्षा का माध्यम क्या हो? उनके सामने अनुशासन का प्रश्न है, उनके सामने और अन्य समस्यायें हैं। आजकल एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ है, विद्यार्थी चाहते हैं कि शैक्षिक प्रोग्राम में वे भी भाग लें और साथ ही साथ परीक्षा का प्रश्न है, उनके मूल्यांकन का प्रश्न है। आज यह एक नई आवाज उठ रही है कि छात्रों की तरफ से कि यदि हमारी परीक्षा होती है तो अध्यापकों के कार्यों का भी मूल्यांकन होना चाहिये। ठीक है ये समस्यायें और इन पर विचार होना चाहिये तथा समुचित निर्णय लिया जाना चाहिये। लेकिन आज हम आपका ध्यान एक नई बात की तरफ भी दिलाना चाहते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है, जहां पर दोनों प्रकार की टीचिंग है यूनीटरी पार्ट है और इधर उधर के कालेजेज भी उससे सम्बद्ध हैं। ऐसी अवस्था में जहां पर एकेडमिक बाडी उनकी है, जैसे विद्वत परिषद् है, उनकी कार्यकारिणी है उनमें वहां पर जब पोस्ट ग्रेजुएट कालेज खुलेंगे तो निश्चित ही, और भी उनकी समस्यायें खड़ी होंगी जो कि शैक्षणिक स्तर से संबंध रखती हैं, उन कालेजों के प्रिंसिपल यह चाहेंगे कि उनका भी प्रतिनिधित्व, और इंस्टीट्यूट्स का प्रतिनिधित्व न केवल विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी में हो बल्कि विद्वत परिषद् में भी होना चाहिये।

आज ऐसी परिस्थिति है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से जो संबंधित कालेजेज हैं, उनकी शिकायत है कि कालेज के प्रिंसिपल पर उनका दबाव डाला जाता है। यहां तक भी नहीं कि वह अपने को छोटा भाई समझते हों। कालेजेज के अध्यापकों को, प्रिंसिपल को, अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो अध्यापक हैं, या जो लोग शासन चला रहे हैं, वह उनको छोटा भाई भी समझते तो संभवतः वह उसको स्वीकार कर लेते। वह महसूस करते हैं कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। इसलिये अन्ततोगत्वा जब प्राविधान कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से गोरखपुर विश्वविद्यालय में विशेषतया इस प्रश्न को हल किया जाय, वैसे मेरठ विश्वविद्यालय में भी और कानपुर विश्वविद्यालय में भी यह परिस्थिति होगी, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय पिछले दस वर्षों से इसी रास्ते पर चल रहा है, वहां पर समस्यायें उठ खड़ी हुई हैं इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि केवल शाब्दिक परिवर्तन है जो परिवर्तन किया जा रहा है और जो आपकी मंशा है अगर कालेजेज को पोस्ट ग्रेजुएट किया जाय तो उसके मानी होंगे कि इंस्टीट्यूट भी अगर रिसर्च का कायम करना चाहें तो उनको मौका मिलना चाहिये।

अगर मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है, कालेजेज के आगे यह जोड़ दिया जाता है तो बहुत से कालेजेज तैयार हो जायेंगे जो इस प्रकार के इंस्टीट्यूट कायम करेंगे और उनमें छोटी-छोटी कक्षायें चला कर शिक्षा देंगे। आज की जो परिस्थिति है उसमें जहां पर हम विश्वविद्यालयों को स्थापित कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं हुये है, नौ करोड़ की जहां आबादी है वहां पर १०-१५ विश्वविद्यालय स्थापित हो जायं तो बड़ी बात नहीं है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने की भूख है। उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए और विश्वविद्यालय बढ़ाने में आर्थिक साधनों की कठिनाइयां होती है इसलिये छोटे-छोटे इंस्टीट्यूट बनाये जायं जहां पर गवेषणा और पोस्टग्रेजुएट का काम अधिक दिया जाय। तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूट वही कार्य करेंगे

जो कि विश्वविद्यालय करते हैं और थोड़े खर्च में यह बात तय हो जायगी । इसलिये मैं यह प्राथना करूंगा शिक्षा मंत्री जी से कि इस छोटे से संशोधन को अगर वह स्वीकार कर लेते हैं तो गोरखपुर विश्वविद्यालय और उसमें जो और १४ जिले हैं, वहां उच्च शिक्षा की समस्या हल होगी । इस लिये आप इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें ।

श्री रामकिंकर—

मान्यवर, यह बात सही है कि इस विधेयक के जरिये जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत दस वर्ष के अन्दर प्राविधिक और इंजीनियरिंग कालेजेज को छोड़ कर और कालेजेज नहीं खोल सकते थे वह दिक्कत दूर कर दी गयी । इसके अतिरिक्त पोस्ट ग्रेजुएट कालेजेज के एफीलिएशन में भी रुकावट थी । वह भी दूर कर दी गयी । सीतापुर में-जो नेहरू इंस्टीट्यूट है, आंखों का अस्पताल, पहले वह आगरा विश्वविद्यालय के साथ एफीलिएटेड था । लेकिन इस विधेयक के द्वारा कानपुर विश्वविद्यालय के साथ जोड़ दिया गया है । इसलिये ये दिक्कतें दूर हो गयीं । इसके अतिरिक्त पब्लिक सर्विस कमीशन के रजिस्ट्रार के चुनाव में एक कमेटी बनती थी उसमें तीन मेम्बर होते थे, एक मेम्बर, अध्यक्ष पब्लिक सर्विस कमीशन या उसका नामिनी होता था लेकिन उन्होंने आपत्ति उठायी, इसकी जगह पर दूसरा सदस्य कुलपति द्वारा मनोनीत किया जायगा ।

यही सब इस विधेयक को लाने का उद्देश्य है और यह सारी चीजें उसमें लिखी गई हैं । मान्यवर, जो आपने संशोधन दिया है वह सुपरफलुअस है । उसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि गोरखपुर यूनिवर्सिटी ऐक्ट की धारा ८ की ४ में यह दिया है कि "टु होल्ड एग्जामिनेशन आफ डिग्री क्लासेज" इस तरह की सारी व्यवस्था है । इसलिये इस प्रकार की शिक्षा संबंधी विशेष आवश्यकता के जोड़ने की जरूरत नहीं है। इससे कोई अभिप्राय सिद्ध नहीं होगा । यह अनावश्यक है । इसलिये मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें और जो विधेयक पेश हुआ है उसको स्वीकार करें ।

डाक्टर हरिप्रसाद शाही—

मान्यवर, संभवतः मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह असम्बद्ध हो गया । इस सेक्शन ८ में गोरखपुर यूनिवर्सिटी को यह अधिकार है कि वह कौन-कौन से कार्य करेगा । तो जिस प्रकार के कार्य करने की बात है उसका प्राविधान नये तरीके से किया गया है कि डेवलपमेंट के कार्य वह कर सकता है । जो संस्था खुली हुई है या कालेज खुले हैं उनके लिए कोर्स प्रेस्क्राइब्ड है । उसके अन्दर वह काम करते हैं । हमने जो संशोधन किया था वह सेक्शन २ में था जिसमें कालेज को विश्वविद्यालय सम्बद्ध करता है । कोई इंस्टीट्यूट है या कोई मैनेजमेंट कोई इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता है, या संस्था बनाना चाहता है जिसमें डिप्लोमा का कार्य होगा जैसे कि कुशीनगर में तमाम एशियन लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट बनाने की बात है, यदि ऐसी संस्था कोई डैवलपमेंट का कार्य करती है तो वह कार्य इस गोरखपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत नहीं आता है । वह तो अपने कार्य करेगा । जो यह संशोधन था यह था कि उन कालेजेज को भी अधिकार दिया जाय कि वह शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए संस्था खोल सकते हैं जो कि सेक्शन ८ में विश्वविद्यालय को दे रहे हैं ।

श्री रामकिंकर—

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा था वही अब भी कहता हूं कि इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है । इसलिये माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि वह अपने इस संशोधन को वापस ले लें ।

डाक्टर हरिप्रसाद शाही—

सेक्शन ८ के ३ में यह अधिकार दिया है कि शिक्षा संबंधी इंस्टीट्यूट को जोड़ने का अधिकार है । उसमें यह नया अधिकार जोड़ रहे हैं तो विश्वविद्यालय को अधिकार प्राप्त

हो गया । विश्वविद्यालय डेवलपमेंट के सारे काम कर सकता है लेकिन जो कालेजज देवरिया व वाराणसी में हैं वह अगर कोई बौद्ध शिक्षा के इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं और शिक्षा देना चाहते हैं तो उनको अधिकार प्राप्त हो सकता है । वह सेक्शन २ है जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय राज्य सरकार के अनुमोदन से नये कालेज सम्बद्ध कर सकता है। अगर कालेज और आ जायं और शिक्षा संबंधी उन्नति के लिए उनसे कहें तो ऐसे कालेज को भी यह अधिकार हो सकता है कि वह वहां पर संस्था खोलकर इस प्रकार की शिक्षा में रिसर्च कर सकें । इसलिये यह संशोधन वहां पर जोड़ना था । मेरा संशोधन शाब्दिक है । जब तक इसको खंड २ में नहीं जोड़ते हैं तब तक यह संशोधन पूरी तरह से नहीं खुल सकता है ।

श्री रामकिंकर---

मान्यवर, जो मैंने निवदन किया था वही अब भी है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ५ को उपखंड (२) के रूप में तथा निम्नलिखित को उपखंड (१) के रूप में रख दिया जाय ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा ५ की उपधारा २ की पंक्ति १ में "नये कालेजों" के आगे "डिप्लोमा तथा शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टताओं" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ६ से १०, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

६---गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा ८ के खंड (२) में, शब्द, अंक और कोष्ठक "उपधारा (२) और (३)" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "उपधारा (२)" रख दिये जायें । — धारा ८ का संशोधन

७---गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा १६ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्--- — धारा १६ का संशोधन

"(१) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और कार्यकारिणी परिषद द्वारा, निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जायेगा, अर्थात्---

( ) उपकुलति जो उसका अध्यक्ष होगा,

(ii) किसी अन्य विश्वविद्यालय का सेवा कर रहा उपकुलपति, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाय, और

(iii) कुलपति द्वारा नाम निर्देशित एक अन्य व्यक्ति ।"

८---वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा १५ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाये, अर्थात्--- — १९५६ के उ० प्र० अधिनियम सं०२८ की धारा १५ का संशोधन

(१) "प्रस्तोता" विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और कार्यकारिणी परिषद द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली निर्धारण समिति की संस्तुति पर, नियुक्त किया जायेगा, अर्थात्---

(i) उपकुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा,

(ii) किसी अन्य विश्वविद्यालय का सेवा कर रहा उपकुलपति, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाये, और

(iii) कुलपति द्वारा नाम निर्देशित एक अन्य व्यक्ति ।"

१९६५ के उ०प्र० अधिनियम सं०१३ की धारा ४ और धारा १२ का संशोधन

९—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ में—

(१) धारा ४ में, उपधारा (५) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्—

"(६) उपधाराओं (१) से लेकर (३) तक या उपधारा (३) के अधीन जारी की गयी किसी विज्ञप्ति में, या आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ में किसी बात के होते हुए भी, सीतापुर स्थित नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ ओफ्थालमालोजी ऐंड रिसर्च, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अधीन, आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध और सदैव से ही सम्बद्ध बना रहा समझा जायेगा, और तदनुसार कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९६८ के प्रारम्भ से पूर्व उक्त इन्स्टीट्यूट के संबंध में या उक्त इन्स्टीट्यूट में तात्कालिक व्यक्तियों के संबंध में आगरा विश्वविद्यालय द्वारा किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही या दिया गया कोई आदेश, जिसके अन्तर्गत संचालित की गयी कोई परीक्षा, लिया गया कोई शुल्क, या प्रदत्त किया गया कोई डिप्लोमा आते हैं, इस प्रकार विधिमान्य रूप से किया गया, की गयी, दिया गया, संचालित की गयी, लिया गया या प्रदत्त किया गया समझे जायेंगे, मानो इस उपधारा के उपबन्ध सभी तात्विक समयों पर प्रचलित रहे हों ।

(७) उक्त इंस्टीट्यूट, ऐसे दिनांक से जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे, आगरा विश्वविद्यालय से उपधारा (६) के अधीन सम्बद्ध नहीं रहेगा, और वह इस अधिनियम के अधीन कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जायगा," और

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, १९२६

(२) धारा १२ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाये, अर्थात्—

"(१) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का पूर्ण कालिक अधिकारी होगा और कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा, अर्थात्—

(क) उपकुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा ;

(ख) किसी अन्य विश्वविद्यालय का सेवा कर रहा उपकुलपति, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये, और

(ग) कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अन्य व्यक्ति ।"

१०--कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९६८ और उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९६९ एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति अधिनियम संख्या २०, १९६८ और संख्या १, १९६९ का निरसन

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६९

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२०, इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम १९२१, आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२६, गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६, और कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ को और संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलाएगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ६,७,८,९,१०,११, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामकिंकर--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)--

विश्वविद्यालय के संबंध में यह जो अधिनियम पारित हो रहा है मुझे यह निवेदन करना है कि प्रयाग विश्वविद्यालय में इस समय बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वहां के उपकुलपति माननीय चरण सिंह द्वारा नियुक्त किये गये थे और उनके कारण वहां मुकदमेबाजी बढ़ गयी है।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)--

मेरी वैधानिक आपत्ति है। माननीय सदस्य विश्वविद्यालय पर नहीं उसके करप्शन तथा भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष

माननीय सदस्य ध्यान रखेंगे कि वह विधेयक तक ही अपने को सीमित रखें।

*श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मैं प्रयाग विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रवैये के बारे में कह रहा था। वहां पर हर विभाग में चाहे भूगोल का हो अथवा इतिहास का इस समय सैकड़ों मुकदमें चल रहे हैं। मुंसिफ, जज तथा हाई कोर्ट तक वे मुकदमें पहुंच गये हैं। इसका मूल कारण यह है कि जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम सूरत उपाध्याय]

जूनियर हैं सीनियर को नेगलेक्ट करके उनको रीडर बना दिया जाता है । ४–४ साल के असिस्टेंट टीचर्स को रीडर तथा प्रोफेसर बनाया गया है और सीनियर्स को छोड़ दिया और वे अपनी पुरानी जगह पर काम करने को मजबूत हैं । इस से बहुत वहां असंतोष बढ़ गया है । फर्स्ट डिविजनर्स को छोड़ दिया जाता है और सिफारिश के बल पर थर्ड डिवीनजर्स को रख लिया जाता है और रिश्तेदारों को भरा जा रहा है । ये धांधलियां वहां चल रही हैं । इस तरह से हजारों रुपया प्रयाग विश्वविद्यालय का बरबाद हो रहा है । वहां की इक्जिक्यूटिव कमेटी तथा वाइस चांसलर विवेक से काम लेते तो इतनी मुकदमेबाजी न होती ।

आज प्रयाग विश्वविद्यालय में कहा जा रहा है कि वहां पर २४ लाख का घाटा है। वहां के कर्मचारी दो साल से हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन वाइस चांसलर दो साल से उनकी मांग पूरी नहीं कर रहे हैं । वे कहते हैं कि हमारे पास रुपया नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय घाटे पर चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि घाटा कहां से है ? यदि उनके पास रुपया नहीं है तो मुकदमेबाजी के लिए रुपया कहां से आता है। हजारों रुपये महीने वकीलों को दिये जाते हैं, कोर्ट फीस लगाई जाती है और अदालतों में खर्चा किया जाता है इसको क्यों नहीं बन्द किया जाता है ? यह रुपया जो खर्च हो रहा है वह वाइस चांसलर से वसूल होना चाहिये ।

इस विश्वविद्यालय की ला बिल्डिग कई लाख रुपये में बनी है । तीन साल पहले यह बिल्डिग बनी थी । इसके संबंध में सरकारी इंजीनियर ने कह दिया है कि यह बेकार हो गई है और इसमें विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं । इसलिये ३/४ लाख रुपये का नुक्सान हो गया है। इस में वाइस चांसलर और ठेकेदार की सांठगांठ है । बालू और सीमेंट उचित मात्रा में न मिला कर सिर्फ बालू से प्लास्टर कर दिया गया है। इसकी छत भी टूट गई है। इस तरह से वहां पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इस बारे में प्रोफेसर्स, और कर्मचारियों ने गवर्नर महोदय को ज्ञापन भी दिया है कि इस तरह का भ्रष्टाचार यहां फैला हुआ है । इसलिये एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाय । लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट इसको बिठाती नहीं है । अगर यही रवैया चलता रहा तो मुझे दुख है कि वहां के प्रोफेसर्स और कर्मचारी जबरदस्त आन्दोलन छेड़ देंगे और जो इस विश्वविद्यालय की इतनी प्रतिष्ठा चली आ रही है वह सब समाप्त हो जायेगी ।

यहां की एक्जीक्यूटिव कौंसिल की बात बता दूं । यह पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार किया करती है । यदि अपने आदमी को एप्वाइंट करना होता है तो इसकी सिटिंग हो जाती है। लेकिन अगर विरोधी गुट के आदमी का एप्वायंटमेंट होना होता है तो ३/३ साल तक इसकी सिटिंग नहीं होती। इस तरह का इसका रवैया है । वहां इस तरह से तो अनुशासनहीनता बढ़ जायेगी और इसका काम नहीं चल पायेगा । इसका सुचारु-रूप से काम चले इसके लिए संशोधन किया जाय तब यह पारित किया जाय ।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

मान्यवर, यह जो विश्वविद्यालय विधेयक का संशोधन हो रहा है और विचार हो रहा है उसकी दो महत्वपूर्ण धारायें हैं । एक तो रजिस्ट्रार की नियुक्ति और दूसरी व्यवस्था के संबंध में है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कौन-सी धारा के बारे में कह रहे हैं ?

श्री दीपनारायण मणि—

यह ९ पृष्ठ पर है । मैं जनरल बात कह रहा हूं । जो संशोधन हो रहा है वह बड़ा उपयुक्त है । गोरखपुर में अनियमित नियुक्तियां होती रहती हैं । चाहे रजिस्ट्रार की हो या

अध्यापकों की हो । प्रोफेसर्स के ऐसे पद सृजित किये गये हैं जिनसे २/३ लाख रुपये का घाटा विश्वविद्यालय, गोरखपुर को होता रहा है। शासन का अधिकार रखा रहता है। पैसे की इसके पास कमी है और अधिकांश पैसा वेतन में ही चला जाता है। सरकार से काफी रुपये की सहायता ली जाती है । पिछली साल कभी ८ लाख की सहायता ली गई थी और इस साल १५ लाख की सहायता मांगी गई है । अनियमित नियुक्तियों की रोकथाम होनी चाहिये । रजिस्ट्रार की नियुक्ति हो चुकी है उसको नियमित किया जाय तब कहीं जाकर विश्वविद्यालयों की अवस्था सुधरेगी ।

मान्यवर, इस विश्वविद्यालय से १४ जिलों के कालेजों का संबंध है जिनकी संख्या करीब १५६ है । उनकी स्थिति को सुधारने के लिये जो नियम उपनियम बने हुये हैं, उनको सुधारना होगा, नहीं तो काम चलने वाला नहीं है । देवरिया में बाबा राघवदास डिग्री कालेज है, सन् ५४ में आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हुआ था और ५७ में उसका ट्रान्सफर गोरखपुर विश्वविद्यालय को किया गया । लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर की फैकल्टी अभी तक नहीं बनी है और अभी तक वह साइंस की फैकल्टी के अन्डर में ही चलायी जा रही है। इस प्रकार से मेरा निवेदन है कि १४ जिलों की सेवा करने वाले इस विश्वविद्यालय की रूपरेखा ठीक होनी चाहिये ।

श्री रामकिंकर---

मान्यवर, मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलसिले में माननीय श्याम सूरत उपाध्याय जी ने कहा कि वहां करप्शन है और भी बहुत-सी खराबियां वहां हैं । लेकिन यूनिवर्सिटी एक आटोनामस बाडी है । सरकार की सीमायें हैं । सरकार अपनी उन सीमाओं के बाहर नहीं जा सकती । मान्यवर, जहां तक माननीय दीप नारायण मणि के सुझावों का संबंध है, उनके सुझाव अच्छे हैं, लेकिन उनको इस स्टेज पर कारपोरेट करना सम्भव न होगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० †

कृषि मन्त्री (श्री शिवराज सिंह)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों को स्मरण कराऊं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ के अन्तर्गत उत्तराखंड के ३ जिलों को छोड़ कर प्रदेश के समस्त जिलों में ३० जून सन् ६३ से जिला परिषद् स्थापित किये गये थे । मान्यवर, सामान्यतः सभी जिला परिषदों का कार्यकाल २९ जून, ६८ को समाप्त हो गया था । मूल अधिनियम तथा मूल अधिनियम में संशोधन कर के संशोधित अधिनियम के माध्यम से सरकार को दो वर्षों के लिये कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार प्राप्त हो चुका है । उस अधिकार का सरकार ने इन जिला परिषदों के कार्यकाल को बढ़ाने में समय-समय पर इस्तेमाल किया है । श्रीमन्, अन्तिम अवस्था यह है कि प्रायः जिला परिषदों का कार्यकाल ३१ मार्च, ७० को समाप्त होने जा रहा है ।

---

†१२ मार्च, १९७० की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री शिवराज सिंह]

वर्तमान सरकार अब भी २९ जून, ७० तक कार्यकाल बढ़ाने में सक्षम है। वर्तमान सरकार के समक्ष यह प्रश्न आया कि वर्तमान अवस्था में जिला परिषदों के कार्यकाल को ३१ मार्च से आग बढ़ाया जाय या नहीं। इस अधिकार का सही इस्तेमाल करने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि यह मालूम किया जाय कि वर्तमान जिला परिषदों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन क्या है और यह देखा जाय कि उनका कार्यकाल बढ़ाना जनहित में है या नहीं है। अभी तक यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन था कि ९ मार्च को इसी विधान सभा में एक प्रश्न जनसंघ के नेता माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने उपस्थित किया और उन्होंने पूछा कि क्या सरकार जिला परिषदों को भंग करने जा रही है। मान्यवर मैंने उत्तर यह दिया था कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है। प्रश्न केवल यह विचाराधीन है कि कार्यकाल बढ़ाया जाय या नहीं बढ़ाया जाय।

मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ९ मार्च तक सरकार के समक्ष जिला परिषदों को भंग कराने का प्रश्न विचाराधीन नहीं था, केवल यह विचाराधीन था कि कार्यकाल बढ़ाया जाय या नहीं। लेकिन ९ तारीख के अनुपूरक प्रश्नों से सदन का कान्सेन्शस जान पड़ा कि माननीय सदस्य चाहते हैं कि वर्तमान अवस्था जिला परिषदों की इस प्रकार है कि उन को भंग करना जनहित में होगा। इतना ही नहीं सदन के पश्चात् कुछ माननीय सदस्यों से मैंने स्वयं बात की है और जिनसे भी बात हुई, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सदन के अधिकांश भाग का यह मूल्यांकन है कि सरकार वर्तमान अवस्था में जिला परिषदों को भंग करके जो अनियमितायें हो रही हैं उनको बन्द करने के लिये व्यवस्था करे। श्रीमन्, लोकतन्त्र में यह सरकार विश्वास करती है और मैं इस आदरणीय सदन के कान्सेन्शस के अनुसार कार्य करूंगा। मैं ऐसा करना अपना कर्तव्य समझता हूं और मैंने उस दिशा में मूल्यांकन करना प्रारम्भ कर दिया है। माननीय सदस्यों की राय सही है कि ५१ जिलों में से ३७ जिलों की जिला परिषदों के ऊपर गंभीर आरोप सरकार के पास मौजूद हैं। मान्यवर, मैंने इन आरोपों को एकत्र करने का आदेश दिया और उनको जब एकत्र कराया गया तो एक पोथी बन गई। उन आरोपों का यदि मैं वर्णन करूं तो सदन का बहुत समय लग जावेगा। जो माननीय सदस्य उनको जानना चाहते हों वह इसका अवलोकन कर लें। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं.....

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

जब हवाला दे दिया है कि ३७ जिला परिषदों के ऊपर गंभीर आरोप हैं तो कृपा करके यह बतला दें कि किन पर आरोप हैं और क्या हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

श्रीमन्, मैंने अभी निवेदन किया कि पोथी है। यदि सदस्यगण जिलों के नाम जानना चाहते हैं तो मैं नाम पढ़ दूंगा लेकिन बड़ी लम्बी सूची है और विभिन्न पृष्ठों पर है। मैं ऐसा करना आवश्यक नहीं समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

कितने नाम होंगे ? इसके लिये १ घंटा ४० मिनट समय है।

श्री शिवराज सिंह—

३७ नाम हैं और वह विभिन्न पृष्ठों पर हैं

श्री कृष्णानन्द राय—

व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने कहा था कि १ घंटा ४० मिनट इस पर समय है। मैं निवेदन कर रहा था कि यह बिजनेस एडवायजरी कमेटी में नहीं लिया गया था और इस

कारण बिजनेस एडवायजरी कमेटी को इस पर राय देने का अवसर नहीं मिला। तो यह कितनी देर चलेगा, इसके लिये समय की परिधि नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिन जिला परिषदों पर गंभीर आरोप हैं, उनके नाम बतला दें। अगर आपने गंभीर आरोप शब्द का जिक्र न किया होता तो हम लोग आपसे नाम बतलाने के लिये प्रार्थना नहीं करते लेकिन चूंकि इसको सदन में कहा गया है तो प्रकाश भी डालना चाहिये कि वह कौन-कौन से जिला परिषद् हैं और क्या आरोप हैं। इससे जो जिला परिषद् निर्दोष हैं उनके बारे में भ्रम नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न आया था तो आपने भी प्रश्न पूछ लिये थे।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

प्वाइन्ट आफ आर्डर है। मेरा यह निवेदन है कि वह कौन-कौन से जिला परिषद् हैं जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, उनके नाम बतला दिये जायं।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में यह लिखा हुआ है कि जिला परिषदों का कार्यकाल अनावश्यक रूप से, प्रदेश के ३ पहाड़ी जिलों को छोड़कर, दो वर्ष के लिये बढ़ाया गया था, इसलिये चुनाव होना चाहिये। तो यह तो उद्देश्य और कारण में स्पष्ट है।

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह—

मैं बैठ नहीं रहा हूं। मैं आपके माध्यम से.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह मंत्रीजी की तरफ से पहली बार नहीं कहा गया है कि ३७ जिला परिषदों के खिलाफ अनियमितताओं की शिकायतें हैं। इसके बारे में कुछ और जानकारी मंत्रीजी देना चाहें तो मुझे आपत्ति नहीं है।

एक सदस्य—

मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि जिला परिषदों के नाम बतला दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आवश्यक नहीं है।

श्री शिवराज सिंह—

मैं आपका आभारी हूं कि मुझे नामों की सूची पढ़ने के लिये नहीं कहा गया। यदि माननीय सदस्य नाम जानना ही चाहते हैं तो वह मालूम कर सकते हैं। मैंने ९ तारीख को भी इस सदन में कहा था कि ३७ जिलों के सम्बन्ध में गंभीर आरोप मिले हैं। यदि माननीय सदस्यों के सामने उनका वर्णन करूं तो बहुत समय लग जावेगा। संक्षेप में निवेदन करूंगा कि इन जिला परिषदों में.....

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जब ३७ जिला परिषदों के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं, तो उनके आरोपों के बारे में बतला दिया जाय?

श्री शिवराज सिंह--

माननीय सदस्य, जरा सब्र रखें तो उनको सभी बातों का उत्तर मिल जावेगा। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि मेरी बात सुनें, उसके बाद मैं प्रश्नों के उत्तर दूंगा।

श्री बांकेलाल--

जिला परिषदों पर कौन-कौन से आरोप लगाये गये हैं यह माननीय मंत्री जी बतला दें ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्नोत्तर का समय नहीं है। मंत्री जी जवाब देना चाहें तो दे सकत हैं।

श्री शिवराज सिंह--

जिला परिषदों के अध्यक्ष निर्धारित संख्या से अधिक नियुक्तियां करते हैं। जिला परिषद् की सम्पत्ति की रक्षा नहीं करते हैं बल्कि स्वयं नुक्सान करते हैं। इन अनियमितताओं के सम्बन्ध में जब सरकार ने आदेश दिया तो उनका पालन नहीं किया गया। जब जांच कराई गई तो मैं सरकारी रिपोर्ट के आधार पर कह सकता हूं कि अधिकतर जिला परिषदों ने जांच-कर्त्ताओं को पत्रावली और अभिलेख नहीं दिये। मैं इन बातों की तहत में अधिक नहीं जाना चाहता हूं लेकिन जैसा कि उद्देश्य और कारण में कहा गया है कि जिला परिषदों का कार्यकाल दो वर्ष पहले समाप्त हो गया था तो अब समय आ गया है कि उनके चुनाव कराये जायं। श्रीमन्, आज हम देखते हैं कि गांव सभाओं में द्वेष बढ़ रहा है, क्षेत्र समितियां भी इससे अछूती नहीं हैं। इस कारण जिला परिषद् के कार्य क्षेत्र के संबंध में परिवर्तन करने की जरूरत है इसलिए जिला परिषदों को इस अस्त-व्यस्त अवस्था से मुक्ति देने के लिए एक संशोधित अधिनियम यहां से पारित कराना चाहता हूं जिससे ज्यादा से ज्यादा जिला परिषदों और गांव सभायें जनता की सेवा कर सकें। इसीलिए यह अल्पकालिक विधेयक आप के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। मैं आशा करता हूं कि आदरणीय सदन विचार करने के लिए अनुमति प्रदान करेगा।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद, (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन एक महीने के अन्दर दे दे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)"।

मान्यवर, आज इस प्रजातांत्रिक युग में पंचायत राज का बहुत बड़ा महत्व है और मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहूंगा कि पंचायतराज की परिधि के अन्दर ही हमारे इस सदन क ये सम्मानित सदस्य भी यहां पर अपनी कार्य प्रणाली चलाते हैं और हम सभी इस प्रदेश की लगभग ९ करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में एक पंचायत के रूप में बैठ कर इस प्रदेश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। यह जो विधेयक आया है उसके जो कारण और उद्देश्य दिये गये हैं उनकी तरफ आप कृपा करके ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इसमें कहा गया है- "वर्तमान जिला परिषदों को, जिन्हें जून, १९६३ में पांच साल की अवधि के लिए स्थापित किया गया था, उनके सामान्य कार्यकाल से दो वर्ष से अधिक के लिए कार्य करने दिया गया है। उनके कार्य के बारे में राज्य सरकार के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, यह समझा गया है कि उनके सदस्यों या पदाधिकारियों को अपने-अपने पदों पर फिर से चुनाव हुए बिना रहने देना जनहित में नहीं है। यह भी प्रस्ताव है कि इन निकायों के संघटन और कृत्यों पर पुनर्विचार किया जाय। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद्, अधिनियम, १९६१ में आवश्यक संशोधन करने के बाद ही नए चुनाव कराने का प्रस्ताव है। इसमें कुछ समय लगेगा, इसलिए यह प्रस्ताव है कि जिला परिषदों का प्रशासन, दो साल की अवधि के लिए, या जब तक कि जिला परिषदों का पुनः संघटन न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो, जिला मैजिस्ट्रेटों को सौंप दिया जाय"।

तो मान्यवर, आप देखेंगे कि जो जिला परिषदें पंचायत राज की सबसे बड़ी कड़ी हैं जिनमें गांव-गांव के अन्दर निर्मित पंचायतों के अन्दर सदस्यों द्वारा चुने हुए प्रधानों के वोटों से चुन कर जो प्रतिनिधि आते हैं या जो क्षेत्र समितियों के प्रमुख होते हैं, वे उनके सदस्य होते हैं और हम लोग जो इस सदन के सदस्य हैं या जो विधान परिषद् के सदस्य हैं या लोक सभा के सदस्य हैं, संसद सदस्य हैं, वे उसके सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से आप विचार करेंगे कि इन जिला परिषदों में हमारे प्रदेश की जनता के सही प्रतिनिधि बैठ कर कार्य करते हैं। वह जो जनतंत्र का प्रतिनिधित्व पूर्ण रूप से जिन इकाइयों में होता है, उनको सरकार आज यह चाहती है कि जब्त करके और वह भी ऐसी धाराओं के रूप में जिसको मैं कहूं कि बहुत ही संदिग्ध स्थिति के अन्दर है, जो इसकी धारायें दी गयी हैं, उन पर आप विचार करें।

पहली बात जो इस विधेयक का नाम है उसी को आप देखें "अल्पकालिक व्यवस्था"। एक तो अल्पकालिक व्यवस्था नाम दिया गया है और कम से कम दो वर्ष का समय उसमें मांगा गया है। दो वर्ष के लिये ये जिला परिषदें किसके हाथ में सौंपने की बात है? मान्यवर, इसमें ब्यूरोक्रेसी का हाथ मजबूत करने और प्रजातन्त्र का गला घोंटने की बात है, इससे प्रजातन्त्र की हत्या होगी। अधिकारियों का हाथ मजबूत बनाना, यह उसके साथ घोर अन्याय होगा और जनतंत्र की पूर्ण रूप से हत्या होगी।

इस समय आदरणीय मुख्य मंत्री चौधरी साहब उपस्थित नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके सहायक श्री धर्म सिंह और श्री शिवरज सिंह जी बैठे हुये हैं उनके द्वारा मैं अपने विचारों को श्री चौधरी साहब के सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, मैं यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं समझता हूं कि इस विधेयक का मूल उद्देश्य केवल एक ही है और वह यह है कि प्रदेश की ५१ जिला परिषदों मे नये अध्यक्ष लादेंगे। श्री शिव राज सिंह ने अभी जन संघ पार्टी व संसोपा की ओर इशारा किया। उन्होंने हमारे उन साथियों का, जो इधर बैठे हुये हैं, तजकरा नहीं किया। मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि उन जिला परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जितने भी आज हैं वे या तो इस तरफ बैठने वाली कांग्रेसके लोग हैं या उधर बैठने वाली कांग्रेस के हैं। तो श्रीमन्, आप विचार करेंगे कि यह भेदभाव से भरा हुआ विधेयक लाया गया है। मैंने इसको प्रवर समिति के समक्ष रखने का इसीलिये प्रस्ताव किया है। आप देखेंगे कि इस विधेयक की मंशा क्या है? इसके उद्देश्य और कारणों को मैंने पढ़कर सुनाया। वे चाहते हैं कि आवश्यक संशोधन करने के बाद ही नये चुनाव करायें। यह उनका प्रस्ताव है। जब आवश्यक संशोधन करने ही हैं तो क्या जिला अधिकारियों के हाथ में ताकत देकर ही चुनाव करा पायगे? मैं समझता हूं कि अभी जून तक और समय बढ़ा देते तो अधिक अच्छा होता इसको प्रवर समिति के सिपुर्द भेजना आवश्यक है। जो मूल अधिनियम में त्रुटियां थी उनको भी दूर किया जा सकता था। मैं तो कहना चाहूंगा कि इस मूल अधिनियम में कुछ प्रजातांत्रिक अधिकार निहित हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे बी० टी० सी० के चुनाव होते हैं। एक समिति द्वारा उस समिति में पहले जन प्रतिनिधियों का स्थान रखा गया था, लेकिन बीच में कुछ तब्दीली हुयी। बाद में वे अधिकार सरकारी अधिकारियों के हाथ में दे दिये गये। तो जो ऐसे अधिकार थे उनको समाप्त करने के लिये संशोधन आना चाहिये था। इसके अलावा जो और त्रुटियां थीं उनको भी दूर किया जा सकता था। अगर वे ऐसे संशोधन करते तो इस अधिनियम को अच्छे रूप में ला सकते थे और तब चुनाव करा सकते थे। उस कार्य के लिये जून तक का समय पर्याप्त हो सकता था। मान्यवर, आप इस अधिनियम की धारा की तरफ ध्यान दें। इसकी धारा २ इस प्रकार है :—

"इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबन्ध, दो वर्ष की अवधि के लिये अथवा जब तक कि उक्त अधिनियम की धारा २२ के अधीन उक्त जिला परिषदों का पुनः संघटन न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो, प्रत्येक जिला परिषद् के संबंध में, निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे।"

[श्री बसन्त लाल शर्मा]

श्रीमन्, आप धारा २२ को देखें। वह स्वयं कुछ भी नहीं है। मेरे पास ऐक्ट है। उसमें यह है :—

"The State Government shall arrange for the constitution as Under Section 18 of the Zila Parishad for every district and for the re-constitution thereof on the expiry of the first and each subsequent term as otherwise required under this Act,"

धारा १८ के अन्तर्गत जो इसके संगठन की प्रणाली दी गयी हैं उसके अनुसार राज्य सरकार उसका प्रबन्ध करेगी। यदि आप धारा १८ की तरफ ध्यान देंगे तो मान्यवर उसमें आप देखेंगे कि क्षेत्र समितियों के प्रमुख, क्षेत्र समितियों के चुने हुये मेम्बर, म्यूनिसिपल बोर्ड के प्रेसीडेंट, कोआपरेटिव बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन के मेम्बर, विधान सभा के मेम्बर, विधान परिषद् के सदस्य, संसद् के सदस्य और कुछ कोआपटेड मेम्बर भी उसके सदस्य होंगे।

मान्यवर, इसमें आगे चल कर आप देखेंगे कि धारा २ (क) में यह दिया हुआ है :—

"उक्त अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य अपने-अपने पद पर न रह जायेंगे।"

मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आता कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य ने क्या अपराध किया? क्या उनमें दोष है? किस दोष में वे फांसे जाते हैं और क्या आरोप उन पर लगाये जाते हैं। अगर ऐसा होता भी है तो किसी भी जिला परिषद् के अध्यक्ष को आसानी से हटाया जा सकता है। मूल अधिनियम का सेक्शन २९ है जिसमें स्पष्ट है कि—

If in the opinion of the State Government the Adhyaksha or the Upadhyaksha while acting in place of Adhyaksha, wilfully omits or refuses to perform his duties or functions under this Act or abuses the powers vested in him or is found to be guilty of misconduct in the discharge of his duties, the State Government after giving the Adhyaksha or Upadhaksha, as the case may be, a reason- able opportunity for explanation may by order remove him from office (and such order shall be final and not open to be questioned in a Court of Law).

तात्पर्य यह है कि अगर कर्तव्य के पालन में कहीं वे विमुख पाये जायेंगे या दोषी पाये जायेंगे तो उन्हें हटाया जा सकता है और इसके लिये वे किसी न्यायालय में भी प्रस्तुत नहीं हो सकते इतना बड़ा अधिकार राज्य सरकार को है। माननीय मंत्रीजी ने ३७ जिला परिषदों का उद्धरण दिया लेकिन उन्होने उनके नाम नहीं बताये और समय की कमी कहकर उसको टाल दिया। समय की आड़ लेकर वह उससे भाग गये। लेकिन आज उनका बहुमत है और वह बहुमत भी हमारे उन साथियों के कंधे पर है जो कि घर में किसी दरार पड़ने की वजह से उधर हैं लेकिन दरार पट जाने पर वे फिर वापस आ सकते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि उनकी अल्पमत की सरकार इसी तरह है जिस तरह एक कहावत है कि उधार का खाना और फूंस का तापना क्षणिक होता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि वह अन्धकार में इस सम्मानित सदन को न रखें। उन्हें उन ३७ जिला परिषदों की चर्चा करनी चाहिये थी, उनके नाम बतलाने चाहिये थे, उनसे एक्सप्लेनेशन काल करते और उन पर आरोप लगाते क्योंकि सरकार के पास तो व्यापक अधिकार हैं सेक्शन २९ के अन्दर उन्हीं के शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि एक संदिग्ध बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ९ मार्च को उनका अचानक ऐसा विचार बना जिससे वे विधेयक ले आये। मान्यवर, आज १३ मार्च है। इतनी जल्दी कौन सी जादू की डंडी या अलाउद्दीन का चिराग जला कर देख लिया कि ५१ में ३७ के विषय में ऐसी धारणा बन गयी। वह भी कब जब इधर बैठने वाले जनसंघ के नेता माधव प्रसाद जी ने चर्चा किया। उन्होंने प्रश्न पूछा और इस पर उनकी विचारधारा बनी और उन्होंने जिला परिषदों के कार्य कलापों का मूल्यांकन कर लिया।

जिस झमेले में रात दिन अपनी सरकार को बचाने में वे पड़े है और जैसे कि दिनेश सिंह जी के इस्तीफा देने से उनके अन्दर खलबली मची है ।

(व्यवधान)

तो मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह कह रहा था कि वह अपनी सरकार को बचाने के लिये रात दिन उलझनों में पड़े हुये हैं । ९ तारीख को एक प्रश्न पूछा गया और १०, ११, १२ तीन दिन का उनको समय मिला और इस तीन दिन के अन्दर ५१ जिला परिषदों के क्रियाकलापों का मूल्यांकन कर लिया । अगर इतनी बड़ी क्षमता सरकार में होती तो संविद के जमाने में दस महीने में भी चौधरी चरण सिंह की सरकार परिपक्वता में क्यों नहीं आ पायी, इतने समय में तो गर्भ पाकर बच्चा भी जन्म ले लेता है, परन्तु ९ महीने में ही उनका किला ध्वस्त हो गया । और मैं तो कहता हूं कि ९ महीने का १/९ करिये, यदि उनमें साहस है तो मैं आपके माध्यम से चैलेन्ज देना चाहता हूं कि वह मंत्रिमंडल का एक्सपैन्शन कर के तो देखे । अगर उन्होंने कर दिया होता तो हमारे सब साथी हमारे साथ चले आते । हमारे घर के ही भाई कुछ उधर बैठे हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप विधेयक पर बोल रहे हैं ।

श्री बसन्तलाल शर्मा--

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं तो भारत सिंह चौहान की भी इसमें मदद ही कर रहा हूं । वह बेचारे आगे आकर बैठे है मिनिस्ट्री के लालच में ।

श्री भारतसिंह चौहान (जिला इटावा)---

मैं इस हाउस में पहले भी आगे बैठता था जब आप इस हाउस में थे भी नहीं ।

श्री बसन्तलाल शर्मा---

मैं यह कह रहा था कि यदि उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके पांव उखड़ गये होते । मगर चौधरी साहब बड़े चतुर हैं, बड़े कुशल प्रशासक हैं । मैं उनको बुरा कैसे कह सकता हूं । मैं तो २० वर्ष उनके पीछे चला हूं और पिछले बजट सेशन में उधर से बोलते हुये उनके कामों की प्रशंसा की थी और इधर के बैठने वालों से कहा था कि आपोजीशन को चलाना चौधरी साहब से सीखें, वह १७ को लेकर गये थे, ९७ को लेकर इधर आ जायेंगे और मेरी बात सही निकली, वह ९७ को लेकर उधर चले गये ।

इस विधेयक को आप देखें । इसमें कहा गया है कि :--

"जिला परिषद , उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उसकी समितियों के सभी अधिकार, कृत्य तथा कर्त्तव्य, जिला मैजिस्ट्रेट में निहित हो जायेंगे और जिला मैजिस्ट्रेट, द्वारा ही उसका प्रयोग, निष्पादत तथा पालन किया जायगा और जिला मैजिस्ट्रेट, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, विधि की दृष्टि से जिला परिषद्, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा समिति समझा जायगा ।"

ऐसा घोर अन्धेर तो आज तक कभी प्रजातन्त्र में देखा ही नहीं गया है । जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों के मत से जिस अध्यक्ष का चुनाव होता है वह भी जिला मैजिस्ट्रेट बन जायगा । जिस उपाध्यक्ष का प्रतिवर्ष चुनाव होता है उन प्रतिनिधियों के द्वारा वह भी जिला मैजिस्ट्रेट बन जायगा । इतना ही नहीं, वह रावणाकार शरीर धारण करके सभी समितियां भी बन जायगा । यह प्रजा-तंत्र का गला घोटने वाली चीज, यह प्रजातंत्र की हत्या करने वाली प्रवृत्ति, हमारी सरकार लोगों को ऐसा रास्ता दिखाती है ।

मुझे बड़ी खुशी होती है और कोई विशेष आपत्ति न होती लेकिन श्रीमन्, एक कहावत है कि बुढ़िया मर गई तो मर गई लेकिन मौत ने घर देख लिया । यह तो सरकार की अदला-बदली

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

का जमाना है, कभी हम इधर हैं और वे उधर हैं और कभी हम उधर होंगे और वे इधर होंगे। तो अगर यह रास्ता देख लिया तो फिर आदत पड़ जायगी और इसकी चिन्ता मुझे है। इसलिये ही मैं कहता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दें और वहां पर इस पर विचार हो जाय। आप जिला मजिस्ट्रेट को इतने अधिकार न दें, उनके पास इस प्रजातन्त्र के युग में इतना समय ही नहीं है कि वह सब देखें। इसमें स्वयं लिखा है आप देखें कि किस तरह से अधिकार प्रदत्त किये गये हैं। खण्ड २ के (ग) १ में है कि "इस प्रकार प्रदत्त अधिकारों को, ऐसी शर्तों के अधीन जो वह आरोपित करना उचित समझे, अपने द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को, प्रतिनिहित कर सकता है।" इससे स्पष्ट मंशा जाहिर होती है हमारी सरकार की और उसकी यह एक दुषित मंशा है, मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, कि वह किसी अपने लाडले, चाटुकार और खुशामदी को उनके स्थान पर लाना चाहती है और और इसमें भ्रष्टाचार बढ़ने का पूरा अवसर मिलेगा।

आप देखें कि इसके शीर्षक में लिखा है कि यह केवल अल्पकालिक व्यवस्था है, न यह कोई संशोधन है, न कोई परिवर्धन है और न कोई काटछांट है केवल इसके द्वारा जो ऐक्ट है उसके ऊपर एक नया विधेयक लादा जा रहा है, वह भी अल्पकाल के लिये ३ मास में यदि चुनाव की व्यवस्था नहीं हो सकती तो क्या यही रास्ता है। केवल इसमें एक ही उद्देश्य है कि जिला परिषदों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को हटाया जा रहा है।

मान्यवर, क्षेत्र समितियों का क्या होगा ? जब मूल अधिनियम के ऊपर एक दूसरा अधिनियम आसीन हो जायगा। तभी वे तो बनी ही रहेंगी वे अपना काम करेंगी, वे अपने प्रस्ताव और संस्तुतियां भी भेजेंगी। लेकिन इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, राज्य सरकार के पास भेज नहीं सकतीं जब उनके प्रतिनिधि प्रमुख जिला परिषद् के सदस्य ही नहीं रहेंगे तो उनकी आवाज ही कहां रह जायगी ? दो चार दिन या दो चार मास का प्रश्न नहीं है २ साल की बात है। यह कौन से अंधेरे में या कौन से प्रजातन्त्र में हमें ले जाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। यह प्रजातन्त्र के लिये बाधक है और यह एक गलाघोट बिल है। इसके अन्दर मूल ऐक्ट का हनन हो रहा है। धारा २९ के अनुसार जिन अध्यक्ष या उपाध्यक्षों को दोषारोपित बताया जाता है उनको हटाया जा सकता था, निकाला जा सकता था, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, उनको सस्पेंड किया जा सकता था। इस तरह से थोड़े दिन के लिये २ या ३ मास का समय बढ़ाने का राज्य सरकार को अधिकार था, वह ३० जून तक समय बढ़ा कर चुनाव करा सकती थी। अगर इस को प्रवर समिति को नहीं भेजा जाता है और यहां जबरदस्ती पास कराया जाता है तो यह पास तो हो ही जायगा जैसा कि किसी शायर ने कहा है कि

"बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत
नहीं काम आती दलील और हुज्जत।"

कुंवर तेजभान सिंह (जिला प्रतापगढ़)—

हमें अभी तक कभी भी बोलने का अवसर, श्रीमन् नहीं मिला है। आप हमें भी समय देने की कृपा करें.....

श्री बसन्तलाल शर्मा—

मेरा समय ले लिया गया है, इसका आप ध्यान रखें उतना मेरा समय बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

(कुंवर तेजभान सिंह से)

आप अपना आसन ग्रहण कीजिए, आपका संकेत मैंने समझ लिया, खड़े होइयेगा तो समय मिल जायगा।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

मान्यवर, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जघन्य और हत्यारा विधेयक आज पहले पहल इस प्रजातंत्र के युग में आया है। यह अभूतपूर्व हत्यारा विधेयक है। इसके पहले कोई विधेयक नहीं आया। जब क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम बना था तो जिला परिषदें बनी थी। उस अधिनियम को बदला जो पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट था। उसकी जगह एक दूसरा अधिनियम बना था जिसमें प्रजातांत्रिक प्रणाली के अनुसार जन प्रतिनिधियों के हाथ मजबूत करने थे और पंचायत राज की कड़ियों को मजबूत करना था। उसकी सही रूप रेखा देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। उस समय माननीय चरण सिंह जी, माननीय धर्म सिंह और माननीय शिवराज सिंह सब उसमें शामिल थे तब एक आवश्यकता पड़ी थी। इस समय इसके कार्यकाल को २ वर्ष के लिए न बढ़ा कर यदि मेरा संशोधन मान लें तो जनतन्त्र की हत्या न होगी, निर्दोष व्यक्ति नहीं मारे जायेंगे। माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा था कि ३७ जिला परिषदें केवल दोषी हैं। शेष १४ निर्दोष हैं। मेरी राय में निर्पराधी को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का विधेयक पास करके घोर अन्याय होगा और जनतंत्र के साथ न्याय नहीं होगा।

अतः मेरी प्रार्थना है कि मेरा जो संशोधन है कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय, उस पर माननीय मंत्री जी विचार करें और २९ जून के पहले चुनाव कराये जायें और फिर जिला परिषदों का संगठन, जैसा कि अधिनियम में दिया हुआ है, और जैसा कि उन्होंने इसमें कहा है कराया जाय। यदि यह विधेयक प्रवर समिति के पास जायगा तो उसमें सम्मिलित विधान सभा के और विधान परिषद् के सदस्य विचार करेंगे और जो संशोधन उपयुक्त होंगे, वे इसमें लिए जा सकेंगे। जो अधिनियम के अन्दर समावेश होगा, उनके अन्तर्गत रहते हुए विचार करके चुनाव कराये जायं और जिला परिषदों का फिर से संगठन कराया जाय। उससे प्रजातन्त्र की रक्षा भी होगी।

एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इस सम्बन्ध में मुझे एक संस्कृत का श्लोक याद आया है जो इस प्रकार है:—

विपदि धैर्यमथाम्भ्युदये क्षमा,
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः।
यशसिचाभिरुचि र्व्यसनंश्रुतौ,
प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्।

जब मनुष्य का अभ्युदय होता है तो क्षमा करना चाहिए। अगर हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी किसी जिला बोर्ड के अध्यक्ष से नाराज रहें हों तो इस समय एक तस्में के लिए भैंस की हत्या न करें। प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए मेरा संशोधन अगर मान लिया जाय तो बड़ा ही लाभदायक होगा।

अन्त में विधेयक के खण्ड २ के (घ) में दिया हुआ है कि "राज्य सरकार समय-समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे प्रासंगिक या आनुषंगिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत किसी उपबन्ध का अनकूलन, परिष्कार या उसके प्रवर्तन को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निलम्बित करने का उपबन्ध भी है, बना सकती है।"

मान्यवर, आप देखें कि इसमें कितना घोर अन्धेर है। इसमें यह भी है कि समय-समय पर राज्य सरकार ऐसे प्रतिबन्ध और उपबन्ध बना सकेगी जो वह आवश्यक समझे। इससे तो मूल अधिनियम की भावाना ही नष्ट होती चली जायगी और खूब भ्रष्टाचार पनपेगा तथा मनमानी होगी। जिला परिषदें अपने माननीय सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होती हैं, वहां माननीय सदस्य

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

प्रश्न करते हैं। आज इस अल्पकालिक व्यवस्था के नाम पर प्रजातन्त्र का गला घोटा जा रहा है। जो भी व्यक्ति थोड़े दिन के लिए इसमें रखे जायेंगे वे यही समझेंगे कि हम तो चौधरी साहब की महती कृपा से बने हैं, उनकी कृपा से यह परसाद उन्होंने पाया है अतः वे जनता का तो भला कर ही नहीं सकते। मैं चाहता हूं कि चौधरी साहब को जो यह मंत्रित्व मिला है उसका वे आदर करें, उसकी सुरक्षा करें और इस विधेयक को प्रवर समिति में जाने दें। मेरे कुछ और साथी बोलने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए मैं इतना ही कह कर बैठ जाता हूं।

*कुंवर तेजभान सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने ऐसे विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है कि जिस पर हृदय के उद्गार कहे बिना रहा नहीं जाता है। जिला परिषदों के भंग होने का जो यह विधेयक सदन के पटल पर रखा गया है इसे रख कर, पहले सरकार की ओर से सवा छः एकड़ का विरोध करके सरकार ने मेरी आत्मा को जितना कुंठित किया था और दुख पहुंचाया था, आज उतना ही सुख पहुंचाया है, मेरी आत्मा आज उतनी ही प्रसन्न है जितनी उस समय दुखी थी।

इस समय प्रान्त में ५४ जिला परिषदें हैं। इनमें २–४ को छोड़ कर शेष सभी ऐसी होंगी जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होगा। रायबरेली, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ यह तीनों मेरे पड़ोसी जिले हैं और मैं कह सकता हूं कि यहां की जिला परिषदों में काफी भ्रष्टाचार है। शिक्षा विभाग जिस पर जिले की सभ्यता और जिले का भविष्य निर्भर करता है वहां पर इतना भ्रष्टाचार है कि मास्टरों की नियुक्तियों में रिश्वतें ली जाती हैं, उनके ट्रान्सफर्स में रिश्वतें ली जाती हैं। इसलिये हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह कदम उठाया है वह सराहनीय है।

एक सुझाव मैं उनको देना चाहता हूं कि वे माननीय रामधारी शास्त्री के सुझाव पर भी विचार करें। वह ठीक मालूम होता है। हमारे डाक्टर लोहिया ने हमको यह मंत्र दिया है कि भले काम की सराहना करो और गलत काम का विरोध करो। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार रामधारी शास्त्री जी के सुझाव को स्वीकार कर लें।

क्षमा चाहता हूं, मैं सरकार से बड़ी नम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूं कि अभी तक सत्ताधारी गुट के लिये जिला परिषद् के सारे कर्मचारी चुनाव में शामिल थे, माननीय चरण सिंह अपने को इस कलंक से बचावें, वह इस ओर कदम उठाएं कि जिले में अच्छा शासन हो, अच्छा काम करके वह इसका श्रेय लें, जनता सराहना करे कि सरकार ने जिला परिषदों के सदस्यों और चेयरमैनों से जो जिले का प्रशासन लिया है, उससे जनता का उत्थान हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे क्या कहूं, आप स्वयं इसके जानकार हैं।

हमारे प्रतापगढ़ जिले में जिला परिषद् की कितनी ही अध्यापिकायें, जिला परिषद् के सदस्यों और चेयरमैन साहब के मनोरंजन की सामग्री बनाई गयीं। हमको सुल्तानपुर जिले में भी सुनने में आया है, रायबरेली जिलें में जो कुछ भ्रष्टाचार जिला परिषद् की तरफ से चलाया जा रहा है उसकी कोई हद नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रान्त में ५४ जिला परिषद् हैं, शायद दो, चार जिला परिषदें एसी हों जो सराहना योग्य हों। जिला परिषदों के शासन से जनता ऊब चुकी है। यह काम सरकार ने अपने हाथ में लेकर एक प्रगतिशील कदम उठाया है, सराहनीय कदम उठाया है। परन्तु अगर सरकार मदांध होकर अपने सही कार्य को भूल जायगी, अगर सरकार जिला परिषदों को अपने हाथ में ले कर अपनी फौज तैयार करने की कोशिश करेगी, तो वही सरकार की फौज सरकार को गिराने का भी कारण बन जायगी।

दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मैं तो इस वक्त उस पार्टी का सदस्य हूं जो बहुत संघर्षशील पार्टी है। उसका सदस्य होने के नाते भी, निष्पक्ष भाव से सरकार

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के इस कार्य की सराहना करता हूं। उसके साथ विनम्र प्रार्थना है कि सरकार पहले की तरह, सत्ताधारी गुट वालों की तरह, मदांध होकर, विशुद्ध प्रशासन नहीं चलायेगी तो यह सरकार भी ध्वस्त हो जायगी। इन शब्दों के साथ मैं साथी रामधारी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष—

वह खंडों पर है। अभी संशोधन पर बात हो रही है।

श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, आपने कृपा कर के मुझे समय दिया, उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० पर सदन विचार कर रहा है और उस पर माननीय बसन्त लाल शर्मा ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है प्रवर समिति के सिपुर्द करने का, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं इस बात के लिये सरकार को बधाई देना चाहता हूं। सरकार की स्थापना होने के बाद अगर उसने कोई भला काम किया है तो यह विधेयक ला कर किया है। और आगे जब कभी इस पर चर्चा की जायगी तो लोग कहेंगे कि चौधरी चरण सिंह सरकार ने जाते-जाते एक अच्छा काम तो कर ही दिया। सरकार तो जा रही है क्योंकि इस सरकार के सिर के ऊपर अविश्वास के प्रस्ताव की नंगी तलवार कच्चे धागे में बंधी लटक रही है। मुझे आशा है, और पूरी आशा है कि सदन अविश्वास प्रस्ताव को अवश्य अपना समर्थन देगा, सदन उसे अवश्य बहुमत से पारित करेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि इस विधेयक के आने से, आप मुझे क्षमा करेंगे, सबसे ज्यादा तकलीफ होगी मेरे इधर के बैठने वाले सिण्डीकेट के सदस्यों को या उधर के इन्डीकेट के सदस्यों को। क्योंकि जिला परिषदों के माध्यम से इन्डीकेट और सिण्डीकेट दोनों की जड़ें अब तक मजबूत होती रही हैं और इस विधेयक के द्वारा दोनों की जड़ें उखड़ जायंगी। मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनसंघ पिछले कुछ दिनों से यह मांग करता रहा है कि जिन-जिन जिला परिषदों के कार्य में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, अनियमिततायें बढ़ती जा रही हैं, उनको भंग कर दिया जाना चाहिये। भारतीय जनसंघ की इस सही मांग के औचित्य को चौधरी चरणसिंह की सरकार ने माना है और उसके प्रमाणस्वरूप यह विधेयक लाया गया है, इसके लिये मैं उनको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं।

फिर भी मैं एक निवेदन आपके माध्यम से मंत्री जी से करना चाहता हूं कि इस विधेयक में भी बहुत-सी ऐसी कमियां रह गई हैं जिनको प्रवर समिति में भेज कर ही सुलझाया जा सकता है। अभी माननीय मंत्री जी ने एक बात शिक्षा के बारे में कही कि शिक्षा में धांधली होती है। इसमें दो मत नहीं हैं। जिला परिषद् जो शिक्षा का संचालन करता है, वहां पर अध्यापकों की नियुक्तियों में बड़ी बेईमानी होती है, मनमाने तरीके से उनको सेवा से मुक्त कर दिया जाता है, और राजनैतिक कारणों से—निहित एक गर्हित स्वार्थी और दलीय राजनीति के कारण उनका इधर-उधर स्थानान्तरण कर दिया जाता है। यह बड़ी ठीक बातें उन्होंने कही हैं। इसलिये जनसंघ ने यह मांग की है कि जिला परिषदों के चंगुल से प्राइमरी शिक्षा को मुक्त किया जाये और शिक्षा के प्रबन्ध के लिए एक जिला स्तर पर स्वायत्तता प्राप्त शिक्षा परिषद् का निर्माण किया जाये जो शिक्षा व्यवस्था देखे।

माननीय चौधरी चरण सिंह जी प्राईमरी शिक्षा पर बहुत जोर देते हैं और वह बात उचित भी है। लेकिन जब तक जिला परिषदों के चंगुल से प्राथमिक शिक्षा को मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हमारे बच्चों का भविष्य बन नहीं सकता है, समाज का स्तर सुधर नहीं सकता है। इसी प्रकार से अभी माननीय विकास मंत्री जी कह रहे थे कि अपने प्रदेश की ३७ जिला परिषदें ऐसी हैं जिनके विरुद्ध बड़े गम्भीर आरोप हैं। अच्छा हो कि यदि वह किन्हीं कारणों से उन जिला

[श्री कल्यान सिंह]

परिषदों के नाम नहीं बता सकते हैं, तो उनके विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं, उन आरोपों की प्रतियां मुद्रित कराकर इस सम्मानित सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को वितरित कर दी जायं, जिससे इस सदन के माननीय सदस्य अपने प्रदेश की इस बुरी स्थिति से अवगत तो हो जायं। मैं आशा करता हूं कि वह मेरी मांग को अवश्य मानेंगे ।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं उस सम्बन्ध में जिसमें जिलाधीशों को सारे अधिकार दिये गये हैं। भारतीय जनसंघ राजसत्ता के विकेन्द्रीकरण में विश्वास करता है, वैसे ही आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण में भी विश्वास करता है, अतः मैं यह नहीं चाहता कि इनके स्थान पर ऐसा व्यक्ति बैठ जाय जो तानाशाही बरतना शुरू कर दे। इसलिए मेरा सुझाव यह होगा कि कोई भी समिति बने, उस में विधान परिषद और विधान सभा के सदस्य अवश्य हों, उस क्षेत्र के संसद के सदस्य भी उसमें हों। क्योंकि मुझे ऐसी आशंका है कि जिलाधीशों को उसका डिक्टेटर बना दिया जायगा और यह बात बहुत सम्भव है। मुझे ऐसा भय है और इसके लिये सरकार से आश्वासन मिलना चाहिये, कि ऐसा नहीं होगा कि बी० के० डी० के सदस्यों से इसको भर दें। यदि ऐसा हुआ तो जिस रोग के निदान के लिए हम यहां पर विचार करने बैठे है वही रोग दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जायगा ।

इसी के साथ-साथ मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। प्रवर समिति को हम इसको क्यों सुपुर्द करना चाहते हैं? किसी भी राष्ट्र के लिए, उसके जीवन के लिए सड़कों का बहुत महत्व होता है। अपने प्रदेश में सड़कों की हालत बड़ी खस्ता है, विशेष कर जिला परिषद् की सड़कों की देखने में आया होगा कि जिला परिषदों के द्वारा जो सड़कें बनाई जाती हैं, उनकी मरम्मत नहीं होती है। अतः उन सड़कों को जिला परिषद् से लेकर शासन अपने हाथ में ले ले और उनका निर्माण अपनी ओर से कराये तो इससे प्रदेश का बहुत लाभ होगा ।

इसी प्रकार से कर्मचारियों के वेतन की बात है। वहां के कर्मचारियों को वह वेतन नहीं मिलता है जो वही काम करने वाले राज्य कर्मचारियों को प्राप्त होता है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसी के साथयह भी कहूं कि आपने इसमें दो वर्ष की मांग की है। दो वर्ष का समय जानकर हमको प्रसन्नता नहीं हो रही है। जनतांत्रिक संस्थाओं को भंग कर के जिलाधीश के हाथ में सारे अधिकार सौंपे जा रहे हैं। हमने इसका समर्थन किया है, लेकिन दो वर्ष की मियाद लेने की बात समझ में नहीं आती है कि क्यों इतना समय लिया जा रहा है। मैं विकास मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जितनी भी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चुनाव कराये जायं। बहुत समय से वहां पर चुनाव नहीं हुए हैं जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ा है। गांव सभा में भी बहुत दिनों से चुनाव नहीं हुये हैं। यह बात वहां पर भी लागू होती है। वहां पर भी सभापति ने बहुत-सी बेइमानी की है और गलती की है। उनके चुनाव भी जल्दी कराने की आवश्यकता है। क्षेत्र समितियों का चुनाव भी बहुत समय से नहीं हुआ और फिर जिला परिषदों की भी यही दशा है। इनके चुनाव का ऐसा काम नहीं था जिसके लिए दो वर्ष का समय लिया जाता। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से मांग करता हूं कि मन्त्री जी सदन को आश्वासन दें कि जिला परिषद् क्षेत्र समिति और गांव सभाओं का चुनाव जल्द से जल्द ६ महीने के अन्दर कराने का प्रयास किया जायगा जिससे गांव सभा, जिला परिषद् और क्षेत्र समिति का भ्रष्टाचार मिटे। इन शब्दों के साथ जो संशोधन रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

*श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल पेश किया गया है इसके द्वारा सरकार प्रजातन्त्र की चार इकाइयों लोक सभा, विधान सभा, जिला परिषद् और क्षेत्र समिति में से दो इकाइयों को समाप्त कर रही है। इस पर भी मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हम प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं यह बड़े आश्चर्य की बात है। अच्छा यह होता कि जो कारण बताये गये हैं कि बहुत समय से चुनाव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

न होने के कारण इनमें दोष आ गये हैं तो वे चुनाव अप्रैल या मई तक जल्दी ही करा देते, तब हम मानते कि यह सरकार प्रजातन्त्र को मानने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार उनके चुनाव नहीं कराना चाहती है। दो साल का समय इसलिए लिया जा रहा है कि जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जायगा तो दूसरी बात कही जायगी। मुझे इसके पीछे यह भावना लगती है कि ७२ में लोक सभा का चुनाव होगा। उस वक्त यह सरकार कह देगी कि जनता ने अपनी राय दे दी है अब जिला परिषदों के चुनाव की जरूरत नहीं रह गई है।

मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के अन्दर अध्यक्ष और प्रमुख के काम में दोष आ गया लेकिन नौकरशाही को २२ वर्ष हो गये इनके ऊपर आप कैसे विश्वास करते हैं। नौकरशाही को यह सरकार इतना बड़ा अधिकार दे रही है उसका मुझे आश्चर्य है। जैसा मेरे एक मित्र ने कहा कि जितनी भी जिला परिषदें हैं उनमें २,४ ऐसी होंगी जो बी० के० डी० के हाथ होंगी नहीं तो सब जगह पर सिंडीकेट या इंडीकेट के लोगों का ही अधिकार है। तो इनका तो नुक्सान हो सकता है।

मैं दो-एक बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ५, ७ सालों से किस प्रकार जिला परिषदों पर अपना अधिकार रखा है चुनाव न करा कर। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार बी० के० डी० के कब्जे में आ गयी है और सरकारी अधिकार का प्रयोग करके सभी जिला परिषदों को वह अपने कब्जे में रखना चाहती है। इस कानून में क्या व्यवस्था की गयी है? सारे अधिकार अध्यक्ष के जिलाधीश में निहित कर दिये गये हैं जो समय-समय पर सरकार से सलाह लेकर काम करेगा और सरकार अपने आदमी नामिनेट करेगी जो सरकारी पार्टी का प्रचार करेंगे। पिछला अनुभव बतलाता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजनीतिक प्रचार किया गया। जिला परिषदें राजनीतिक अखाड़ा हैं। जितने अध्यापक थे चुनाव के दिनों में अध्यापन का काम छोड़ कर सत्ताधारी दल का काम करते थे। इसीलिये शास्त्री जी ने कुछ संशोधन दिये हैं प्रधानों को हटा दें परन्तु जितने जन प्रतिनिधि हैं, एम० एल० ए०, एम० पी० राज्य परिषद् के उनको मिला कर एक सलाहकार समिति बना दी जाय और उनकी सहायता से कलेक्टर जिला परिषदों का काम करे। तब तो कुछ प्रजातांत्रिक स्वरूप रह सकता है लेकिन हमें ज्ञात है कि कलेक्टर बिलकुल मनमाने ढंग से काम करेगा। कारण बताया जा रहा है जिला परिषदों को खत्म करने का कि ५१ में ३७ जिला परिषदों के अध्यक्षों पर आरोप हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आरोप हैं तो उन पर मुकदमा चलाइये, उन्हें निकाल दें और सजा देते लेकिन आपने एक दम गोली मार कर उनको समाप्त कर दिया यह गलत है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री इन्द्रमणी—

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बतलाया इस वर्ष हम लोग गांधी शताब्दि मना रहे हैं और चाहे इधर के लोग हों अथवा उधर के सभी यह जानते हैं कि गांधी जी ने सर्वप्रथम बल हमेशा किसी चीज की प्राप्ति में साधनों की पवित्रता पर दिया है लेकिन हम देखते हैं कि जो लोग गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते हैं उन्होंने उस पवित्र साधन को बिलकुल तिलांजलि दे दी है और उसका आरम्भ सबसे पहले हमारे प्रधान मंत्री ने किया है। जिस आदमी का नाम उन्होंने पहले राष्ट्रपति पद के लिए दिया बाद में अन्तरात्मा की आवाज पर उसके विरुद्ध उन्होंने काम किया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े नेता हैं। १२ तारीख को उन्होंने एक समझौता किया और १४ तारीख को उसे उलट दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

संशोधन पर बोलिये, राजनीति पर नहीं।

श्री इन्द्रमणी—

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

[श्री इन्द्रमणी]

अगर कोई ऐसी बात हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। गांधी शताब्दि में रही सही बात राज्यपाल महोदय ने पूरी कर दी। जिस समय सिंडीकेट, जनसंघ और संसोपा आदि के ३०० मेम्बर थे तो वे दिल्ली चले गये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कह दिया है कि आप असंगत न बोलें। आप सुसंगत बोलने की कृपा करें। आप कृपा कर के बैठिये।

श्री इन्द्रमणी—

अध्यक्ष महोदय, असंगत की बात नहीं है। यह तो मेरे अधिकार का हनन हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपने नेता से पूछिये।

श्री इन्द्रमणी—

उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे निकाल सकते हैं। मैं सत्य बोलने का आदी हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सब कुछ नहीं बोल सकते हैं।

श्री इन्द्रमणी—

सब कुछ मैंने क्या बोला। यह प्रजातंत्र की हत्या है। यह गांधी जी के सिद्धांतों की हत्या है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप से मैंने कह दिया कि आप सुसंगत कह सकते हैं।

श्री बांकेलाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन एक महीने के अन्दर दे दे।

(समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायंगे।)

इस संशोधन के समर्थन में कहना चाहता हूं कि—

"मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच कर चैन पाता है।
वह मौजें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता।"

जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने ३० एकड़ वाले मामले में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का घोरतम विरोध किया। इस डर से कि उधर के बड़े-बड़े लोगों का उसमें हाथ है। उन्हीं के कारण यह अपना भाषण बदलते रहे। इसी तरह से जिला परिषदों की समस्या है। विधान सभा, विधान परिषद् और पार्लियामेंट के मेम्बर्स अधिकतर जिला परिषदों के सदस्य हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि जिला परिषदों में बड़ा भ्रष्टाचार है। जब पूछा जाता है कि उनमें क्या भ्रष्टाचार है तो बताने की हिम्मत नहीं होती है। अक्ल जब थी जब इधर बैठते थे लेकिन अब उधर आ गये तो अक़ल भ्रष्ट हो गई। पूछने पर कि इनमें क्या भ्रष्टाचार है तो कोई जवाब नहीं। बेहतर तो यह होता कि जल्द से जल्द इनके चुनाव करा दिये जाते। यह दो साल की अवधि क्यों चाहते हैं? वह सारी ताकत जिला-परिषदों से लेकर कलेक्टर के हाथ मे देना चाहते हैं। जब हमारे मन्त्रि-परिषद् की यह दशा है

कि मंत्री लोग रोज अपना वचन भंग करते हैं तो फिर कलेक्टर के वचन का क्या हश्र होगा। यह कौन जाने ? कौन सा कलेक्टर है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया गया हो और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई हो। वे ऐसा करेंगे कि अपने नुमायन्दे भेजेंगे ताकि उन की ताकत मजबूत हो। जैसे सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने दाम गन्ने के बढ़ाये लेकिन कहा यह गया कि हमने बढ़वाये और उसका श्रेय चरण सिंह जी को गया बड़ा हल्ला कर के एक नक्शा पेश किया गया जनता के अन्दर कि हम ईमानदार हैं। उसी तरह से जिला परिषदों को भंग करके ये दिखलाना चाहते हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है जब कि दो साल के लिये जिला मैजिस्ट्रेटों के हाथ में जिला परिषदों को देकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं ताकि वे सन् १९७२ के चुनाव में चुन कर आवें और फिर आगे चल कर कह दें कि इनका चुनाव फिर टाला जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं श्री रामधारी शास्त्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भहीलाल (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री धर्मवीर का भाषण होने के बाद यह प्रस्ताव उपस्थित करें।

एक सदस्य—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्। बार बार खड़े होने के बाद भी मैं देख रहा हूं कि आप एक ही दल विशेष को बराबर समय दे रहे हैं। इसलिये यहां खड़ा होना और बैठना सब बेकार है। कृपया आप इसकी व्यवस्था करें कि दूसरी तरफ भी ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष—

संशोधन के सम्बन्ध में जिनके नाम आये हैं और जो बोलना चाहते हैं उनको मैं समय दे रहा हूं।

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन, मुझे भी बोलने के लिये दो मिनट का अवसर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब धर्मवीर जी बोलेंगे। आगे के लिये मैं अभी कुछ नहीं कह सकता।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के अन्दर वर्तमान सरकार ने एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया है जिसके बारे में हो सकता है कि हमारे माननीय सदस्यों की अलग अलग राय हो, जिला परिषदों के बारे में। लेकिन सिद्धान्ततः मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से खुशी मनायी जा रही है कि जिला परिषदें समाप्त हो रही हैं और जिले के जिलाधीश वहां पर हुकूमत करेंगे। यह समझ कर कि शायद जिलाधीश इससे अच्छा प्रबन्ध जिलों के अन्दर करेंगे लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर जितने माननीय सदस्य या दल के नेता मौजूद हैं, सभी का जनतंत्र में अटूट विश्वास है और जनतंत्र की बुनियाद को स्थापित करने के लिये ही इस देश में न जाने कितने वर्षों तक संघर्ष किया है और उस की बुनियाद इसी पर आधारित है कि हमारे देश में गांव समाज से लेकर केन्द्रीय सरकार तक जनतांत्रिक शासन प्रणाली से ही देश का विकास और प्रसार हो सकेगा लेकिन आप उस सिद्धान्त को ध्यान में न रख कर एक दूसरी भावना से ही काम कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि आज जितनी जिला परिषदें हैं उनमें से अधिकांश किसी दल विशेष के हाथ में हैं और आप के अन्दर यही भावना निहित है।

[श्री धर्मवीर]

५४ जिलों में कितने अध्यक्ष हैं उनमें कांग्रेस दल का बहुमत है जो इधर बैठे हुए हैं। और उस तरफ जो कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं उन के भी १०-१५ अध्यक्ष हैं और बाकी एकाध आप के दल के होंगे। केवल इस भावना से कि चूंकि जिला परिषदों के अध्यक्ष एक दल विशेष के हैं इसलिये आप इन जिला परिषदों को समाप्त करने जा रहे हैं। अगर यही बहस कुछ लोग यहां करें कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा जनता को ठीक से प्रशासन नहीं मिल पा रहा है तो इस विषय में दो रायें हो सकती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज देश के अन्दर जितने प्रदेश हैं जिनमें लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक शासन है, क्या सारे प्रदेशों की जनता वहां के शासन से खुश है या आप के शासन से यहां की जनता खुश है? अगर इसी भावना को लेकर कि जनता में असन्तोष है, कर्मचारियों में भ्रष्टाचार है, जिस तरह से आप जिला परिषदों को समाप्त कर के तालियां बजा रहे हैं, उसी भावना से यहां के लोग नहीं कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के अन्दर और सरकार के अन्य अधिकारियों के अन्दर भ्रष्टाचार है और जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री कहा करते हैं कि भ्रष्ट अधिकारी हैं तो भ्रष्ट प्रशासन को समाप्त करने के लिये नहीं कह सकती है और उसी भावना से इस प्रदेश की जनता यह नहीं कह सकती है कि इस विधान सभा को भंग किया जाय, इस सरकार को भंग किया जाय और यहां पर गवर्नर शासन हो जाय?

श्रीमन्, आज आप बंगाल की तरफ ध्यान दें। आज बंगाल में क्या स्थिति है। बंगाल की सरकार किस प्रकार से चल रही है। वहां की जनता की भावना उसके प्रति क्या है। अगर आज वह भावना सारे में आ गई तो जनतंत्र प्रणाली ही समाप्त हो जायगी और उस को समाप्त करने के लिये आप कदम उठा रहे हैं। चूंकि अध्यक्ष जिला परिषदों के दूसरे दलों के हैं इसलिये आप उनको समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन इस भावना के अधीन आपकी विधान सभा को भी भंग किया जा सकता है। दूसरा यह कह सकता है कि क्योंकि आपका शासन ठीक नहीं चल रहा है फिर क्यों न राष्ट्रपति शासन यहां पर भी कर दिया जाय। भले ही आप जिला परिषदों के कुछ अध्यक्षों से नाराज हों लेकिन बुनियादी सवाल की ओर आप देखिये। अगर आप किन्हीं गलतियों के कारण उन को समझते हैं कि वे भंग कर दिये जायं फिर उसी आधार पर इस विधान सभा को भी भंग किया जा सकता है।

मैं यह जानता हूं कि अपने बहुमत के आधार पर आप इस बिल को पास कर लेंगे। लेकिन मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि इसको समाप्त करने के बाद, उसका प्रबन्ध जिलाधीशों के हाथ में देने के बाद आप किस प्रकार से अपने मुंह से जनतंत्र की दुहाई दे सकते हैं। किस प्रकार से लोग फिर जनतंत्र में विश्वास रखेंगे। इस गंभीरता के ऊपर आप को विचार करना चाहिए। यह ठीक है कि आप प्रशासन में सुधार करें, अध्यक्ष के अधिकारों पर आप अंकुश लगा दें। अगर आप को यह मालूम देता है कि वहां अध्यापक और अध्यापिकाओं की नियुक्ति ठीक प्रकार से नहीं होती, भ्रष्ट तरीके से होती है तो आप उस पर अंकुश लगा सकते हैं। सरकारी कर्मचारी अगर भ्रष्ट हैं तो उनमें आप सुधार कर सकते हैं, उन पर अंकुश लगा सकते हैं। लेकिन जिस नाव में आप बैठे हैं और जिसमें आप सुधार करना चाहते हैं, आप उसी नाव को डुबो देना चाहते हैं। इससे तो आप जनतंत्र को समाप्त ही कर देना चाहते हैं। जनता ने जिस भावना से जिला परिषदों के नुमायन्दों को चुन कर भेजा है, वह जनता क्या ख्याल करेगी। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस भावना से आप जिला परिषदों को समाप्त करने जा रहे हैं कि उनका प्रशासन ठीक नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर जनता यह कहे कि आप का प्रशासन ठीक नहीं है, फिर विधान सभा को भी क्यों न समाप्त कर दिया जाय। क्योंकि आप के कर्मचारी कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिये क्यों न राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया जाय। इसका आप क्या जवाब देंगे? इसलिये अगर जिला परिषदों में भ्रष्ट अधिकारी हैं तो उन को सुधारने की कोशिश कीजिये, लेकिन यह चार्ज उन के ऊपर लगा कर आप जिला परिषदों को समाप्त ही

कर रहे हैं, तो फिर क्या कोई यह नहीं कह सकता है कि क्यों कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारी भ्रष्ट हैं, ठीक काम नहीं कर रहे हैं, शासन ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है, इसलिये चरणसिंह की सरकार को समाप्त कर दिया जाय और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस विधेयक में जो क्लाज है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उस ओर आप गंभीरतापूर्वक ध्यान दें। इसमें यह दिया हुआ है--"इस प्रकार प्रदत्त अधिकारों को, ऐसी शर्तों के अधीन जो वह आरोपित करना उचित समझे, अपने द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को, प्रतिनिहित कर सकता है"।

(इस समय ३ बजकर ३८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसके दो माने हो सकते हैं। एक तो यह कि जिलाधीश के हाथ में पूरी सत्ता दे दी जायेगी। जिस वक्त चौधरी चरण सिंह जी ने पहले इस्तीफा दिया था और यह सिफारिश की थी कि विधान सभा को भंग कर दिया जाय और राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया जाय। उसके फलस्वरूप १ साल तक राष्ट्रपति का शासन लागू रहा। मैं निष्पक्ष रूप से पूछना चाहता हूं, जो पुराने विधायक हैं उनसे, नए विधायकों से नहीं, कि एक वर्ष के राष्ट्रपति शासन में प्रदेश की जनता अपने अधिकारों का कितना उपयोग कर पाई। जिस दिन चौधरी साहब ने इस्तीफा दे दिया था, कर्मचारी उमंग में थे और सोचते थे कि अच्छा है कि राष्ट्रपति शासन चलता रहे। निरंकुश शासक उस समय खुशियां मना रहे थे। जब आप जिला परिषदों के अधिकारों को जिलाधीशों को दे देंगे, एक तो जिलाधीश वैसे ही काम नहीं कर पाते हैं, वे जिला परिषदों का कार्य किस प्रकार से कर पायेंगे ? इसलिये अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिये वे नीचे के अधिकारियों को पावर्स दे देंगे और नीचे का अधिकारी न जाने किस प्रकार से उन अधिकारों का प्रयोग करेगा।

दूसरी भावना यह है कि, किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को, वह शक्ति दे सकता है, यह भी हो सकता है कि जिलाधीश या यह सरकार श्री धर्मवीर या श्री शिवराज सिंह को ही वह पावर्स दे दे और इस प्रकार से उसमें पक्षपात बरता जा सकता है। मन माने लोगों को पावर दी जा सकती है। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, सरकार की नीयत और भावना पर आक्षेप किया जा सकता है।

जिसको सरकार नियत करेगी उसको जिला अधिकारी अपना प्रतिनिधि बनायेगा। यह जो कार्य इसके अन्दर है उससे मुझे दहशत है। यह प्रजातंत्र की ओर इशारा नहीं करता है। यह तो किसी दल विशेष के महत्व के लिये किया जा रहा है। मैं श्री कमलापति त्रिपाठी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने अपने प्रयास से जिला परिषदों का संगठन कराया था और चुनाव कराए थे और जनता के मुनाइन्दे पहुंचाए थे, क्या जिला परिषदों में विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य नहीं हैं, क्या वह संसद के सदस्य नहीं हैं। वह तो अगर भ्रष्टाचार को नहीं बचा सकते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस तरह से वहां भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। कारण में कहा गया है कि वहां पर चुनाव नहीं हुए हैं और भ्रष्ट प्रशासन है। तो क्या वहां पर विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य नहीं हैं, क्या वहां संसद के सदस्य नहीं हैं और क्या वह चुने हुए नहीं हैं ?

एक सदस्य—

साल भर में कितनी बार आप जिला परिषद् में बैठे हैं ?

श्री धर्मवीर--

जब जब समय मिलता था हम जाते थे लेकिन मैं शुक्लाजी से एक बुनियादी सवाल करना चाहता हूं कि वहां आप भी हैं, संसद सदस्य भी हैं और जनता के सदस्य ब्लाक प्रमुख वगैरह हैं लेकिन जिला परिषद् पर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं तो इसके अर्थ मैं यह समझता हूं कि आप

[श्री धर्मवीर]

जनतंत्र पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अगर यह व्यवस्था होती कि जहां के जिला परिषद् सुपरसीडेड हैं वहां चुनाव होने चाहिये तो ठीक था लेकिन आप तो चुनी हुई जिला परिषदों की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को लाकर सरकार की मन्शा है कि दो साल में चुनाव कराएंगे। मैं बतलाना चाहता हूं कि दो साल का समय तो बहुत होता है एक साल के राष्ट्रपति शासन में कलाकुंमा हो गया था। अगर विधान सभा भंग हो जाय तो आपके दिल पर क्या होगा? तो जहां चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको सुपरसीड करके आप पुनः चुनाव कराना चाहते हैं लेकिन उसके लिये कितना समय चाहिये। क्या उसके लिये दो वर्ष का समय लगता है? बीच में जब कांग्रेस में विघटन हुआ था तो यह संभावना व्यक्त की गई थी कि हो सकता है कि संसद भंग हो जावे, विभान सभा भंग हो जावे। निर्वाचन कमिश्नर ने कहा था कि हमारी चुनाव याचिकाएं तैयार हैं और हम एक महीने में चुनाव करा सकते हैं। तो दो वर्षों में चुनाव कराने के लिये क्यों कहा जा रहा है? वह शायद इसलिये है कि इन दो वर्षों में सरकार जहां चाहे अपने नुमाइन्दे रखकर कार्य करा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरासर जनतंत्र की हत्या है। आप प्रजातंत्र के विकास की ओर बढ़ने के वजाय उसके सामने खाई खोद रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं है और सेना के जनरल कहते हैं कि संसद समाप्त करके सेना को सत्ता दे दी जाय। यह एक बुनियादी सवाल है कि जिला परिषदों को आप समाप्त करके उनको जिला अधिकारियों को देना चाहते हैं। अगर आपको वहां की खराबियों को दूर करना हैं और चाहते हैं कि वहां गड़बड़ी न हो तो इसको सुधारने के लिये बिल लाइए लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भगवान के वास्ते जिला परिषदों को समाप्त करने का जो विधेयक है उसको वापस लीजिए और यदि लाना ही चाहते हों तो प्रवर समिति के सुपुर्द कर दीजिए जो कि एक महीने में विचार करके अपनी रिपोर्ट दे दे।

श्री महीलाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष- -

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री धर्मवीर--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने जल्दी में हां और न करवा कर उसको करवा दिया।

श्री अध्यक्ष--

हमने 'न' भी कहा था और 'हां' भी कहा था।

श्री धर्मवीर--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसको इतनी जल्दी न करें और सभी सदस्यों को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अवसर दें।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। हमारी आपसे करवद्ध प्रार्थना है कि आप हम लोगों को सुनने का प्रयास करें। आप देखें कि इसकी पृष्ठभूमि में क्या है। आपने एक दम से ही

क्षेत्र समिति और जिला परिषद् विधेयक को उपस्थित कर दिया। मान्यवर, १०, ११ बजे आपने बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई थी और उसमें हम लोगों को कुछ नहीं मालूम था कि यह विधेयक सदन में रखा जाने वाला है। हमेशा जब विधेयक प्रस्तुत होता है एक दिन पहले ही सभी सदस्यों को वह विधेयक बांट दिया जाता है। यह विधेयक बांटा नहीं गया। विधेयक पर कोई समय नहीं होता। बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में लाए बिना ही, और बिना समय की पाबन्दी लगाए और एक दिन में विधेयक लाकर और बिना सदस्यों को उस पर अपने विचार व्यक्त किये हुए ही आपने इसको पास करवा दिया। इससे बढ़कर बेईमानी और दगाबाजी की और कोई चीज हो नहीं सकती है।

श्री महीलाल--

विधेयक मौखिक मतदान द्वारा पारित हो चुका है। साथ ही आदरणीय कृष्णानन्द राय जी ने बेईमान और दगाबाज शब्द कहें हैं।

श्री कृष्णानन्द राय---

आप अध्यक्ष महोदय, निकलवा दें हाउस से। जो सदन की नियमावली है, परंपरा है उसको यदि आप संरक्षण नहीं देंगे तो कौन देगा। अध्यक्ष महोदय, यदि इस प्रकार से नियमावली की अवहेलना होगी तो हम लोगों का विश्वास हट जायगा और हम लोग विवश हो जायेंगे कि विधान सभा का कार्य न चलने पाए।

श्री महीलाल---

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिनका प्रयोग नहीं करना चाहिये था और ये शब्द हैं बेईमानी और दगाबाजी।

(व्यवधान)

ये दोनों ही शब्द अनुपयुक्त हैं।

श्री कृष्णानन्द राय---

मान्यवर, मैंने इन शब्दों का प्रयोग सरकार के लिये किया था।

श्री महीलाल---

बेईमान शब्द कहा।

श्री कृष्णानन्द राय---

मैंने किसी मंत्री को बेईमान नहीं कहा और न किसी सदस्य को ही बेईमान कहा। मैंने कहा कि सरकार बेईमानी कर रही है। वह न्यूटर जेंडर है।

श्री महीलाल---

बेईमान शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

"बेईमान" शब्द संसदीय है या असंसदीय, इस पर तो मान्यवर, आप व्यवस्था देंगे। मैंने भी इस संबंध में कुछ पढ़ा है और याद भी है। फिर भी, मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है।

श्री महीलाल---

अध्यक्ष महोदय, पहले आपकी व्यवस्था हो जाय और तब माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी बोलें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं उसको डिफेंड नहीं करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

'बेईमान' शब्द को वापस लिया जाय।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्योंकि श्रीमन्, आपकी आज्ञा है हम वापस ले रहे हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि हमने किसी सदस्य या मंत्री को बेईमान नहीं कहा बल्कि कहा कि सरकार बेईमानी करके टाल रही है। यह मैं वापस कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

वह ठीक नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, सुबह से अभी तक सदन का वातावरण शान्त बना रहा और हम लोग शान्तिमय वातावरण में काम कर रहे थे। इस वक्त कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई जिसके कारण अशान्ति हो गई। मान्यवर, इसके मापदण्ड पर विचार करना जरूरी है। जैसा कि श्री कृष्णानन्द राय साहब ने कहा कि इसको मंत्रणा समिति के सामने नहीं रखा गया और न ही हम उस पर अपनी राय प्रकट कर सकें। ये सारी बातें हम कर सकते थे। आपने बिना हमें अवसर दिये बहस भी कर ली। श्रीमन्, इसके सारे खण्डों को तो जाने दीजिए। आप ऐसी व्यवस्था दें जो उनके अनुकूल हो जाय, यह मान्यवर, उचित न होगा। श्रीमन्, न्याय होना चाहिये। यदि न्याय नहीं होगा तो सदन में शान्तिमय वातावरण नहीं रह सकेगा। उस समय हमें आपकी ही शरण लेनी होगी। अगर आपके वहां भी शरण नहीं मिलेगी तो कहां जायेंगे हम लोग। आपकी व्यवस्था केवल न्याययुक्त ही नहीं होनी चाहिये, बल्कि देखने वालों को, सुनने वालों को, समझने वालों को और बाहर पढ़ने वालों को ऐसी लगे कि हमारी विधान सभा के अध्यक्ष ने पूर्ण न्याय किया है।

श्रीमन्, मैंने पहले भी कहा था कि जो गड़बड़ी करता है उसको दण्ड दीजिए। जो सदन का अवमान करता है उसको सजा दीजिए। अगर अध्यक्ष, मंत्री या मुख्य मंत्री के गलत कार्यकलाप के कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके परिणाम गलत हो सकते हैं तो उनकी भी छानबीन होनी चाहिये। यदि छानबीन के पश्चात् गलत कार्य पाए जाते हैं तो उनको कड़ी सजा दी जाये। जो गम्भीर पद ग्रहण करते हैं उनकी छानबीन करने के लिए कौन सी एजेन्सी है?

श्री अध्यक्ष—

अब जनरल डिस्कशन तो खत्म हो गया है। खण्डों पर अभी हम नहीं आए हैं।

श्री महीलाल—

श्रीमन, जो भ्रम पैदा हो गया है, उसको मैं स्पष्ट कर दूं। कुछ भ्रम पैदा करने की चेष्टा की गई है।

श्री बांके लाल—

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप हम लोगों को इंगित करते हैं और परेशान करते हैं। आप स्वतः नियमों में बन्धे हुए हैं और हम लोगों की रक्षा आप ही करने वाले हैं। यदि इंसाफ अपने मन से नहीं सोचेंगे और विवेक से काम नहीं लेंगे तो यह हो सकता है कि आपके खिलाफ भी हम अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें।

श्री महीलाल--

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। माननीय कृष्णानन्द जी ने कहा कि कल कार्यमंत्रणा समिति में इस विधेयक का जिक्र नहीं हुआ। माननीय स्वामी जी और शास्त्री जी साक्षी हैं कि मैंने जिक्र किया था कि एक विधेयक और आने वाला है जिसका पास करना जरूरी है। शान्ति प्रपन्न जी भी गवाह हैं। माननीय राय साहब ने कहा कि कल इसको पेश नहीं किया गया। आपकी अनुमति से संबंधित मंत्री शिवराज सिंह जी ने कल शाम इसको पेश कर दिया था। पेश करने के बाद विचार करने का मौका मिल गया और आपकी अनुमति से आज यह कार्यसूची में आ गया। फिर उनका कहना कहां तक सत्य है इस पर वह स्वयं विचार कर लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मान्यवर, चूंकि मेरा नाम महीलाल जी ने लिया है और आपने समय दिया तो यह कहना चाहता हूं....

श्री अनन्तराम जायसवाल--

व्यवस्था का प्रश्न नहीं, केवल निवेदन है। मान्यवर, जब से यह सदन चला माननीय महीलाल जी पूरे रियाज के साथ मुख्य मंत्री जी के साथ वफादारी दिखला रहे हैं तो जल्दी से उन्हें मंत्री बनवा दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं कह रहा था कि महीलाल जी ने यह प्रकट करने की चेष्टा की कि कल उन्होंने नियमानुसार इसके लिये सूचना दी थी और कार्यमंत्रणा समिति के अन्दर यह बात आ गई थी। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उनके और हमारे संबंध और सभी के संबंध बड़े अच्छे हैं। उन्होंने दरवाजे के बाहर निकलते हुए कहा कि एक खुशखबरी है और वे इस तरह खुशखबरी दे रहे थे कि उनका नया विवाह हुआ हो। लेकिन क्या इस तरह कह देने से वे नियमानुसार उस चीज को कार्यमंत्रणा समिति में ले आये? बाहर वह हमसे कुछ भी कहते रहें लेकिन कार्यमंत्रणा समिति के अन्दर अगर वह बात आ जाती तो हम कोई समय निश्चित करते। आप तो श्रीमन् वहां पर बैठते हैं और आपकी आज्ञानुसार ही हम काम करते हैं और इतने भाईचारे से काम करते हैं कि कल उन्होंने जो कुछ भी कहा हमने स्वीकार कर लिया।

भाई शान्ति प्रपन्न जी ने कहा कि हमारा गैर सरकारी दिवस भी ले लो। लेकिन कम से कम काम तो ठीक ढंग से करो। कार्यमंत्रणा समिति में यह विधेयक आया होता तो कोई समय निश्चित कर लेते। मैं समय की बात इसलिये कहता हूं कि हमें भी बहुत कुछ कहना है। माधव प्रसाद जी भी कहना चाहते हैं और बहुत से माननीय सदस्य हैं जो विधेयक का समर्थन करना चाहते हैं और अपने कुछ सुझाव देना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी का इधर ध्यान हो तो कुछ निवेदन करूं। उन्होंने हमेशा इस बात की दुहाई दी है कि प्रजातंत्र के नियमों का पालन होना चाहिये। मैं उनका बहुत आदर करता हूं। लेकिन अगर वे यह चाहें कि एक प्रस्ताव आ गया और बहुमत का हल्ला मचाकर 'हां','न' करके समाप्त कर दें तो हो सकता है कि महीने या हफ्ते या एक दो घन्टे यह चल जाय और वे काम कर ले जायं। लेकिन इस तरह करने से किसी की आवाज रोकने की कोशिश की गई तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो संसदीय प्रजातंत्र है उसकी हत्या हो जायेगी। प्रजातंत्र इस तरह चल नहीं पायेगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वे अपने प्रस्ताव को वापस लें और इस पर बहस हो। हम तो चाहते हैं कि दो तीन दिन बहस हो।

सारे प्रदेश में ५४ या ५१ जिला परिषदें हैं, उनके भविष्य का निर्णय होना है। जहां तक जल्दी की बात है चाहे मौत किसी की हो, इधर की हो या उधर की, जो भी होना है वह होगा। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी।

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

श्रीमन्, आप न्याय तो करते ही हैं परन्तु ऐसा प्रतीत भी कराइये कि आप न्याय कर रहे हैं। अगर ऐसा प्रतीत नहीं हुआ तो हम लोगों का जो आपके प्रति विश्वास है उसमें बड़ा भारी धक्का लगेगा।

श्री अध्यक्ष---

यह आज पास तो होने वाला नहीं है। आज मैं खंडों के लिये बहस का मौका दूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

खंड की बहस में सदस्य सीमित हो जायंगे, जनरल बहस में सारी बातें आयेंगी। यह तो प्रजातन्त्र का तकाजा है। हम तो इस विधेयक का स्वागत करते हैं। आप कहिये, हम और स्वागत करें लेकिन हमको बोलने तो दीजिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि महीलाल जी अपने दिमाग में स्पष्टीकरण कर लें।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

कल जिस समय यह विधेयक अचानक एजेन्डा के बिना इस सदन में प्रस्तुत किया गया तभी मेरा माथा ठनका था कि जनतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आपने उसकी इजाजत भी दे दी और प्रस्ताव भी यहां पास हो गया 'हां' और 'नहीं' से। कार्य-मंत्रणा समिति के सदस्यों को पता नहीं। यह एक ऐसा विधेयक है जिस पर सभी अपने विचार रखना चाहते हैं और माननीय महीलाल जी प्रश्न उपस्थित कर देते हैं और आप तुरन्त प्रश्न उपस्थित करने की इजाजत दे देते हैं सदन की भावनाओं को समझे बगैर। तो मैं बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर आपके द्वारा जनतंत्र का गला घोटा गया तो इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश के अन्दर जनतंत्र को खतरा पैदा हो जायगा और महीलाल जी, जिस बहुमत के बल पर आप रोज-रोज जनतंत्र का गला घोट रहे हैं तो यह तो आनी जानी है। मैंने तो जब इधर के लोग उधर बैठे थे और हम लोगों को पुलिस के जरिये निकलवाया गया था तब भी कहा था कि इस तरह के कार्य कर के आप बहुत दिन चल नहीं सकते और अगर आप भी बहुमत के बल पर गला घोटेंगे तो आप भी ज्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं। आप जनतंत्र की रक्षा करें और इस पर सामान्य विवाद के लिये हर एक को समय दें। मैं भी बोलना चाहता हूं। मेरे विचार भी अभी नहीं आये। यह हो सकता है कि जो जल्दी पास कराना चाहते हैं वे न बोलें। आज अन्तिम दिन है। जिन हालात में यह बिल लाया गया आज सदन का समय ५ बजे के बाद बढ़ा लें, हम रात भर बैठने को तैयार हैं लेकिन हम अपने विचार जरूर रखना चाहते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे विचारों को जरूर स्थान देंगे।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)---

आप मुझे इजाजत दें क्योंकि मेरा नाम आ गया है। अगर इजाजत नहीं देंगे तो बड़ी गलतफहमी हो जायगी।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने 'बेईमानी' शब्द का प्रयोग किया था तो आपने उसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया था और विशेषाधिकार समिति ने यह निर्णय दिया था कि 'बेईमानी' शब्द असंसदीय नहीं है और सदन ने उसको स्वीकार किया था। वह सदन के रेकार्ड की बात है। अब आप कहते हैं कि 'बेईमानी' शब्द असंसदीय है।

श्री अध्यक्ष---

वह तो निपट गया।

श्री मैनेजर सिंह—

दूसरे मुझे यह कहना है कि जब यह कहा गया कि "न" की संख्या अधिक है तो उस वक्त आपको विभाजन कराना चाहिये था, वह भी आपने नहीं किया। जब "हां" या "न" आप कराते हैं और यह कहा जाता है कि "न" की संख्या अधिक है तो क्या आप बाध्य हैं या नहीं मत विभाजन कराने के लिए ?

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। माननीय शान्ति प्रपन्न जी।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

अभी स्वामी जी ने यह कह दिया कि कल जो कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी उसमें मैंने यह कह दिया था कि असरकारी दिवस को ले लीजिये। आप तो उस समय थे जबकि गवर्नमेंट के पक्ष के महीलाल जी ने और वीरेन्द्र साहब ने यह बात कही थी कि तमाम विधेयक पास होने हैं, उस वक्त यह विधेयक नहीं था, पास होने वाले विधेयक बहुत ज्यादा थे तो रामधारी शास्त्री जी ने यह कहा था कि अगर पास ही करना है तो दो घंटे में तो पास नहीं हो सकता, एक असरकारी दिवस पूरा ले लीजिये। मैं कभी चाहता भी नहीं था कि वह मिले। लेकिन जैसा कि मैंने कल कहा था, हम आपस में अकोमोडेट करने के लिये इस बात के लिये तैयार हो गये थे कि यह दिन हम दे दें लेकिन उस वक्त कभी भी जिला परिषद् के विधेयक की बात नहीं थी। मै नहीं जानता कि श्री महीलाल जी कैसे मेरा नाम ले रहे हैं। उन्होंने नित्यानन्द जी से बात की होगी कहीं बाहर। हम लोग तो कभी भी तैयार नहीं होते अगर यह मालूम होता कि इतना जरूरी विधेयक ला रहे हैं। लेकिन आप ने उसकी इजाजत दे दी तो अब इस पर कम से कम तीन दिन बहस होनी चाहिये। यह कोई मामूली सवाल नहीं है, प्रदेश में जितनी जिला परिषदें हैं वे हमारे जनतन्त्र की इकाई हैं उनको तोड़ दें और दो घंटों में एक चीज गढ़ लें तो वह उचित न होगा। हम ऐसी चीज में पार्टी नहीं थे और न हो सकते हैं।

उन्होंने एक विधेयक रख दिया और कोई समय तय नहीं किया, यह आज का समय तो केवल कल के बाकी विधेयकों के लिये था और आज यह नया विधेयक ला दिया गया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अब यह ले लिया तो ले लिया लेकिन यह ऐसा विधेयक है कि जो आज नहीं लिया जाना चाहिये था लेकिन आज के बाद इसके लिये एक दिन और चाहिये क्योंकि इस में जनतन्त्र का मूल प्रिन्सपिल इन्वाल्व है। एक बात जरूर है कि कुछ अध्यक्ष बी० के० डी० के हैं कुछ जनसंघ के हैं यह लोग तैयार हो जायेंगे लेकिन हम तैयार नहीं हो सकते। अगर महीलाल जी और सरकार हमारा कोआपरेशन चाहते हैं तो वह तो हम देते ही हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि १–२ घंटे में ही जरूरी है आज नहीं तो २७–२८ को इसे ले लें, थोड़े दिन बाद यह पास हो जाय। हम से कोई बात ऐसी नहीं हुई स्वामी जी से हुई होगी।

श्री महीलाल—

वह तो श्रीमन्, अपनी स्मरण-शक्ति भी खो बैठे।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं और वह यह कि माननीय मित्रों का जो ऐसा खयाल है कि जनतंत्र के उसूल और उसकी भावनाओं के विरुद्ध यह बात होगी कि इतनी जल्दी में एक महत्वपूर्ण विधेयक को पास करा लिया जाय, मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं लेकिन मैं केवल २ बातें बताना चाहता हूं जिन की वजह से शायद कुछ गलतफहमी हो गई मालूम होती है। पहली बात तो यह है कि यह कोई हम नई अनहोनी बात नहीं कर रहे हैं। श्री धर्मवीर जी ने बड़े आवेश में स्पीच दी कि अगर इस तरह से जनतंत्र की इकाई को तोड़ा जायगा तो फिर इस असेम्बली को भी हटाया जा सकता है। लेकिन असेम्बली के हटाने का एक

[श्री चरण सिंह]

तरीका है और वह यह कि अगर सूबे में अव्यवस्था हो जाय तो राष्ट्रपति विधान मंडल को भंग कर देते हैं और उन्हें शासन गवर्नर के हाथ में देने का अधिकार है। तो इस तरह की अव्यवस्था या यों कहिये कि एक असाधारण स्थिति में असेम्बली के साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसे हालात में नगरपालिकाओं को भी सस्पेंड किया जा सकता है। अब मैं आप की इजाजत से बताना चाहता हूं कि उसी कानून की हमने हूबहू नकल की है जो महापालिकाओं के संबंध में कांग्रेस के मंत्रि-मंडल के जमाने में बना था। इस विधेयक में उसी कानून से एक-एक शब्द लिया गया है। महापालिकायें भी तो जनतंत्र की ही इकाई हैं और जो हमारे दोस्त ज्यादातर इधर या उधर हैं उन्होंने एक ऐक्ट इस तरह का पास किया था। जिस वक्त हम मंत्रि-मंडल में इस पर विचार कर रहे थे उस वक्त हमारे मन में था कि कलेक्टर की बात जो इसमें रखी गई है वह उचित नहीं होगी, उस वक्त मैंने अपने साथियों की राय भी ली थी तो यह हुआ कि फिलहाल इसको ऐसे ही चलने दो क्योंकि मिसाल मौजूद है लेकिन दिमाग में यह चीज थी कि इस पक्ष की और उस पक्ष की अगर प्रक्रिया यह होगी कि यह अधिकार कलेक्टर को न देकर गवर्नमेंट को दिया जाय और माननीय सदस्य कहेंगे तो उसको हम सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। तो यह कोई असाधारण या एक्सट्राआर्डिनरी चीज नहीं हो रही है।

दूसरे माननीय जयराम जी यादव, प्रतापगढ़ ने कहा कि इससे, २ साल तक रखने का इरादा मालूम होता है और बी० के० डी० की न मालूम क्या क्या बात कही। और क्यों २ साल रखे? क्यों नहीं चुनाव मई या जून में करा लिए? उस ऐक्ट के अन्दर जो बिल आपके सामने है यह रखा है कि २ वर्ष या जब चुनाव हो जायं, जो भी पहले हो जाय। तो अगर चुनाव पहले हो जाय तो २ वर्ष की अवधि का प्रश्न ही नहीं उठता। ६ महीने में भी हो सकता है और १ वर्ष की अवधि में भी हो सकता है।

श्रीमन्, आपकी इजाजत से अपने माननीय मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि हमारा यह विचार रहा है कि यह जो ब्लाक्स हैं, पंचायत राज गवर्नमेंट की गांव सभायें हैं, ग्राम पंचायतें हैं और डेवलपमेंट ब्लाक्स या जिला परिषदें हैं, ये सब एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। आज जिस प्रकार से हमारी गांव पंचायतें चल रही हैं, उससे हमारे गांवों में एक कड़ुवाहट, वैमनस्य और फिर्काबन्दी बढ़ गयी है। एक प्रकार से हमारी गांव सभायें छोटी म्युनिसिपैलिटियां हो गयी हैं। आपस में फिर्काबन्दी हो गयी है। तो हमने सोचा कि किस प्रकार से इसका सुधार किया जाय।

जब हमारे देश में अंग्रेज थे तो हमारी राय हुयी कि देश में पंचायत राज स्थापित हो। हमारे गांवों में पंचायतों का राज हो जाय। पहले भी हमारे देश में पंचायतों द्वारा ही शासन होता था। क्या नियम थे मैजोरिटी और माइनोरिटी से चुनाव होते थे और निर्णय होते थे। इस सिलसिले में ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन जो गवर्नमेंट आफ इंडिया का था, उसने अपनी सिफारिश की। अगर मेरे माननीय मित्रों को याद हो तो जब संविद की सरकार थी तब भी हमने बहुत विचार किया था कि किस प्रकार से इन ग्राम पंचायतों को सुधारा जाय। उसके लिए एक कमेटी बैठी थी। उसकी पूरी रिपोर्ट तो नहीं आ पायी लेकिन उनकी प्रोसीडिंग्स मौजूद हैं। इसी प्रकार से ब्लाक डेवलपमेंट कमेटीज और प्रमुख वगैरह की समस्या है। उनका विचार था कि गांव पंचायत और जिला परिषदों में किसी और अथारिटी की आवश्यकता है और अगर है तो कैसे चुनाव हो। आप बुरा न मानें कई साल से बराबर अधिकांश जिला परिषदों के अध्यक्षों के विरुद्ध शिकायतें आपकी सेक्रेटेरियट में मौजूद हैं। हम तो २० या २५ दिन से ही आये हैं पहले से ही शिकायतें आयी हुयी हैं। ५१ जिला परिषदों में ३७ के खिलाफ शिकायतें हैं और इनमें से भी २५ के विरुद्ध तो घोर शिकायतें हैं। इस समय मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन शिकायतें हैं।

जिला परिषदों के १९६३ से चुनाव नहीं हुए हैं यानी ७ वर्ष से और गांव सभाओं के १९६१ में हुए जिसे ९ वर्ष हो गये हैं। गांव सभाओं के सभापतियों ने भूमि का किस प्रकार से इन्तजाम

किया यह सबको विदित है। तो ग्राम पंचायतों के पूरे स्ट्रक्चर को बदलने की बात सोची थी और सोचते हैं। मुमकिन है कि इसमें १ महीना लग जाय या १ साल लग जाय।

हम तो चाहते हैं कि इसके लिए हाउस की एक कमेटी बना दी जाय जिसमें कुछ इस विषय के एक्सपर्ट भी हों और दूसरी स्टेटों में क्या हो रहा है उन सब पर विचार किया जाय। तब जो मोटी मोटी बातें हों उन पर एक बिल बनाया जाय और वह लेजिस्लेचर में आये। तो यह कोई मामूली चीज नहीं है। इसलिए हमने इसमें २ वर्ष का समय रखा है। नीयत की बात है, बात की बात है अगर आप हम पर इल्जाम लगायें। क्या उस वक्त जब महापालिका के लिए कानून बनाया गया था यह सही नहीं है कि ५ महापालिकाओं में से ३ गैर कांग्रेसियों के हाथ में थीं। अगर वे ऐसा इल्जाम लगाते हैं तो सही नहीं होता क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जनहित को दृष्टि में रख कर किया था। हमारे सामने इस प्रकार का कोई ख्याल नहीं है कि अमुक पार्टी के जिला परिषद् के अध्यक्ष हैं। जैसे ही इस सरकार ने चार्ज लिया, हमने पहले ही विचार किया कि जिला परिषदों की व्यवस्था में जो अनाचार, भ्रष्टाचार, आचरण के पैमाने में गिरावट आ गयी है, उसको कैसे ठीक किया जाय। तो इस चीज को हम बहुत अर्जेन्ट और एमैरजेंट समझते हैं और हमारे ख्याल में इस पर बहुत जल्दी कार्यवाही होनी चाहिए।

हमारी राय थी और हमारी राय है। यह केवल दो या तीन खंडों का ही विधेयक है और तजुर्बा हमारा यह है कि अब ज्यादा दिन तक इन्हें चलते रहने नहीं देना चाहिये उसकी जगह कोई अन्तरिम व्यवस्था होनी चाहिये। इसमें कोई बहस की जरूरत नहीं है। विकल जी ने कहा कि जनतंत्र की हत्या होगी, इससे हल्का शब्द तो शाय उनके पास है नहीं। अब हत्या हो जायेगी या नहीं, मगर मैं इस कार्य को बहुत अर्जेन्ट कार्य समझता हूं, लेकिन माननीय सदस्य अगर इस वक्त नहीं बहस करना चाहते हैं तो इसे मुल्तबी कर दें।

श्री अध्यक्ष--

अगर माननीय सदस्य समय लेना चाहते हैं तो बहस इस समय बन्द की जाय।

(व्यवधान)

(कई आवाजें--इसको किसी और दिन रखिये)

खंडों में अभी संशोधन भी नहीं आ पाये हैं, बहुत थोड़े आ सके हैं। इसलिये यह आज तो खत्म भी नहीं हो सकता।

(कई आवाजें---किसी और दिन रखिये)।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

इस पर अभी बहस जारी रखिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

आपने श्रीमन्, मुझे समय दिया था, मैं कुछ निवेदन कर दूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी कुछ तर्क सदन के सामने रखे। मैं कोई नीयत पर हमला नहीं करना चाहता, न सरकार की और न किसी की, लेकिन श्रीमन् जहां तक इस विधेयक का संबंध है, मेरी दृष्टि में यह अत्यन्त आवश्यक विधेयक है और एक ऐसा विधेयक है जिससे सारे प्रदेश पर बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है, लेकिन श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो इन जिला परिषदों को महापालिकाओं के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया यह सही नहीं है। मुझे भी कुछ समय इस पर कहने के लिये आप दें।

इस प्रदेश में ५३ या ५४ इकाइयें जिला परिषदों की हैं, और महापालिका का एक बहुत ही महदूद दायरा है। मुख्य मंत्री जी ने यह ठीक याद दिलाया कि ३ या दो में कांग्रेस के विरोधी लोग थे। मगर मान्यवर, प्रश्न आज यह नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या आज उन ४-५

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

महापालिकाओं को इन ५३–५४ इकाइयों के समकक्ष लाया जा सकता है ? वह जो ५४ इकाइयां हैं यह तो जनतंत्र की एक प्रमुख इकाइयां हैं। इसको सभी ने स्वीकार किया है। इससे तो जो हमारे शासन की विकेन्द्रीकरण की योजना है उसी पर कुठाराघात होगा। एक ओर तो आज हम विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ यह करते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री ने शायद ठीक कहा हो कि उनके पास ३७ अध्यक्षों के खिलाफ शिकायतें आयी हैं। मान्यवर, शिकायतें हमारे सामने भी आती रहीं। अगर शिकायतों का ही सवाल है तो आज जनतंत्र की कौन सी इकाई ऐसी है जिसके बारे में शिकायत नहीं होती। अगर शिकायतों के कारण यह किया गया है तो यह ठीक नहीं होगा। प्रश्न सीधा सा यह है कि क्या आप इनको समाप्त करके उनके स्थान पर जिलाधीशों को नियुक्त करना चाहते हैं ? या कुछ कार्यकाल बढ़ाना ठीक हो सकता है। माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि वे समस्त पद्धति में सुधार करना चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमेटी बनी थी, उसने कुछ सुझाव दिए हैं कि किस प्रकार इनका सुधार किया जाए। गांव सभा या क्षेत्रीय इकाई, ब्लाक व जिला परिषद् इन सबका एक ही स्थान है और हमारी जनतंत्रीय प्रणाली में इन सबका महत्वपूर्ण स्थान है। यदि मेरे मित्र मुझे कहने की अनुमति दें और सदन भी कहने की अनुमति दे कि यदि यह हमारी सारी की सारी इकाइयां निकम्मी हैं और इनका कोई अर्थ नहीं है और हमारी विकेन्द्रीकरण की सारी योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं, तो आपके इस सदन के प्रति किसकी इज्जत रहेगी।

जिस सम्मानित सदन में हम बैठते हैं, उसमें न जाने कितने प्रकार की घटनाएं होती हैं, अशोभन घटनाएं होती हैं, जाने कितना शोर शराबा मचता है और न जाने क्या क्या होता है और जिन सबके कारण आपको अध्यक्ष महोदय, दर्शक गैलरीज को बन्द कर देना पड़ता है, जिससे दर्शक न आ सकें। सारे भारतवर्ष में, ये जब जनतंत्र की सबसे बड़ी इकाई हैं, इनमें जो कुछ हो रहा है, क्या उसके लिए इन सब सदनों को हम समाप्त कर देंगे ? क्या इसका मतलब यह है कि इन सदनों को दूसरे प्रकार से जब तक हम तय करें, तब तक इन्हें समाप्त कर दें ? मेरा विचार है कि इस तरह का कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया जाना चाहिये। यदि यह कहा गया है कि इन इकाइयों को इसलिए समाप्त किया जा रहा है कि, इनमें एक दल के कांग्रेस के सारे के सारे अध्यक्ष हैं---एक दो को छोड़कर तो इसमें गलत ही क्या है। यह बिल्कुल सच बात है। यही बात है और सब आपका बहाना मात्र है कि इनमें खराबियां हैं या अच्छाइयां हैं। क्योंकि इन इकाइयों के जितने अध्यक्ष थे, वे कांग्रेस के हैं, इसलिए एक बारगी उनको समाप्त किया जा रहा है। इसीलिए उसके प्रति हमारा रोष है। जनसंघ के मित्र ने जिस चीज का उल्लेख किया, उसकी जानकारी हमें भी है। हमें यह भी मालूम है कि कभी-कभी राजनैतिक दृष्टिकोण होता है। हमारे माननीय साथीगण जो उधर कमलापति त्रिपाठी के नेतृत्व में बैठे हैं उनका तो एक दृष्टिकोण है। हम सब का यही चार्ज है कि उनको इसीलिए समाप्त किया जा रहा है कि उन सब के अध्यक्ष कांग्रेस जन हैं। इसीलिए आज इसका इतना विरोध है और रोष प्रकट किया जा रहा है।

श्री चरण सिंह---

मैं एक बात कहना चाहता हूं, सन् ५७ में जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को खत्म करके एक इसी तरह का अन्तरिम इन्तजाम किया गया था तो क्या सब एक ही पार्टी के लोग नहीं थे ? क्या हम ही लोगों ने उसे खत्म नहीं किया था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मान्यवर, मैं स्वयं बोल रहा हूं, मुख्य मंत्री जी ने मुझसे सवाल किया है, स्पष्टीकरण मांगा है, मैं बताता हूं। सन् ५८ में कुछ जिला बोर्डों को समाप्त किया गया था, क्योंकि हमें जिला

परिषदों का निर्माण करना था और उनकी एक रूपरेखा बनानी थी। उनकी एक दूसरी रूपरेखा बनानी थी और इसलिए उस समय उसको समाप्त किया गया था।

श्री महीलाल--

और पांच साल बाद आपकी रूपरेखा बनी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

हां, उसमें पांच साल लगे। पांच साल बाद किया गया तो उसके लिए तो हम दोषी हो सकते हैं, लेकिन अन्तरिम जिला परिषदों की स्थापना की गई थी। मेरा निवेदन है कि आज यहां पर उस सदन में इतनी जल्दबाजी क्यों है ? एक चीज चल रही है, उसके चलने में इतनी बाधा क्यों है ? इसका कुछ कारण होना चाहिए। १३ तारीख को यह सदन समाप्त होने को था, और कल छुट्टी का दिन है, लेकिन सोमवार का दिन क्या आपके कलेन्डर में समाप्त हो गया है ? या मंगलवार समाप्त हो गया है या बुधवार समाप्त हो गया है ? आखिर किस चीज की जल्दी है ?

हमने आज मंत्रि परिषद् पर अविश्वास का प्रस्ताव भी रखा है। उसके लिए श्रीमन् को दस दिन के अन्दर समय निर्धारित करना है। दस दिन में जो आप समय निर्धारित करेंगे उसके लिए स्वयं, आपकी की अनुज्ञा से, आपकी रूलिंग सदन में रखूंगा। उसके लिए समय निर्धारण अगर दोनों पक्षों की राय से नहीं करेंगे, तो आपको सदा के लिए यह कहना होगा कि जिसके जितना मन में आये कहे, उतने दिन चले। इसलिए, क्यों इतनी जल्दी है ? मुझे क्षमा करें, इस अवसर पर मुझे उस चीज को कहना चाहिए, हमारे सदन की प्रतिष्ठा को बहुत कुठाराघात हुआ है। श्रीमन् को मालूम होगा, यहां पर एक बार दो डिब्बे रखे गये थे। नेशनल हेराल्ड या पायनियर में पहले से ही शाया हो गया था। आज गैलरीज में सरकारी पक्ष के लोग निरन्तर इस बात की डुग्गी पीट रहे हैं कि उस पर आज ही वोटिंग हो जायगी। हम सब को शुबहा है कि इसीलिए सारी जल्दबाजी की जा रही है। मैं निवेदन करूंगा कि गौरव के साथ इस सदन का कार्य चलने दीजिये। मुझे लज्जा आयेगी, यदि श्रीमन के सम्बन्ध में कोई आदमी यह बात कह सकेगा कि श्रीमन् ने न्याय के पक्ष से मुह मोड़ा। मैं अत्यन्त लज्जित हूंगा क्योंकि मैं आपको जानता हूं। एक पुरानी कहानी हमको याद आती है।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। यह हो क्या रहा है ? बिल पर बहस हो रही है या स्थगित कर दी गयी है। यह मालूम हो तो हम लोग भी उसमें हिस्सा ले सकें।

श्री अध्यक्ष--

चूंकि मुख्य मंत्री ने बीच में इंटरप्शन किया उसका वह जवाब दे रहे थे। बहस जो है आपको करनी है, तो दूसरे रोज कर सकते हैं क्योंकि आज यह पास होने वाला दिखायी नहीं देता। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस पर बहस होती है तो आज यह पास नहीं होता। इसके बारे में कार्य मंत्रणा समिति ने निश्चय नहीं किया है। बाहर बात कर ली हो, वह बात दूसरी है। कार्यमंत्रणा समिति में इसके बारे में निश्चय नहीं हुआ था कि आज यह पारित हो जायगा। इन लोगों में आपस में बात हो जाती है और गले में हाथ डाल देते हैं और कहते हैं सब ठीक है। लेकिन कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। यह बात सही है। यह चीज नहीं हुई, तो मैंने कहा, मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं, इस चीज को आप यहां पर अगर चाहते हैं तो इसको पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री कृष्णानन्द राय--

हम लोग पोस्टपोनमेंट नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि नियमों में जो साधारण प्रक्रिया है, जब विधेयक प्रस्तुत हो तो जितना टाइम सदस्य विवाद के लिए चाहें उनको श्रीमन,

[श्री कृष्णानन्द राय]

बोलने दीजिये । बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी ने टाइम फिक्स नहीं किया है । इसलिए विवाद जारी रहेगा ।

श्री अध्यक्ष--

अगर यह हो तो भी क्लोजर का राइट है और क्लोजर हो जायगा । इससे बेहतर यह है कि समय और भी ज्यादा दिया जाय जिसमें बहस अच्छी तरह से हो, जब उन्होंने यह स्वीकार कर लिया तो मैंने भी स्वीकार कर लिया कि किसी और रोज़ हो जाय ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

माननीय मुख्य मंत्री ने बहस में हिस्सा ले कर बहस को जारी कर दिया ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

हम लोगों ने समझा था कि हमको समय मिलेगा लेकिन हमको समय नहीं मिला ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

श्रीमन्, मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उस पर आपकी कोई रूलिंग होनी चाहिये । मुख्य मंत्री जी ने, जो कुछ उनका मन्शा था, वह कह दिया । इस बिल के पीछे जो उनके विचार थे उन्होंने कहे । यदि आपकी आज्ञा हो कि इस बिल पर बहस चलती रहे तो उधर से आचार्य जी बोले और लोग बोल लें और फिर भी बोलना चाहें तो अगले दिन समय की जरूरत हो तो इस पर बहस चलती रहे । अगर यह हो कि और बहस नहीं होनी चाहिये तो आगे बहस न हो लेकिन अब यह हो क्या रहा है ? अगर इस पर आगे बहस चलना है तो एक दो दिन और बहस चले और नेता लोग बैठकर तय कर लें कि आगे कितनी बहस चलेगी । या तो यह तय हो जाय और नहीं तो बहस बन्द हो जाय और गिलोटिन से यह हो जाय ।

श्री अध्यक्ष--

बहस बन्द नहीं हुई है । मुख्य मंत्रीजी ने यह कह दिया है कि इस चीज को आज समाप्त करना नहीं चाहते तो बहस बन्द नहीं होगी और दूसरे दिन हो जाय ।

श्री चेतराम गंगवार--

इस पर बहस चलती रहे यह हमारे जनसंघ के लोगों की राय है । आज ही इस बात का निर्णय हो जाय कि जिला परिषदों को समाप्त कर दिया जाय और जब तक यह समाप्त न हो जाय, यह सदन बैठे ।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह--

यहां पर कन्फ्यूजन हो रहा है । यह बतलाने की कृपा करें अध्यक्ष महोदय, कि क्या इस पर आज ही बहस होगी या दूसरे दिन भी होगी ?

श्री अध्यक्ष--

इसके ऊपर क्लोजर इन्होंने मूव कर दिया और फिर बीच में भी क्लोजर आ सकता है । उसके बाद बहस समाप्त हो जायेगी । मैं समझता हूं अगर यह आज पारित करना है तो दूसरों को खंडों पर संशोधन देने का अधिकार पैदा हो जाना है । यदि खंडों के ऊपर संशोधन देना चाहें तो किसी दूसरे दिन भी इसके ऊपर बहस हो सकती है । आज इसके ऊपर बहस हो चुकी है बाकी दूसरे दिन करने का मौका होगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इस पर बहस होती रहे जब तक खंड पास नहीं करते ।

श्री शिवराज सिंह--

हम त्रिपाठी जी के प्रस्ताव से सहमत हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मेरा मतलब यह है कि इस बिल पर बहस चलती रहे खंडों पर अगले वर्किंग डे को भी ।

श्री चरण सिंह--

हमारी इच्छा यह थी कि आज ही यह पास हो जाय वैसे सदन जैसा निश्चय करे । नो कांफिडेंस मोशन के सिलसिले में भी आपको कुछ तय करना है ।

श्री गोविन्द सिंह--

बार-बार यह प्रश्न क्यों ओपिन हो रहा है जब कि आपने सदन में निर्णय दे दिया है ?

श्री अध्यक्ष--

बीच में बोलने के कारण ऐसा है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

विरोधी पक्ष यह निश्चय करके बतला दें कि आज रात को बैठकर इसे पास करना है तो हम आज रात भी १२ बजे तक बैठने के लिये तैयार हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

रात को काम करने की हमारी आदत नहीं है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मेरा निवेदन यह है कि आज ५ बजे तक इस पर बहस चले और फिर दूसरे दिन इस पर बहस हो । सोमवार के दिन जब हम फिर बैठें तो इस पर बहस चल सकती है ।

श्री अध्यक्ष--

जैसा कमलापति जी ने कहा तो ५ बजे तक बाद के लिये यह प्रस्ताव लाना पड़ेगा कि यह सदन तब तक बैठे जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय वर्ना ५ बजे इस पर बहस बन्द करनी पड़ेगी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं तो यह चाहता था कि यह बिल पास हो जाय और बिल पास होने के पहले जितने माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं दिल खोल कर बहस कर लें । उसमें चाहे जितना समय लगे लेकिन १२ बजे रात तक बैठना अनयूजुअल है। सोमवार को और उसके बाद जितना समय लगे बैठ जांय ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

आपने अभी रूलिंग दी है कि खंडों पर संशोधन नहीं हैं इसलिये किसी दूसरे दिन इसे लिया जाय तो आपकी इस रूलिंग का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

रूलिंग नहीं राय दी थी ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

हम में से बहुतों की अध्यक्ष महोदय एक दिक्कत है । राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है और उस चुनाव याचिका के संबंध में हम में से बहुत से लोग

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

गवाही में तलब हैं। अदालत से सम्मन आये हुये हैं। अगर न जांय तो कंटेप्ट आफ कोर्ट चलता है कि लक्ष्मीरमण जी बतलायेंगे और शायद हम लोग बैठे रह जायं और उन्होंने दरखास्त दे दी सुप्रीम कोर्ट की, यह नहीं गये तो कंटेप्ट आफ कोर्ट हमारे ऊपर चल जायेगा। २०, २५ आदमियों पर नोटिसेज आये हैं। १६ अथवा १७ को फिर इसे न रखा जाय जिस वक्त कि वोट की आवश्यकता पड़ जाय और ऐसा करना अनुचित होगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

उनको हम एकमोडेट करना चाहते हैं। आप १८ को रख लें। इसमें हमको कोई एतराज नहीं है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, त्रिपाठी जी ने जिक्र किया उसके लिये मेरा खयाल है कि १६–१७ तारीख को कोई वोटिंग नहीं होना चाहिये।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

इस विधेयक को जितनी जल्दी से जल्दी पास कर दिया जाय उतना ही अच्छा होगा।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं जिक्र कर रहा था लेकिन मेरा खयाल है कि उसका यदि जिक्र न करूं तो विशेष बात नहीं है। यदि कभी भी श्रीमान् जी के संबंध में यह कहा जायेगा कि आप न्याय के पथ से विचलित हुए तो हम लज्जित होंगे और इसको स्वीकार नहीं करेंगे। मैं जिक्र कर रहा था इस बिल के संबंध में कि आज जो परिस्थिति है इस प्रदेश में उनमें प्रत्येक व्यक्ति की बात को शक और शुबहा की दृष्टि से देखा जाय। कभी कभी वह बात अच्छी हो सकती है। लेकिन किसी शासन को खास-तौर से, खास कर ऐसा शासन जो बदलकर दूसरा बैठे, जब कोई शासन ऐसा कार्य करता है तो उसके कार्य पर बहुद संदेह किया जाता है। माननीय चरण सिंह जी ने जिक्र किया ५७ की बात का और महापालिकाओं को समाप्त करने वाली बात का कि एक शासन था जो निरंतर चल रहा था और इस शासन का किसी की नीयत पर हमला करने की सम्भावना नहीं थी। जैसा कि उन्होंने कहा था कि महापालिकाओं को समाप्त किया गया और जिला बोर्डों को समाप्त किया गया तो ये कांग्रेस द्वारा ही निर्मित थे और कांग्रेस वाले ही शासनारूढ़ थे। इस तरह से जब महापालिकायें समाप्त की गई थीं तो यह परिस्थिति थी। लेकिन आज दूसरी परिस्थिति है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा कोई मौका न दें कि उनके किसी कार्य को शक की नजर से देखा जाय और मेरा निवेदन था कि वह इस बिल के संबंध में दुबारा विचार कर लें। तीन महीने के लिये इनका कार्यकाल बढ़ा दें। इसके बाद समय के अन्दर इस पर विचार कर लें। मैं नहीं समझता कि तीन महीने में दूसरी परिस्थिति हो जायेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज दुर्भाग्यवश समस्त जनतंत्र प्रणाली पर आघात है। इस प्रदेशों और कुछ कठि-नाइयां आ गई हैं और कोई भी ऐसा कदम जो जनतंत्र के आघात के रूप में देखा जाय, नहीं उठाया जाना चाहिये। मेरा निवेदन यह है कि यह जनतंत्र प्रणाली के आघात के रूप में है। जनतन्त्र प्रणाली में कुछ कठिनाइयां हैं जैसे कहा जाता है कि—"Democracy is a slow and steady process."

इस तरह से कठिनाइयां आती हैं। हम गिरते हैं बढ़ते हैं। इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। इंगलैंड और फ्रांस में इस तरह की परिस्थितियां आ जाती हैं। गांधी जी पंचायत राज्य को राम राज्य कहा करते थे। हम जब उनकी प्रतिमा के नीचे बैठे हैं तो यह सोचने लगे कि यह इकाइयां बेकार हो गई हैं, ठीक नहीं होगा। इनको समाप्त किया जाना उचित नहीं होगा।

मैं इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं और अपने मित्र के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कल मैंने नियम ५१ दिया था । वह न कल लिया गया और न आज ही लिया जा रहा है, उसका क्या हुआ । मेरे क्षेत्र में ओले पड़े हैं, उसके बारे में था ।

श्री अध्यक्ष—

वह मंत्री जी के पास भेज दिया गया है उचित कार्यवाही के लिये । अगर सदन बढ़ेगा तो वे उसका जवाब दे देंगे ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

किस दिन वे वक्तव्य देंगे ? फसल मारी गयी है, खेतों में अभी तक बर्फ जमी हुई है ।

श्री अध्यक्ष—

यह अभी नहीं आयेगा ।

(शोर)

श्री बांकेलाल—

हमारे नियम ५१ के प्रश्न के ऊपर वक्तव्य आप कब दिलायेंगे ? उसके लिये आप समय कब देंगे ? उसकी प्रतिलिपि भी हमको नहीं मिली है, उस पर हम किस प्रकार से सवाल करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

अभी आप बैठ जाइये ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(श्री अध्यक्ष ने श्री देवकी नन्दन विभव को पुकारा) ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ध्यान से आचार्य लक्ष्मीरमण जी का भाषण सुन रहा था और दूसरे माननीय सदस्यों के भाषणों को भी सुना । लोकतंत्र की हत्या की बात भी सुनी और लोकतंत्र की रक्षा की बात भी सुनी और यह भी सुना कि उसकी रक्षा की सारी जिम्मेदारी की चिन्ता या तो उनको है या एक दूसरे सज्जन जो इधर बैठे हुए हैं, उनको है । मैं निवेदन करना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह लोकतंत्र की प्रणाली के अनुसार है कि विधान सभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद १० साल और ५ साल तक बढ़ाया जाता रहे । श्रीमन्, ये जिला परिषद् सन् ६३ में बनाये गये थे और उनका कार्यकाल सन् ६८ में समाप्त होने जा रहा था, क्या यह लोकतंत्र के अनुसार है कि उनका कार्यकाल उसके बाद भी बढ़ाया जाता रहे और उसमें वेस्टेड इन्टरेस्ट क्रियेट होते रहें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

कानून के अनुसार विधान सभा का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है ।

श्री देवकीनन्दन विभव—

श्रीमन्, ऐसी कोई परिस्थिति दिखायी नहीं देती है कि उनका समय बढ़ा दिया जाय । ज्यादा से ज्यादा जितना समय होना चाहिये था उससे भी ज्यादा समय हो गया है । फिर उनको क्यों न समाप्त कर दिया जाय ?

[श्री देवकीनन्दन विभव]

श्रीमन्, दो वर्ष का जो समय इसमें बढ़ाया गया है उसका प्रश्न उठाया गया है। तो श्रीमन्, अकल की बात यह है.....

श्री अनन्तराम जायसवाल--

इनको बैठकर बोलने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

उनको बोलने दीजिये ।

श्री देवकीनन्दन विभव--

तो यह विचार किया है कि जो हमारा प्रजातंत्र का ढंग है उसमें यह आवश्यक हो गया है कि इसका परीक्षण किया जाय, जांच की जाय। श्रीमन्, यह जो विरोध है कि कलेक्टर के हाथ में न दिया जाय तो वह इस तरह का संशोधन ला सकते थे और उस पर हम विचार करते और हम इस सदन की कोई कमेटी बना सकते थे जो उस पर विचार करती . . .

(व्यवधान)

एक सदस्य--

मुझे इसमें विरोध नहीं है कि जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्त किया जाय।

(व्यवधान)

श्री महीलाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय ३ घंटे बढ़ाया जाय।

श्री कृष्णानन्द राय--

क्या कहा, सुनाई नहीं दिया है ?

श्री महीलाल--

३ घंटे समय बढ़ाया जाय ।

कई सदस्य--

समय नहीं बढ़ेगा ।

श्री अध्यक्ष--

एक घंटा बढ़ाया जाय। मैं इसकी इजाजत देता हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

जब दूसरे दिन बैठने वाले हैं तो एक घंटा समय क्यों बढ़ाया जाय ? मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री महीलाल--

आवश्यक विधेयक है इसलिये तीन घंटा समय बढ़ा दिया जाय ।

कई सदस्य--

नहीं, नहीं.....(व्यवधान).....

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

इस तरह से कार्य इस सदन में नहीं चलेगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

कुछ देर पहले मैं आपके दर्शन करने गया था और आपने कहा था कि मेरी तबियत ठीक नहीं है। फिर भी आप ३ घंटा समय को बढ़ा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

एक घंटे के लिये कहा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

आपका स्वास्थ्य देखकर मैं कहता हूं कि आप समय बढ़ाने के लिये कैसे राजी हो गये हैं। अगर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं है तो फिर और कारण है।

श्री अध्यक्ष---

मैंने सिर्फ एक घंटे के लिये कहा है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

प्रश्न रखने के पूर्व मुझको सुन लीजिये।

श्री महीलाल---

इस समय कि एक घंटा बढ़ा लिया जाय। आवश्यकता होगी तो फिर बढ़ जावेगा।

चौधरी गिरधारी लाल---

नहीं, नहीं।

मान्यवर, अब टाइम नहीं बढ़ाया जाना चाहिये। हम लोग इस समय बहुत ज्यादा थके हुये हैं और बैठने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिये श्रीमन्, इसका टाइम नहीं बढ़ाया जाना चाहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मान्यवर, जब हाउस सोमवार और मंगलवार को चल रहा है तो इस समय जब कि हम लोग काफी थके हैं और सबेरे से यहां बैठे हैं तो हाउस को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। अगर कोई बहुत आवश्यक है तो १०,१५ मिनट में आप समाप्त कर लें।

हमारे अध्यक्ष महोदय भी आज स्वस्थ नहीं हैं और मुख्य मंत्री जी भी कुछ अस्वस्थ हैं। ऐसी दशा में कृपा करके अध्यक्ष महोदय, सदन को समाप्त कर दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

अध्यक्ष महोदय, हमारा अनुरोध है कि आप सबकी राय से काम करें तो अच्छा होगा।

देवरिया जिलान्तर्गत सशस्त्र डकैती आदि अपराधों के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न १७ देवरिया जिले से विभिन्न थानों के अन्तर्गत शसस्त्र डकैती आदि अपराधों के विषय में सर्वश्री बांकेलाल, हरिवंश सहाय तथा दीपनारायण मणि द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य होगा।

नियोजन उप-मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)---

माननीय सदस्यों के ध्यानाकर्षण प्रस्तावों में देवरिया जिले की अपराध व शान्ति व्यवस्था स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए निम्नलिखित विशेष घटनाओं का उल्लेख किया गया है :---

(१) २/३ मार्च १९७० की रात में ग्राम धरमखोरकरन, थाना खाभपार में एक डकैती पड़ी परन्तु रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई तथा इसे छिपाया गया।

[श्री ओमप्रकाश सिंह]

(२) ३/४ मार्च, १९७० की रात में श्री अवध बिहारी तिवारी की ग्राम विशुनपुरा, थाना वरहज में रहस्यपूर्ण हत्या करके उनकी लाश कुएं में फेंकी गई।

(३) ४/५ मार्च, १९७० की रात में ग्राम अहिरोलिया के समीपवर्ती मजरे में एक सशस्त्र डकैती पड़ी जिसमें २ व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा हजारों रुपये का समान लूटा गया।

(५) ६/७ मार्च, १९७० की रात में ग्राम परसहवा, थाना कसिया में श्री सुखदेव दूबे के घर सशस्त्र डकैती पड़ी जिसमें ५०,००० रुपये का समान लूटा गया तथा दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कई व्यक्ति आहत हुए।

प्राप्त सूचना के अनुसार जहां तक प्रथम घटना का प्रश्न है, ग्राम घरमखोरकरन में किसी हस्तक्षेपनीय अपराध के होने की रिपोर्ट थाने पर नहीं प्राप्त हुई। वास्तविकता क्या है उसकी जांच कराई जा रही है।

२—जहां तक द्वितीय घटना का सम्बन्ध है, थाना वरहज पर श्री ईश्वर चन्द्र द्वारा इस आशय की रिपोर्ट लिखाई गई कि २/३ मार्च, १९७० की रात में उनके घर पर ९—१० डाकुओं ने डाका डाला। शोर पर गांव वाले पहुंचे तथा मुकाबला किया। जब डाकू भागे तो गांववालों ने पीछा किया और एक डाकू जिसका नाम अक्षयबरनाथ तिवारी था, पकड़ा गया। वह मौका पाकर भागने का प्रयास करने लगा। किन्तु पास ही एक कुएं में गिर गया। गांव वालों ने उसे तुरन्त निकाला परन्तु उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस अपराध की विवेचना हो रही है परन्तु सूचना प्राप्त होनें तक न कोई अभियुक्त गिरफ्तार हो सका है न ही कोई माल बरामद हुआ है। अब तक की जांच से यह कथन सही नहीं प्रतीत होता कि अक्षयबरनाथ तिवारी की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या की गई।

३—तीसरी व चौथी घटनायें एक ही हैं। घटना ६/७ मार्च, १९७० की रात को नहीं बल्कि ४/५ मार्च, १९७० को रात में ग्राम परसहवा में हुई। इस घटना की सूचना थाना कसिया पर ५ मार्च, १९७० को प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि १०—१२ डाकुओं ने श्री सुखदेव दूबे के घर पर डकैती डाली। घर का दरवाजा तोड़कर लूटमार की तथा ग्रामीणों को लाठियों से मारा और फरार भी हो गए। गोली लगने से दो ग्रामीण घटना—स्थल पर मर गए तथा १६ व्यक्ति आहत हुए। डाकू ६०,००० रुपये का सामान लूट ले गए। विवेचना से ज्ञात हुआ है कि घायल व्यक्तियों में से किसी की हालत चिंताजनक नहीं है। जांच से यह भी ज्ञात हुआ है कि लगभग ६,५२२ रुपये के माल नगदी लूटा गया। विवेचना से दो अभियुक्त प्रकाश में आये हैं जिनमें से एक गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी विवेचना जारी है।

४—जिले की अपराध तथा शान्ति व्यवस्था की स्थिति सामान्य तथा नियंत्रण में है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, हमको इसकी प्रतिलिपि नहीं मिली है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, हमको इसकी प्रतिलिपि दिलवा दीजिये।

श्री बांके लाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि परसावां ग्राम में जो डकैती पड़ी और दरवाजे तोड़ कर डाकुओं न हमला किया और कई हजार का माल लूटा है तो उस संबंध में कौन-कौन से डाकू पकड़े गये हैं, जो डाकू प्रकाश में आए हैं, उनके नाम क्या हैं ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

इस वक्त मैं उनके नाम बतलाने की स्थिति में नही हूं, बाद में बतला दूंगा ।

श्री बांके लाल—

श्रीमन्, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं । माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में है कि दो डाकू प्रकाश में आए हैं, फिर भी माननीय मंत्री जी नहीं बतला रहे हैं ? उनके नाम वे क्यों नहीं बतला रहे हैं, उनके नाम क्या हैं ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

काफी लम्बी लिस्ट है, इसके लियमैं सूचना चाहूंगा ।

श्री बांके लाल—

मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि जो दो डाकू प्रकाश में आए हैं उनके नाम और ग्राम क्या हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

नाम नहीं बतला सकता हूं इस वक्त ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि कई दिनों से लगातार मैं देख रहा हूं कि सदन में दफा ५१ के संबंध में जो जवाबात आते हैं वे बिलकुल असंतोषजनक होते हैं और साथ ही साथ इनका जवाब भी जो हम लोगों को टाइप किया हुआ मिलता है उसकी कापी सदन में ही मिलती है । अभी माननीय बांकेलाल जी ने वक्तव्य की कापी मांगी तब उनको वह यहीं पर उनको मिली है तो उसके लिये हम लोग सवालों को तैयारी कैसे कर सकते हैं और खुलासा तौर पर उनका जवाब भी नहीं आता है । तो आप इस पर व्यवस्था दीजिए कि जब नियम ५१ का प्रश्न एजेंडे पर आखिरी वक्त में आता है तो सुबह के वक्त ही इसका जवाब हम लोगों को मिल जाया करे ताकि उसके लिये कुछ तैयारी तो कर सकें । साथ ही आप मंत्रियों को यह बतला दें कि नियम ५१ के जवाबात बहुत तफसील के साथ आने चाहिये । ताकि माननीय सदस्य अपनी स्पष्टीकरण कर सकें । (जवाब नहीं आया) ।

श्री बांके लाल—

क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दो डाकू जो प्रकाश में आए हैं वे कटैया थाने के सिपाही तो नहीं थे या माननीय मंत्री जी के दल के दोनों आदमी तो नहीं थे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता । पुलिस के सिपाही थे या नहीं, यह आप बतला दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मेरी सूचना के अनुसार वे थाने के सिपाही नहीं थे ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

क्या उन नामों की सूचना नहीं है, माननीय मंत्री जी के पास ?

श्री अध्यक्ष---

जी नहीं है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

जहां तक मैंने समझा है---माननीय मंत्री जी ने कहा कि बड़ी लम्बी रिपोर्ट है और उसको पढ़ने में कष्ट होगा और इस वजह से वे नाम नहीं बतला सकते हैं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं श्रीमन्, इस प्रकार से दफा ५१ और ५२ के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाना चाहिये..

श्री कृष्णानन्द राय---

आपके पास उनके नाम नहीं हैं। आप यह कह रहे थे कि रिपोर्ट इतनी लम्बी है कि वह पूरी पढ़ी नहीं जा सकती है। ये उत्तर देने के लिये तैयार होकर नहीं आते हैं। तो हम सदन से चले जायेंगे।

श्री बांके लाल---

मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश है जिसे आप सुन लें। मुझे सख्त अफसोस है कि जो माननीय मित्रों ने सवाल उठाया उसका डेफनिट जवाब हमारी तरफ से नहीं दिया जा सका। इसमें हमारी कठिनाई है। हम चाहते थे कि उस सूचना को हम सदन में प्रस्तुत कर सकें। इस तरह के जो सवालात होते हैं कि एफ० आई० आर० क्या है, मेडिकल रिपोर्ट क्या है, क्या-क्या उनके चोटें हैं, कौन गिरफ्तार हुआ, कहां-कहां चोटें आयीं और कहां खून निकल रहा था, तो इन तफसीलों में जाने के लिये वक्त लगता है।

(व्यवधान)

आप मेरी बात सुन लें। ये तफसील के सवाल होते हैं। इसके बारे मे ४ बयान थे और उन चारों की तैयारी की। ये चारों बयान २५--३० पेजेज में हैं। इन सवालों का जवाब एकदम या तत्काल देना जरा मुश्किल होता है। श्री रियासत हुसैन साहब ने जो सवाल उठाया उसके बारे में मैं अर्ज करूंगा। जो सवाल क्रिमनल केसेज से संबंधित होते हैं, उनमें तफसीली जवाब नहीं दिये जा सकते हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

क्या तफसील है। क्या मुल्जिमों का नाम बताना तफसील की बात है ?

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

व्यवस्था का प्रश्न है।

एक सदस्य---

एस० पी० ने रिपोर्ट भेजी होगी। नाम बताने में क्या आपत्ति हो रही है ?

श्री चरण सिंह—

हम छिपा नहीं रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मंत्री जी, आप नाम बता द ।

श्री ओमप्रकाश सिंह—

एक मुल्जिम जो पकड़ा गया है उसका नाम असत करन, पुत्र जानकी चरण साकिन, जिला गोरखपुर। वह दिनांक १० मार्च, १९७० को गिरफ्तार हुआ था और वह गोरखपुर पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, नियम ५१ के अन्तर्गत प्रश्नों की ओर मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । जो अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न होते हैं उनके ऊपर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । स्पष्टीकरण के तौर पर उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं । तो इसमें साफ बात है । यहां पर बताया गया कि दो आदमी प्रकाश में आए । एक गिरफ्तार हुआ और दूसरा गिरफ्तार नहीं किया जा सका । स्पष्टीकरण के तौर पर यह पूछना नितान्त आवश्यक था कि वे कौन थे । मुख्य मंत्री जी तो रोज हमको डांट बता देते हैं । बजाए हमको डांट बताने के उनको अपने मंत्रियों को डांट बताना चाहिये ताकि वे उत्तर देने के लिये तैयार होकर आवें । वे यह तो नहीं करते हैं बल्कि दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं । मान्यवर, यह हमारा अधिकार है । हम स्पष्टीकरण मांगेंगे । जो वक्तव्य दिया गया है उसके जवाब से स्पष्टीकरण का सवाल उठता था । मैं मुख्य मंत्री जी से, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जब कभी वे हमको सबक दें उसके पहले खुद जानकारी प्राप्त कर लें और अपने मंत्रियों को सबक दें। इस पर आपकी व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री चरण सिंह—

मैं माननीय मित्रों को सबक नहीं देना चाहता । मैं तो माननीय अध्यक्ष से अपील कर रहा था कि एक सवाल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा सवाल उठ सकता है लेकिन उसकी लिमिट कहां हो यह वह तय करें । एफ० आई० आर० रिपोर्ट, बेल, फिर चोटें कहां लगीं तो यह सब पूछा जा सकता है । लेकिन यहां जो लोग हैं उनकी भी सीमा है । उनकी मेमोरी की भी सीमा है । आज यह बात ठीक है कि पूरी तैयारी नहीं थी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

वह गल्ती कर गये । दो नाम पहले से पढ़ कर निकाल लेने चाहिये थे । लेकिन यह जरूरी वह है कि अगर डाक्टरी संबंधी सवालात करने लगें तो वे जवाब नहीं दे सकेंगे ।

श्री बांके लाल—

देवरिया जिले के....

(व्यवधान)

श्री भारतसिंह चौहान (जिला इटावा)—

व्यवस्था का प्रश्न है कि डकैती हुई और हो रही है और एक नाम प्रकाश में आया तो क्या मुख्य मंत्री उस नाम को बतलाने के लिये बाध्य हैं ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने तो जवाब दे दिया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

यह जो रिपोर्ट आपने रखी तो इसमें कई डकैती और जुर्म का जिक्र है तो मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे उस जिले में पुलिस को रिआर्गेनाइज करने का प्रयास करेंगे जिससे कि लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हो सके ।

श्री चरण सिंह---

अभी यह साबित नहीं हुआ है कि वहां कोई असाधारण स्थिति है और अगर ऐसा होगा तो आई० जी० से कहूंगा कि वह वहां के लिये इन्तजाम करें ।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)---

पुलिस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर देवरिया जिले में कांस्टेबिल्स की संख्या नहीं बढ़ाई गई और इसीलिये वहां सशस्त्र डकैती हो रही है । तो क्या यह भी वास्तविकता है और अगर है तो कोई ऐसी व्यवस्था करेंगें जिससे इस तरह की घटना रुक सकें ?

श्री चरण सिंह---

यह तो मुझे नहीं मालूम कि वहां कांस्टेबिल्स की संख्या बढ़ी या नहीं लेकिन अब तक हम लोग देवरिया डिस्ट्रिक्ट को क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट नहीं मानते । अगर माननीय मित्र क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट मानते हैं तो विचार करेंगे ।

श्री बांकेलाल---

२६ फरवरी, ७० से २६ मार्च, ७० तक कितनी डकैती पड़ी और कितने कत्ल देवरिया जिले में हुए ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

पहली बात तो यह कि मुख्य मंत्री जी ने जो एक बात आपके माध्यम से इस सदन में कही कि जो प्रश्न पूछे जायं....

श्री अध्यक्ष--

अब उसके ऊपर बहस नहीं हो सकती ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं एक सलाह दे रहा हूं, आप सुन लीजिए । मैं आपकी, मुख्य मंत्री जी की, सदन की, सबकी मदद कर रहा हूं । मैं यह कह रहा था कि मुख्य मंत्री जी और उनके साथी जिस प्रकार इन बेंचों पर बैठ कर प्रश्न पूछते थे, आप वह प्रोसीडिंग्स देख लीजिए और उसी सीमा के अन्तर्गत हम लोगों को भी प्रश्न पूछने की इजाजत दीजिए ।

दूसरी बात, मुख्य मंत्री जी ने कह दिया, माननीय दीप नारायण मणि त्रिपाठी जी को अगर देवरिया को वह क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट मानते हैं---मैं नहीं जानता कि मुख्य मंत्री जी की निगाह में कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट्स क्रिमिनल हैं---लेकिन जो रिपोर्ट है मुख्य मंत्री जी के पास उसमें करीब-करीब रोजाना एक, आध डकैती होती है, तो क्या मैं यह समझूं कि जब रोजाना डकैती पड़ रही है और संयोग की बात है कि जब से यह सरकार बैठी है उसके बाद ही का यह सारा किस्सा है...

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरीगढ़वाल)—

यह भाषण दिलवा रहे हैं या प्रश्न पुछवा रहे हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं यह कहना चाहता हूं कि वह क्या इन्तजाम करने जा रहे हैं ?

(उत्तर देने के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री रामकुमार शास्त्री—

जिस डकैत का नाम अभी लिया गया है वह किसी और मुकदमे में पहले ही से फंसा हुआ है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री गोविन्दसिंह—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य पढ़ा है उसमें मुझे कुछ विरोधाभास नजर आ रहा है । पृष्ठ २ के तीसरे पैरा में उन्होने कहा है कि "दो ग्रामीण घटनास्थल पर मर गए तथा १६ व्यक्ति आहत हुए । डाकू ६० हजार रुपये का सामान लूट कर ले गये । विवेचना से पता चला कि घायल व्यक्तियों में से किसी की हालत चिन्ताजनक नहीं है । जांच से यह भी ज्ञात हुआ है कि लगभग ६,५२२ रुपये का माल और नगदी लूटा गया ।" एक तरफ तो कहा गया कि ६० हजार लूटे गये और दूसरी तरफ उसी लाइन में कहा गया कि ६,५२२ रुपये लूटे गये । तो कृपा करके इसका स्पष्टीकरण दें ।

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जो रिपोर्ट लिखाई गई उसमें कहा गया है कि ६० हजार रुपये की संपत्ति लूटी । मगर जांच से निकला कि ६,५२२ रुपये का माल लूटा गया ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

जो दो आदमी मौके पर मर गये उनको गोलियों की भी चोट है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

उनको चोट लगी इसी से तो मरे ।

श्री रामधारी शास्त्री—

मैंने निश्चित सवाल पूछा कि क्या उन दो आदमियों के गोलियों की चोट लगी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

अभी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट देख कर बताता हूं । (कुछ देर पश्चात्) उसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

(व्यवधान)

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)—

प्रश्न यह है कि बराबर डकैतियां पड़ती हैं और दूसरे अपराध होते हैं उनकी रिपोर्ट थाने पर लिखी नहीं जाती । इसमें लिखा है कि २–३ मार्च, १९७० की रात में धरमखोरकरन थाना खामपार में एक डकैती पड़ी परन्तु रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई तथा इसे छिपाया गया । तो इस छिपाने की बात को ध्यान में रखकर कोई ऐसी व्यवस्था की गई जिससे कि थानों में रिपोर्ट बारबर लिखी जाएं और जिन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई या आगे सरकार करने का इरादा रखती है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

रिपोर्ट तो लिखी जाती है, कोई घटना न लिखने की बताई जायेगी तो जांच करा लेंगे ।

श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)--

वह तो इसी केस में नहीं लिखी गई जैसा कि इसमें लिखा है तो मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई या नहीं ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

जांच इसमें की गई है, पहले केस में कोई ऐसी डकैती की घटना नहीं हुई ।

श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)--

बयान में कहा गया है कि डकैती पड़ी तो मेरे प्रश्न का उत्तर तो आया ही नहीं । मैंने पूछा था कि यह जो बयान में लिखा है कि डकैती पड़ी परन्तु रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई तथा इससे छिपाया गया, तो इन छिपाने वालों और रिपोर्ट न दर्ज करने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही की गई या नहीं ?

श्री चरण सिंह--

यह सवाल ठीक है और बिलकुल उनके पूछने लायक है, इसमें स्वयं लिखा है कि रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो सवाल ठीक ही हुआ कि क्यों नहीं लिखी गई और न लिखने वालों को कोई सजा दी गई या नहीं । मैं अपने मित्रों को बताना चाहता हूं कि हम इसको पढ़ नहीं सके हैं और इसके लिये तैयार नहीं हैं और मेरे साथी मित्र भी दूसरे हाउस में मशगूल थे । फिर भी जो शिकायतें हैं, उनको दूर करने की कोशिश हम करेंगे ।

एक सदस्य--

मंत्री जी को डांटिए कि पढ़कर आया करें । (व्यवधान)

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो स्पष्टीकरण अभी मुख्य मंत्री जी ने दिया है वह बड़ा घातक है और आप उनका ध्यान केंद्रित कीजिए कि नियम ५१ के वक्तव्य के संबंध में इस तरह की अक्षमता दिखाना बड़ा घातक है और जब इस तरह से निराश होना पड़ता है तो वह बहुत बुरा है । हम बहुत ही त्रसित होकर और मजबूरन यह दफा ५१ का नोटिस देते हैं और अगर उसके प्रति यही रवैया और सदन में वक्तव्य के साथ मंत्री लोग तैयार होकर नहीं आए तो वह बड़ी गलत परम्परा होगी । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि दफा ५१ के नोटिस पर वह जितना ध्यान देना आवश्यक है वह अवश्य दें ।

आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें । अब मैं आगे का प्रोग्राम बताता हूं । जहां तक विशेषाधिकार के प्रश्न का सवाल है २ दिन दिये गये थे वह हो गये और (व्यवधान) ... और ५७,५८,५९ में भी २-२ ही दिये गये, अब वक्त नहीं रहता । अब १६ तारीख को हम फिर इस विधयक पर विचार करेंगे जो चल रहा है और १७ को दोपहर तक वह चलेगा और उस पर वोटिंग नहीं होगी ।

संसदीय मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--

शाप प्रोग्राम के संबंध में किसी की सुन तो लें तभी अपनी रूलिंग दें ।

श्री अध्यक्ष--

और अविश्वास का प्रस्ताव १७ की दुपहर के बाद लिया जायगा और इस पर १८ तारीख को ४ बजे वोटिंग होगी।

(व्यवधान)

तारीख १६ व १७ को किसी प्रस्ताव या विधेयक पर वोटिंग नहीं होगी।

सिंचाई मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--

श्रीमन्, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं। आपने न तो नेता सदन के विचार सुने और न आपने किसी और सदस्य के ही विचार सुने और बिना सुने ही अपनी रूलिंग दे दी आपने यह सदन के साथ कितना अन्याय किया है। माननीय सदस्यों की कोई कठिनाई भी हो सकती है। बीच में एक-दो दिन की छुट्टी भी आ गयी है। पता नहीं क्यों आप स्वयं निर्णय कर लेते हैं। आप सदा दूसरों के और माननीय नेता सदन के विचार सुना करते थे पर आज तो आपने कोई विचार सुना ही नहीं। और बिना सुने ही आपने अपना निर्णय दे दिया।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और १६ मार्च, १९७० को प्रातः ११ बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २४ मिनट पर सोमवार, १६ मार्च, १९७० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः
१३ मार्च, १९७०।

देवकीनन्दन मिश्रथल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४० पर)

प्रमुख ग्राम इवाई विदुर कुटी, जिला बिजनौर पर किये गये कृत्रिम गर्भाधान के कार्य का विवरण

	१९६६–६७	१९६७–६८	१९६८–६९
१—कृत्रिम गर्भाधान की संख्या ..	६७	१२९	१३०
२—गर्भित पाये गये पशु	३७	६३	८०
३—सफलतापूर्वक गर्भधारण का प्रतिशत ..	५५.२ प्र० श०	४८.८ प्र० श०	६१.५ प्र० श०

विधान भवन

नत्थी "ख"

(देखिये पीछे पृष्ठ ५३ पर)

उत्तर प्रदेश उपहार वस्तु विधेयक, १९७०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सहायता तथा दान संबंधी प्रयोजनों के लिये संपूर्ति की गयी वस्तुओं को अवैध रूप से कब्जे में रखने या उनका लेन-देन करने का प्रतिषेध करने और उनके लिये दण्ड की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उपहार वस्तु अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषायें

२--जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में--

(क) "उपहार वस्तु" का तात्पर्य अनुसूची १ में निर्दिष्ट किसी ऐसी वस्तु से है, जो किसी सहायता संस्था द्वारा भारत सरकार को या राज्य सरकार को अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार की ओर से किसी व्यक्ति को उपहार स्वरूप प्रदान की गई हो;

(ख) "सहायता संस्था" का तात्पर्य अनुसूची २ में निर्दिष्ट किसी सहायता संस्था से है; और

(ग) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

उपहार वस्तुओं को अनधिकृत रूप से कब्जे में रखने या उनका लेन देन करने के लिये दंड

३--यदि कोई व्यक्ति उचित कारण के बिना किसी उपहार वस्तु को ऐसे उपहार वस्तुओं की संपूर्ति, वितरण तथा अभिरक्षा से संबद्ध योजना के अनुपालन के अतिरिक्त अपने कब्जे में रखता है या उसका लेन-देन करता है तो वह दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के लिए कारावास के दण्ड का भागी होगा जो दो वर्ष तक की हो सकती है अथवा अर्थ दण्ड का भागी होगा या दोनों दण्डों का भागी होगा।

स्पष्टीकरण-- इस बात की अनभिज्ञता को कि कोई वस्तु उपहार वस्तु है या नहीं, इस धारा के प्रयोजनों के लिये उचित कारण नहीं समझा जायगा।

अपराध संज्ञेय होंगे और प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होंगे

४--(१) कोई भी पुलिस आफिसर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किये जाने का युक्तियुक्त संदेह हो वारन्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है।

(२) कोई भी न्यायालय जो प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो, ऐसे किसी अपराध पर विचार न करेगा।

जब्ती का आदेश देने का अधिकार

५--कोई न्यायलय जो धारा ३ के अधीन दंडनीय किसी अपराध पर विचार करे यह निदेश दे सकता है कि कोई संपत्ति जिसके सम्बन्ध में न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि ऐसा अपराध किया गया है, सरकार के प्रति जब्त कर ली जाये।

कम्पनियों द्वारा अपराध

६--(१) यदि कोई कम्पनी इस अधिनियम के नियम के अधीन दंडनीय अपराध करे तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय, कम्पनी का कारोबार चलाने के लिये, उसका प्रभारी तथा उसके प्रति उत्तरदायी हो, और साथ ही वह कम्पनी भी, अपराध के दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं किया गया था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी तो इस उपधारा की किसी बात के कारण वह दण्ड का भागी नहीं होगा।

(२) यदि कोई कम्पनी ऐसा अपराध करे और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज तथा ट्रेजरर्स, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौनानुकूलता से हुआ है तो उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी उक्त मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज तथा ट्रेजरर्स, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और उन के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिये--

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ भी है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के साझीदार से है।

अनुसूचियां संशोधित करने का अधिकार

७--(१) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा--

(१) अनुसूची १ में कोई वस्तु बढ़ा सकती है, अथवा उसमें से कोई वस्तु निकाल सकती है ;

(२) अनुसूची २ में कोई संस्था बढ़ा सकती है, अथवा उसमें से कोई संस्था निकाल सकती है,

और ऐसी विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर ऐसी वस्तु या संस्था, यथास्थिति ऐसी अनुसूची में, सम्मिलित की गयी या उसमें से निकाली गई समझी जायेगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई प्रत्येक विज्ञप्ति, जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रक्खी जायेगी और, जब तक कि ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगी जो दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन का विज्ञप्ति के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

अनुसूची १

[धारा २ (क) तथा ७ देखिये]

१—मक्के का आटा (कार्न मील)।

२—दूध का पाउडर।

३—सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी के बीज का तेल।

अनुसूची २

[धारा २ (ख) तथा ७ देखिये]

१—यूनाइटेड नेशन्स इन्टरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फण्ड (यू० एन० आई० सी० ई० एफ०)।

२—कोआपरेटिव फार अमेरिकन रिलीफ एवरीह्वेयर (सी० ए० आर० ई०)।

३—चर्च वर्ल्ड सर्विस।

४—लूथरन वर्ल्ड रिलीफ।

५—कैथोलिक रिलीफ सर्विस।

६—यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसियेशन (वाई० एम० सी० ए०)।

७—इन्टरनेशनल रेड क्रास।

उत्तर प्रदेश सरकार

उद्देश्य और कारण

इस राज्य को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा समाज के जरूरत मन्द व्यक्तियों की सेवा की दृष्टि से, सहायता तथा दान संबंधी प्रयोजनों के लिए समय-समय पर अनेक प्रकार की उपहार वस्तुएं प्राप्त होती हैं। किन्तु अक्सर देखने में यह आया है कि कुछ असामाजिक व्यक्तियों के अनुचित व्यवहार के कारण ये वस्तुएं उन व्यक्तियों को नही मिल पाती हैं, जिनके लिये वह होती हैं। इससे उपर्युक्त वस्तुओं की संपूर्ति का मूल उद्देश्य पूरा नहीं होता, और देश की मर्यादा भी घटती है। कुछ अन्य राज्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त उपहार वस्तुओं को अवैध रूप से कब्जे में रखने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये विधायन भी बनाये हैं।

अतएव, यह आवश्यक समझा गया कि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सहायता तथा दान संबंधी प्रयोजन के लिये संपूर्ति की गई वस्तुओं को अवैध रूप से रखने या उनका लेन-देन करने का प्रतिशोध करने और उसके लिये दण्ड देने के लिये इस राज्य में भी एक कानून होना चाहिये।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

अनवार अहमद,
स्वास्थ्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश उपहार वस्तु विधेयक, १९७० के ऐसे उपबन्धों के सम्बन्ध में जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हैं सम्बन्धी ज्ञापन-पत्र

उत्तर प्रदेश उपहार वस्तु विधेयक, १९७० में केवल एक ऐसा उपबन्ध है जिसमें विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान का तत्व है। विधेयक के खण्ड ७ (१) द्वारा राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा :—

(१) अनुसूची १ में कोई वस्तु बढ़ा सकती है अथवा उसमें से कोई निकाल सकती है ;

(२) अनुसूची २ में कोई संस्था बढ़ा सकती है अथवा उसमें से कोई संस्था निकाल सकती है।

अनुसूचियों के अन्तर्विषय कुछ इस प्रकार के हैं कि उनकी प्रविष्टियों में समय-समय पर परिवर्तन करना आवश्यक हो सकता है।

अतएव, यह आवश्यक है कि उक्त अधिकार राज्य सरकार में निहित होने चाहिये। फिर भी खण्ड ७ (२) में यह व्यवस्था है कि ऐसी प्रत्येक विज्ञप्ति राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रक्खी जायेगी और ऐसे परिष्कार अथवा अभिशून्यन के अधीन होंगी जो दोनों सदनों द्वारा उसमें किये जायं। इस प्रकार सरकार के अधिकार विधान मण्डल के नियंत्रण में होंगे।

प्रस्तावित प्रतिनिधान सामान्य प्रकार का है।

अनवार अहमद,
स्वास्थ्य मन्त्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १७ एल० ए०—१९७०—८४५।